रजिस्ट्री संख्या डी०-(डी०)--73

REGISTERED NO. D-(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1976 (वैशाख 4, 1898)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1976 (VIASAKHA 4, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III--खण्ड 1

PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 जनवरी 1976

सं० ए० 32014/1/74-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के स्थायी वैयक्तिक सहायकों (के० स० स्टे० से० का ग्रेड-II) सर्वश्री आर० एल० ठाकुर और के० सुन्दरम, जिन्हें समसंख्यक आदेश दिनांक 7 जुलाई, 1975 द्वारा 31-12-75 तक वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के पदों पर पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1-1-1976 से 29-2-76 तक दो महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी हैसियत से पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई है।

दिनांक 9 मार्च 1976

सं० पी०/1837-प्रशा० I—इलाहाबाद विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग के भूतपूर्व रीडर डा० बी० एस० मिश्र को, जिन्हें इस कार्यालय की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 18-9-75 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 29-2-1976 तक उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, 31 मई, 1976 तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त पद पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई है।

दिनांक 27 मार्च 1976

सं० पी० 1763-प्रशा० II—संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-2-76 के अनुक्रम में निर्माण आवास और नगर विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई सहायक श्री जी० बी० माथुर को 1-3-1976 से एक मास की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की गई है।

प्र० ना० मुखर्जी,
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली 110011, दिनांक 25 मार्च 1976

सं० पी० 136/प्रशा०-II—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग इस कार्यालय में अनुभाग अधिकारी विशेष के पदों पर, तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न रूप से कार्यरत सर्वश्री बी० एस० कपूर, बी० एन० अरोड़ा तथा के० एल० कटियाल को 1-3-1976 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के

के० स० से० संवर्ग के अनुभाग अधिकारी पदों पर प्रत्यावर्तित करते हैं।

प्र० ना० मुखर्जी,
अवर सचिव (प्रशा०)
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 जनवरी 1976

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड-II) श्री एस० पी० मेहरा, जिन्हें समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-12-1975 द्वारा 1-12-75 से 15-1-76 तक की अवधि के लिए पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था, को राष्ट्रपति द्वारा 16-1-1976 से 29-2-1976 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी हैसियत से उसी संवर्ग में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री एस० पी० मेहरा यह नोट कर लें कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड-I) के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर है और केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड-I में संविलयन के लिए या उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए उनका कोई हक नहीं होगा।

दिनांक 19 मार्च 1976

सं० ए० 32014/1/76-प्र०-III(1)—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एस० डी० शर्मा को, राष्ट्रपति द्वारा 8-3-76 से 22-4-76, तक 46 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/76-प्रशासन-III(2)—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एस० पी० माथुर को, राष्ट्रपति द्वारा 17-3-1976 से 1-5-1976 तक 46 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 24 मार्च 1976

सं० ए० 32014/1/76-प्रशा० III(1)—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए० 32014/1/75-प्रशासन III दिनांक 12-1-76 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एच० एस० भाटिया को, राष्ट्रपति द्वारा 1-3-1976 से 15-4-1976 तक 46 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/76-प्रशा० III(2)—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए० 32014/1/75-प्रशा० III दिनांक 12-1-76 के अनुक्रम में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री जी० के० सामन्ता को, राष्ट्रपति द्वारा 1-3-76 से 31-3-76 तक एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 26 मार्च 1976

सं० ए० 12025 (II)/1/75-प्रशासन III—मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) के का० ज्ञा० सं० एफ० 5/26/75-सी० एस० (I) दिनांक 21-10-75 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के स्थायी सहायक (इस समय सं० लो० से० आ० के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (विशेष) के संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर) श्री एच० आर० ऋषिराज को 1-3-1976 से आगामी आदेशों तक उसी संवर्ग के अनुभाग ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. किन्तु श्री एच० आर० ऋषिराज सं० लो० से० आ० की अधिसूचना सं० ए० 12019/5/74-प्रशासन II दिनांक 2-3-76 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (विशेष) के संवर्ग बाह्य पद पर आगामी आदेशों तक कार्य करते रहेंगे।

3. संघ लोक सेवा आयोग में के० स० से० संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री ऋषिराज की संतत नियुक्ति परीक्षा वर्ग से अधिकारियों के आवंटन तथा इस कार्यालय के और आगे पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षणाधीन होगी।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 जनवरी 1976

सं० ए० 32014-1-74-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के स्थायी वैयक्तिक सहायक (केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा का ग्रेड II) श्री पी० पी० सिक्का, जिन्हें समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-1975 द्वारा 6-12-75 से 20-1-76 तक की अवधि के लिए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को राष्ट्रपति द्वारा 21-1-1976 से 29-2-1976 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी हैसियत से

उसी संवर्ग में पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री० पी० पी० सिक्का, यह नोट कर लें कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड I) के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर है और केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड I में संविलयन के लिए या उस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए उनका कोई हक नहीं होगा।

सं० ए० 32014/1/75-प्रशा० I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड I) श्री एम० सी० खुराना, जिन्हें समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-12-75 द्वारा 15-1-1976 तक निजी सचिव (के० स० स्टे० से० का चयन ग्रेड) के पद पर अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को राष्ट्रपति द्वारा 16-1-76 से 29-2-76 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी हैसियत से पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्र० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1976

सं० टी०-8/72-प्रशासन-5—इस कार्यालय के दिनांक 6-3-76 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, तमिलनाडु राज्य पुलिस के पुलिस निरीक्षक श्री टी० आर० श्रीरामुलू को दिनांक 21-2-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० एस०-150/66-प्रशासन-5—निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण, ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, आन्ध्र प्रदेश राज्य पुलिस से प्रतिनियुक्त निरीक्षक श्री एस० जे० के० डेविड को दिनांक 5-3-76 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-19021/2/76-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री आर० राजागोपालन, (भारतीय पुलिस सेवा-तमिलनाडु) को दिनांक 27-2-1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 20 मार्च 1976

सं० डी०-3/65-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से हरियाणा राज्य पुलिस के अधिकारी श्री देस राज (भारतीय पुलिस सेवा के नहीं हैं) को दिनांक 21-2-76 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 23 मार्च 1976

सं० के०-10/73-प्रशासन-5—आन्ध्र प्रदेश राज्य पुलिस में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, श्री के० सत्यनारायण, पुलिस उप-अधीक्षक; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कपट दस्ता (1), नई दिल्ली ने दिनांक 4-3-76 (अपराह्न) में अपने पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्य-भार त्याग दिया।

सं० के०-59/65-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से तमिलनाडु पुलिस विभाग से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्त पुलिस उप-अधीक्षक श्री के० ए० राजागोपालन को दिनांक 21-2-1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 मार्च 1976

सं० पी० एफ०/एस०-204/70-प्रशासन-I—कलकत्ता पुलिस मुख्यालय में प्रत्यावर्तन हो जाने पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त कलकत्ता पुलिस के अधिकारी श्री एस० के० गुप्ता को दिनांक 3 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कलकत्ता में अपने कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

गुलजारी लाल अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मार्च 1976

सं० ओ०-II-950/73-स्थापना—डाक्टर दीनानाथ दास, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 35वीं वाहिनी की सेवायें उनके तदर्थ रूप में नियुक्ति के कार्यकाल की समाप्ति पर 10-10-75 (अपराह्न) से समाप्त की जाती हैं।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 मार्च 1976

सं० ई०-38013(2)/14/75-प्रशा० I—विशाखापटनम से स्थानान्तरित होने पर, ले० कर्नल टी० के० जार्ज, ने दिनांक 28-2-76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, एफ० ए० सी० टी० (उद्योगमण्डल) के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 20 मार्च 1976

सं० ई०-38013(2)/1/76-प्रशा० I—रांची को स्थानान्तरित होने पर, श्री लक्ष्मण दास, आई० पी० एस० (हरियाणा-1962) ने दिनांक 18 फरवरी 76 के अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, एम० ए० एम० सी०, दुर्गापुर, के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(2)/1/76-प्रशा० I—दुर्गापुर से स्थानान्तरित होने पर, श्री लक्ष्मण दास, आई० पी० एस० ने दिनांक 23-2-76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, एच० ई० सी०, रांची के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-32015(2)/2/76-प्रशा० I—राष्ट्रपति, अन्य आदेश जारी होने तक कर्नल ब० स० पाल को दिनांक 1 मार्च, 76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण कालेज, हैदराबाद, का प्रधानाचार्य नियुक्त करते हैं।

कर्नल ब० स० पाल ने उसी दिनांक से पद का कार्यभार सम्भाल लिया, जब वे नई दिल्ली में कैम्प पर थे।

दिनांक 23 मार्च 1976

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा० I—देवास से स्थानान्तरित होने पर, श्री के० ए० बेलिप्पा ने श्री जे० गोम्स के स्थान पर दिनांक 1 फरवरी, 76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, मार्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, मार्मूगाव, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया। श्री जे० गोम्स ने उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा० I—मार्मूगाव पोर्ट से स्थानान्तरित होने पर, श्री जे० गोम्स ने दिनांक 8 फरवरी, 76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण कालेज, हैदराबाद, के उप-प्रधानाचार्य, पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा० I—कोरबा से स्थानान्तरित होने पर, श्री एस० के० वर्मा ने दिनांक 10 फरवरी, 76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा० I—राष्ट्रपति निरीक्षक पी० पी० सहजपाल को दिनांक 2-2-76 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बालको कोरबा का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने उसी दिनांक से उपरोक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा० I—राष्ट्रपति निरीक्षक पी० सी० गुप्ता, को दिनांक 23-2-76 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, दुर्गापुर, इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 24 मार्च 1976

सं० ई०-38013(3)/1/76-प्रशा० I—राउरकेला को स्थानान्तरित होने पर, श्री एस० के० वर्मा, सहायक कमांडेंट, ने दिनांक 2 फरवरी, 76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बालको, कोरबा के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 25 मार्च 1976

सं० ई०-38013(3)/3/76-प्रशा० I—कानपुर से स्थानान्तरित होने पर, श्री हरिन्दरपाल सिंह ने दिनांक 1-3-76 के अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बोकारो इस्पात संयंत्र लिमिटेड, बोकारो इस्पात नगर के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

ली० सि० बिष्ट,
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 मार्च 1976

सं० पी०/टी० (1) प्रशा०-एक—डा० आर० आर० त्रिपाठी की मानचित्र अधिकारी के रूप में पदोन्नति होने से हुई रिक्ति में श्री एस० डी० त्यागी, वरिष्ट भूगोलवेत्ता को तारीख 16-2-1976 से तारीख 15-5-1976 तक की अवधि के लिए, अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

दिनांक 20 मार्च 1976

सं० 6/6/75-म० पं० (प्रशा० एक)—राष्ट्रपति, प्रवर सूची, 1974 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-एक के अधिकारी श्री जे० एस० भाटिया को भारत के महापंजीकार के कार्यालय में तारीख 12 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न के अगले आदेशों तक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री जे० एस० भाटिया का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 10/6/75-म० पं० (प्रशा० 1)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री एस० एन० चतुर्वेदी को भारत के महापंजीकार के कार्यालय में उप-निदेशक

(आंकड़े प्रक्रिया) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 17 फरवरी, 1976 से तीन माह की और अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें कम हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

श्री चतुर्वेदी का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

सं० 10/6/75-म० पं० (प्रशा० 1)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री के० आर० उन्नी की भारत के महापंजीकार के कार्यालय में उप-निदेशक (कार्य क्रम) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 17 फरवरी, 1976 से तीन माह की और अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें कम हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

श्री उन्नी का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 11/7/75-म० पं० (प्रशा० एक)—राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक, तमिल नाडु और पाण्डीचेरी कार्यालय में जनगणना कार्य (तकनीकी) के सहायक निदेशक, श्री एन० रामा राव को जनगणना कार्य निदेशक, महाराष्ट्र के कार्यालय में पूर्णतः अस्थाई तथा तदर्थ आधार पर उप-निदेशक, जनगणना कार्य के रूप में 11 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से छः माह की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें कम हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री रामा राव का मुख्यालय बम्बई में होगा।

बद्री नाथ
भारत के उप-महापंजीकार और
पदेन उप-सचिव

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

महालेखाकार का कार्यालय, गुजरात

अहमदाबाद, दिनांक 22 मार्च 1976

सं० एस्ट० (ए०)/जी० ओ०/2(169) 5036—महालेखाकार गुजरात ने अधिक लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री टी० सूर्यनारायणन् को दिनांक 28 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक अपर-महालेखाकार, गुजरात राजकोट के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा-अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है।

के० एच० छाया,
उप-महालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार, गुजरात का कार्यालय
अहमदाबाद

कार्यालय महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० एडमन०-1/2(4)/ /13223-29—महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, नई दिल्ली, श्री आर० के० माथुर, स्थायी अनुभाग अधिकारी को अपने कार्यालय में 19/3/1976 (पूर्वाह्न) से लेखा अधिकारी के पद पर, अगले आदेश तक, अस्थायी एवं अन्तिम रूप से पदोन्नति करते हैं।

बी० बी० देब राय,
वरिष्ठ उप महालेखाकार
(प्रशासन)

कार्यालय, मुख्य लेखा-परीक्षक, दक्षिण पूर्व रेलवे

कलकत्ता-700043, दिनांक 23 मार्च 1976

सं० एडमन०/33-2ए०/75/6560—मुख्य लेखा-परीक्षक, दक्षिण पूर्व रेलवे, कलकत्ता के कार्यालय में, अधीनस्थ रेलवे लेखा-परीक्षा-सेवा के स्थायी सदस्य श्री रामेन्द्र नारायण तपस्वी को, अन्य आदेश प्राप्त होने तक उक्त कार्यालय में लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में 12 जनवरी 1976 के पूर्वाह्न से पदोन्नत किया गया है।

एच० एस० सैमुअल
मुख्य लेखा-परीक्षक

मुख्य लेखा परीक्षक का कार्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे

सिकन्दराबाद, दिनांक 30 मार्च 1976

सं० एयू०/एडमन०/II/5/1737—मुख्य लेखा परीक्षक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद ने श्री डी० सत्यनारायण मूर्ति को, जो अधीनस्थ रेलवे लेखा परीक्षा सेवा के स्थायी सदस्य हैं, 8-3-1976 पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक लेखा परीक्षा अधिकारी दक्षिण मध्य रेलवे के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

डी० ए० प्रसाद
उप मुख्य लेखा परीक्षक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महा नियन्त्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 27 मार्च 1976

सं० 86016(13)/75-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी श्री एस० के० चौधरी को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (रुपये 1500-60-1800-100-2000) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए 28-2-76

(पूर्वाह्न) से आगामी आदेश पर्यन्त, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस० के० सुन्दरम
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक (प्रशा०)

रक्षा मंत्रालय

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरियां
भारतीय आर्डनैन्स फैक्टरियां सेवा

कलकत्ता-16, दिनांक 16 फरवरी 1976

सं० 16/76/जी०—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक/टैकनिकल स्टाफ अफसर के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेश न होने तक नियुक्त करते है :—

1. श्री जे० एस० सिन्धु, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
2. श्री बी० एम० जी० सिंह, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
3. श्री डी० आर० कलोटा, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
4. श्री एस० एन० देवधर, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
5. श्री के० आर० जी० नायर, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
6. श्री ए० एल० बी० चौधुरी, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
7. श्री एल० आर० पाल, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
8. श्री एस० सी० वर्मा, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
9. श्री बी० बी० धामन्दे, स्थायी स्टोर होल्डर	—24 नवम्बर, 1975
10. श्री मिसकीन हुसेन, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975
11. श्री ए० एस० अहलुवालिया, स्थायी फोरमैन	—24 नवम्बर, 1975

दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 25/76/जी०—राष्ट्रपति, श्री टी० के० चट्टोपाध्याय, अस्थायी उप-प्रबन्धक का त्यागपत्र दिनांक 20 अक्तूबर, 1975 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

एम० पी० आर० पिल्लाय
सहायक महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1976

आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/1121/76-प्रशासन (राज०)/1994—राष्ट्रपति, मुख्य लेखा परीक्षक दक्षिण-पूर्व रेलवे कलकत्ता के कार्यालय में भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के अधिकारी तथा उप-मुख्य लेखा परीक्षक, श्री ए० के० चक्रवर्ती को दिनांक 9-3-1976 के दोपहर पूर्व से मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में विशेष कार्य-अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 24 मार्च 1976

सं० 6/416/56-प्रशा० (राज०)/2039—राष्ट्रपति, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में श्री राबर्ट बारा, नियंत्रक, आयात-निर्यात को 28-2-76 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, कलकत्ता में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी० के० कौल
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 20 मार्च 1976

सं० सी० एल० बी० 1/1/6 जी०/76—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० एल० बी० 1/1/6 जी०/71 दिनांक 13 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता हूँ, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तंभ 2 में क्रम सं० 20(2) के सामने की विद्यमान प्रविष्टी के स्थान पर निम्न प्रविष्टी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"संयुक्त निदेशक"

गौरी शंकर भार्गव
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 1976

सं० प्र०-1/1(252)—स्थायी अधीक्षक और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री एस० के० गांगूली दिनांक 29 फरवरी, 1976 के अपराह्न से निवर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 15 मार्च 1976

सं० प्र०-1/1(1045)—अवर प्रगति अधिकारी के पद पर अवनति होने पर सर्वश्री रामकिशन तथा बलबीर सिंह ने दिनांक 1 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) का पद भार छोड़ दिया।

दिनांक 19 मार्च 1976

सं० प्र०-1/1(822)—स्थायी अधीक्षक और निदेशक पूर्ति तथा निपटान, बम्बई के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री सी० ए० पट्टाभिरामन दिनांक 29 फरवरी, 1976 के अपराह्न से निवर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

हिन्दी अनुभाग

दिनांक 20 मार्च 1976

सं० प्र०-1/1(1020)—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा स्थायी अधीक्षक और पूर्ति तथा निपटान निदेशक, मद्रास के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-III) श्री वी० के० संकरालिंगम को 1 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से निरीक्षण निदेशक मद्रास के कार्यालय में सहायक निदेशक प्रशासन (ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री संकरालिंगम दिनांक 1-3-76 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होंगे।

दिनांक 22 मार्च 1976

सं० प्र-1/1(1036)—अधीक्षक (अधीक्षण स्तर-II) तथा निरीक्षण निदेशक, मद्रास के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निदेशक (प्रशासन) (ग्रेड II) श्री बी० दादेल, दिनांक 29 फरवरी, 1976 के अपराह्न से निवर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

के० एल० कोहली
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

(प्रशासन शाखा-6)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1976

सं० ए० 17011/97/76-प्र०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा कलकत्ता निरीक्षण मंडल में भंडार परीक्षक (इंजी०) श्री एस० के० सेन को दिनांक 12-2-76 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, कलकत्ता में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सूर्य प्रकाश
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 23 मार्च 1976

सं० ए० 19011(185)/75-सि० ए०—राष्ट्रपति, श्री सी० एन० वसन्त को 11 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खान नियंत्रक के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 मार्च 1976

सं० ए०/19011(175)/75-सि० ए०—राष्ट्रपति, श्री बी० एन० बसु को 3 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खान नियंत्रक के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

ए० के० राघवाचारी
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते नियंत्रक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700013, दिनांक 3 मार्च 1976

सं० 2181 (एम० सी० बी०)/19 बी०—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नोक्त वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (रसायन) को सहायक रसायनज्ञ के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में, अस्थायी क्षमता में, आगामी आदेश होने तक प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से नियुक्त किया जाता है :—

1. श्रीमती अल्पना मण्डल . .	30-1-1976
2. श्री मनिन्द्र चन्द्र बराई . .	30-1-1976

दिनांक 6 मार्च 1976

सं० 2181 (एन० सी० सी०)/19 बी०—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहायक रसायनज्ञ डा० एन० सी० चौधरी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की सेवाओं से त्याग पत्र देने पर 25-11-1974 के अपराह्न से मुक्त किया गया है ताकि वे केन्द्रीय राजस्व रासायनिक सेवा श्रेणी-1 में अपनी नई नियुक्ति पर रासायनिक परीक्षक वर्ग II के रूप में कार्य-भार ग्रहण कर सकें।

सं० 2251 (ए० के० आर०)/19 बी०—खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि०) से परावर्तन पर श्री अजित कुमार राय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ड्रिलर के पद का कार्यभार, उसी क्षमता में 16 जनवरी, 1976 के पूर्वाह्न से ग्रहण किया।

दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 50/66 (एस० के० बी०)/19 बी०—खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि०) से परावर्तन पर निम्नलिखित अधिकारियों ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में शिफ्ट बास के पद का कार्यभार,

उसी क्षमता म, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से ग्रहण किया।

1. श्री एस० के० विस्वास . . 16-1-1976 (पूर्वाह्न)
2. श्री बी० के० प्रसाद . . 16-1-1976 (पूर्वाह्न)

वी० के० एस० वरदन
महा निदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 23 मार्च 1976

सं० गो० 5054/718-ए०—महासर्वेक्षक कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, का बजट एवं लेखा अधिकारी का पद अब से स्थापना एवं लेखा अधिकारी के रूप में पुनर्नामित किया जाता है। परिणामस्वरूप श्री ए० के० दास शर्मा जिन्हें इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या गो० 4811/718-बी० दिनांक 14-2-74, अधिसूचना संख्या गो० 4882/718-बी० दिनांक 2-8-74, के अनुसार संशोधित, के अधीन स्थानान्तरण पर बजट एवं लेखा अधिकारी, महासर्वेक्षक का कार्यालय, के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया था, को अब स्थापना एवं लेखा अधिकारी के रूप में पुनर्पदनामित किया जाता है।

सं० गो० 5055/718-ए—महासर्वेक्षक कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून का रजिस्ट्रार का पद एतद्द्वारा अब से स्थापना एवं लेखा अधिकारी के रूप में पुनर्नामित किया जाता है। परिणामस्वरूप श्री राम नारायण शर्मा जिन्हें इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या गो० 5044/718-ए दिनांक 9-2-76 के अधीन, महासर्वेक्षक का कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में रजिस्ट्रार के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, को स्थापना एवं लेखा अधिकारी के रूप में पुनर्पदनामित किया जाता है। श्री राम नारायण शर्मा स्थापना एवं लेखा अधिकारी का पद अगले आदेश दिए जाने तक तदर्थ आधार पर धारण करेंगे।

सं० गो० 5056/718-ए—महासर्वेक्षक कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून का जो रजिस्ट्रार का पद अस्थाई तौर पर उत्तरी सर्किल कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थानान्तरित कर दिया गया था, को एतद्द्वारा अब से स्थापना एवं लेखा अधिकारी के रूप में पुनर्नामित किया जाता है। परिणामस्वरूप श्री एम० पी० जैन जिन्हें इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या गो० 4724/718-ए दिनांक 27-9-1973 के अधीन रजिस्ट्रार के इस पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया था को स्थापना एवं लेखा अधिकारी, उत्तरी सर्किल कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, के रूप में पुनर्पदनामित किया जाता है।

डा० हरी नारायण
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्ति प्राधिकारी)

सं० स्था० 1-5057/पी० एफ० (ए० के० बन्दोपाध्याय)—श्री अरुण कुमार बन्दोपाध्याय, अधिकारी सर्वेक्षक, सं० 15 पार्टी (स० प्र० एवं मा० उ० कें०) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद, द्वारा दिया गया अपनी नियुक्ति का त्याग-पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1972 (अपराह्न) से स्वीकृत कर लिया गया है।

डा० हरी नारायण
भारत के महासर्वेक्षक

देहरादून, दिनांक 30 मार्च 1976

सं० ई० 1-5058/1117 एल० पी० आर०—भारत के महासर्वेक्षक, श्री पी० एन० त्रिवेदी, अधिकारी सर्वेक्षक संख्या 1 आरेखण कार्यालय (मानचित्र प्रकाशन) भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून को उनकी सरकारी सेवा कार्य अवधि के समाप्त होने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31 मई 1975 (अपराह्न) से सहर्ष सेवा-निवृत्त करते हैं।

डी० पी० गुप्ता
मेजर इंजीनियर्स
सहायक महासर्वेक्षक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1976

सं० 4/97/75-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्रीमती ग्रेस कुजूर को 16 फरवरी, 1976 से अगले आदेशों तक, आकाशवाणी, भागलपुर में अस्थायी आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 25 मार्च 1976

सं० 15/8/75-सतर्कता—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री योगेन्द्र बिसनजी धारदे, स्वास्थ्य शिक्षक, प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय, गुल्टेकडी, पूना को 8-3-76 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश होने तक, अस्थाई रूप से विस्तार अधिकारी, परिवार नियोजन, आकाशवाणी नागपुर के पद पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 15/9/75-सतर्कता—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री मदाली अरुणाचलम, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय, नई दिल्ली को 1-3-76 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक अस्थायी रूप से, विस्तार अधिकारी, परिवार नियोजन, आकाशवाणी, हैदराबाद के पद पर नियुक्त करते ह।

दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 15/7/75-सतर्कता—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती ग्रेसी थामस, स्वास्थ्य शिक्षिका, केन्द्रीय परिवार नियोजन क्षेत्रीय एकक, मद्रास को 9-3-76 (पूर्वाह्न)

से अगले आदेश होने तक, अस्थायी रूप से विस्तार अधिकारी, परिवार नियोजन, आकाशवाणी, कालीकट के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 4(86)/75 स्टाफ-एक—श्री मोहम्मद शेरे इस्लाम, स्थायी कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, रांची ने 10 मार्च, 1976 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से पद त्याग कर दिया।

सं० 5 (124)/60-एस-एक : वाल्यू०-दो—श्री बी० एन० धर, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, सिलीगुड़ी, 29 फरवरी, 1976 (पूर्वाह्न) से, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवा निवृत्त हो गए।

आर० देवासर
प्रशासन उप निदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1976

सं० 2/4/75-एस-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री अरुण कुमार को 4-3-76 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, लखनऊ में स्थानापन्न रूप से सहायक इंजीनियर के संवर्ग में नियुक्त करते हैं।

हरजीत सिंह,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 मार्च 1976

सं० 3/46/61-एस-दो—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री पी० एन० कौल, लेखापाल, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी श्रीनगर को दिनांक 10-3-76 (अपराह्न) से आकाशवाणी श्रीनगर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

इन्द्र सेन पौधी
अनुभाग अधिकारी
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 23 मार्च 1976

सं० 7/5/68-स्थापना-2—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक श्री एच० एल० आहूजा को 12 मार्च, 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक इस निदेशालय के जयपुर यूनिट में स्थानापन्न क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

रोशन लाल जैन
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

2—36 GI/76

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 1976

सं० 9-16/72-एडमिन-1—नियुक्ति समाप्त किए जाने के फलस्वरूप कुमारी मीनाक्षी रामपाल ने राजकुमारी अमृत कौर उपचर्या कालेज, नई दिल्ली में 30-9-1975 अपराह्न को भौतिकी में प्राध्यापक के पद का कार्यभार त्याग दिया।

दिनांक 23 मार्च 1976

सं० 33-14/75-एडमिन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक श्री के० सी० शर्मा को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में पहली मार्च, 1976 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक प्रति-नियुक्ति आधार पर लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 24 मार्च 1976

सं० 33-13/75-एडमिन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली की व्यावसायिक चिकित्सक श्रीमती सुजाता मलिक को 28 फरवरी 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सं० 9-31/73-एडमिन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रशासन एवं सतर्कता निदेशक ने राजकुमारी अमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली की क्लीनिकल अनुदेशक श्रीमती ममता दीक्षित का इस्तीफा 14 जनवरी 1976 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।

दिनांक 31 मार्च 1976

सं० 26-18/75-एडमिन-1—कालाजार यूनिट, पटना में सहायक कीट-विज्ञानी के पद पर स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री एस० एम० कौल ने 3-2-76 अपराह्न को बी० मलायी फिलारायसिस के नियंत्रण के लिए पाईलेट प्रोजेक्ट, थुसुर में सहायक कीट-विज्ञानी के पद का कार्यभार त्याग दिया।

श्री एस० एम० कौल ने कालाजार यूनिट, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, पटना में 13-2-76 पूर्वाह्न को सहायक कीट-विज्ञानी के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

सूरज प्रकाश जिन्दल
उपनिदेशक, प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 1976

सं० 58-3/75 सी० एच० एस०-1—अपने तबादले के परिणामस्वरूप केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी ग्रेड-I की अधिकारी डा० (श्रीमती) वी० सोनी ने 4 मार्च 1976 के अपराह्न से ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ में महिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया तथा 5 मार्च 1976 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा

के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-1 के पद का कार्यभार संभाल लिया।

रवीन्द्र नाथ तिवारी
उप निदेशक प्रशासन

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

(ग्राम विकास विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

(प्रधान कार्यालय)

फरीदाबाद, दिनांक 25 मार्च 1976

सं० फाईल 4-6(109)/76 प्र० III—संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली की संस्तुतियों के अनुसार श्री सुव्रत सरकार को, भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, गुन्टूर में दिनांक 1 मार्च, 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी, वर्ग-I, नियुक्त किया गया है।

बी० पी० चावला
निदेशक, प्रशासन

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 26 फरवरी 1976

सं० पी० ए०/79(19)/75-आर-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक यहां की एक स्थाई उच्च श्रेणी लिपिक और अस्थाई सहायक श्रीमती अलेगर कृष्णन राजलक्ष्मी को 12 नवम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक के लिए स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए०/79(19)/75-आर०-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियंत्रक यहां के एक स्थाई वरिष्ठ आशुलिपिक श्री गोविन्द स्वामी अय्यर राजगोपालन को 12 नवम्बर, 1975 से, आगामी आदेशों तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए०/79(19)/75-आर-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियंत्रक यहां के एक स्थाई वरिष्ठ आशुलिपिक श्री पिशरोदी मुकुंदन को 12 नवम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए०/79(19)/75-आर-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के नियंत्रक यहां के एक स्थाई अवर श्रेणी लिपिक और अस्थाई सहायक श्री रामचंद दत्तात्रेय वेंगुरलेकर को 12 नवम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० पी० ए०/73(2)/75-आर-4—भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा० अरिफ हुसेन को अस्थाई रूप से 31 जनवरी, 1976 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक के लिए इसी अनुसंधान केन्द्र में स्थानिक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० उन्नीकृष्णन,
उप स्थापना अधिकारी (भ)

परमाणु ऊर्जा विभाग

तारापुर परमाणु बिजलीघर

तारापुर, दिनांक 11 फरवरी 1976

सं० टी० ए० पी० एस०/ए० डी० एम०/947—सहायक लेखा अधिकारी, श्री सी० आर० वालिया ने, उनका अंतरण भारी पानी परियोजना, बड़ौदा से होने पर, तारापुर परमाणु बिजलीघर में सहायक लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार 5 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से सम्भाल लिया।

सं० टी० ए० पी० एस०/प्रशासन/947—मुख्य अधीक्षक, तारापुर परमाणु बिजलीघर, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री वाई० आर० वेलंकर की तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि को 1-1-1976 से 7-2-1976 तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

श्री वेलंकर ने 7 फरवरी, 1976 के अपराह्न से तारापुर परमाणु बिजलीघर में सहायक लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

के० वी० सेतुमाधवन,
मुख्य प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500762, दिनांक 13 मार्च 1976

सं० पी० ए० आर०/0705/410—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, सहायक लेखाकार श्री जे० सूर्यनारायण राव को 1-3-1976 से 31-5-1976 की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले घटित हो, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में तदर्थ रूप से सहायक लेखा अधिकारी, नियुक्त करते हैं।

दिनांक 22 मार्च 1976

सं० पी० ए० आर०/0705/517—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, सहायक लेखाकार श्री सी० एच० नरसिम्हा चारी को अप्रैल 1, 1976 से जून 30, 1976 की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले घटित हो, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में तदर्थ रूप से सहायक लेखा अधिकारी, नियुक्त करते हैं।

एस० पी० म्हात्रे
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० ई० (1) 04227—वेधशालाओं के महानिदेशक, निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, कलकत्ता के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री ए० के० दत्ता को 20-2-76 के पूर्वाह्न से 18-5-76 तक, नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री ए० के० दत्ता, स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, कलकत्ता के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे।

सं० ई० (1)04267—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के उपमहानिदेशक (पूर्वानुमान), पूना कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री पी० के० ई० राजा को 1-3-76 के पूर्वाह्न से 30-4-76 तक, 61 दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री राजा, स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, वेधशालाओं के उपमहानिदेशक (पूर्वानुमान), पूना कार्यालय में ही तैनात रहेंगे।

दिनांक 27 मार्च 1976

सं० ई०(1) 05481—वेधशालाओं के महानिदेशक, निदेशक, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली के कार्यालय के अधीन मौसम विज्ञान कार्यालय श्रीनगर में व्यावसायिक सहायक, श्री एस० एन० भान को 26-2-76 के पूर्वाह्न से 24-5-76 तक, नवासी दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में सहायक मौसम विशेषज्ञ नियुक्त करते हैं।

श्री भान को वेधशालाओं के उपमहानिदेशक (उपकरण), नई दिल्ली के कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया है। जहां पर उन्होंने 26-2-76 के पूर्वाह्न से कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 29 मार्च 1976

सं० ई० (1)03920—मौसम विज्ञान कार्यालय, विशाखापतनम में स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री डी० वी० राघवैया निवर्तन की आयु पर पहुंचने पर 29 फरवरी, 1976 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

सं० ई० (1)05102—स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ श्री जी० वर्ध राजन जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा में मेरीन एण्ड एरोनाटिकल डिवीजन में तकनीकी अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे, दिनांक 1-2-1976 के अपराह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक निवृत्त हो गए हैं।

सं० ई० (1)04287—वेधशालाओं के महानिदेशक, प्रादेशिक, मौसम केन्द्र, मद्रास के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री वी० सुन्दरेसा राव को 1-3-76 के पूर्वाह्न से 9-4-76 तक 40 दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री सुन्दरेसा राव, स्थानापन्न सहायक मौसम विशेषज्ञ, निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, मद्रास में ही तैनात रहेंगे।

जी० आर० गुप्ता
मौसम विशेषज्ञ
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1976

सं० ए०-32013/1/75-ई० एस०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक विमान निरीक्षकों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से तथा अगले आदेश होने तक नियमित आधार पर स्थानापन्न विमान निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	वर्तमान तैनाती स्टेशन
1.	श्री एन० जयसिम्हा, सहायक विमान निरीक्षक, बंगलौर	12-1-76 (पूर्वाह्न)	निरीक्षण कार्यालय, कानपुर।
2.	श्री एस० के० मुकर्जी, सहायक विमान निरीक्षक, बम्बई	4-2-76 (पूर्वाह्न)	निरीक्षण कार्यालय, बम्बई।

दिनांक 15 मार्च 1976

सं० ए०-32014/2/75-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री एस० एन० सिंह, तकनीकी सहायक, वैमानिक संचार स्टेशन, वाराणसी को दिनांक 24 फरवरी 1976 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेश होने तक, नियमित आधार पर सहायक तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है और उन्हें उसी स्टेशन पर तैनात किया है।

हरबंस लाल कोहली,
उप-निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1976

सं० ए० 32013/3/75-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित 10 तकनीकी अधिकारियों को जो तदर्थ आधार पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, 2 फरवरी, 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक

उनके नामों के सामने दिए गए स्थानों पर नागर विमानन विभाग में नियमित आधार पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है :—

1. श्री आर० एस० अजमानी—बम्बई
2. श्री के० रामालिंगम—कलकत्ता
3. श्री एस० रामाचन्द्रन—रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली
4. श्री एच० वी० सुदर्शन—बम्बई
5. श्री एस० के० चन्द्र—कलकत्ता
6. श्री सुरेश चन्द्र—इलाहाबाद
7. श्री जी० वी० कोशी—सफदरजंग, नई दिल्ली
8. श्री ए० के० मिश्रा—रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली
9. श्री पी० आर० सूर्यनन्दन—रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली
10. श्री के० वी० राव—रेडियो निर्माण एवं विकास एकक, नई दिल्ली

हरबंस लाल कोहली,
उपनिदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1976

सं० ए०31013 5/75-ई० एच०—राष्ट्रपति ने श्री वी० एन० कपूर, स्थानापन्न निदेशक, वैमानिक निरीक्षण, नागर विमानन विभाग को 6 अगस्त, 1975 से उसी ग्रेड में स्थायी आधार पर नियुक्त किया है।

दिनांक 20 मार्च 1976

सं० ए०-32013/2/76-ई० एच०—राष्ट्रपति ने श्री एस० मुखोपाध्याय, उपनिदेशक, उपस्कर को 2 मार्च 1976 के पूर्वाह्न से 20 सप्ताह के लिए अथवा श्री एस० वेंकास्वामी निदेशक, उपस्कर, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रादेशिक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा गया है, के प्रतिनियुक्ति-अवधि समाप्त होने पर कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नागर विमानन विभाग में तदर्थ आधार पर निदेशक, उपस्कर के पद पर नियुक्त किया है।

दिनांक 25 मार्च 1976

सं० ए०-32013/11/74-ई० एच०—राष्ट्रपति ने श्री एन० एम० वलेचा को 20 मार्च, 1976 पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश होने तक, नागर विमानन विभाग के अनुसंधान एवं विकास निदेशालय में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 26 मार्च 1976

सं० ए०-32013/5/75-ई० एच०—राष्ट्रपति ने श्री एस० के० नियोगी, नियंत्रक संचार, मद्रास को दिनांक 17 मार्च 1976 (पूर्वाह्न) से 31 मई 1976 तक या नियमित नियुक्ति होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, नागर विमानन विभाग में तदर्थ आधार पर निदेशक वैमानिक संचार के पद पर नियुक्त किया है।

टी० एस० श्रीनिवासन,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1976

सं० ए०-32013/7/75-ई० ए०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की विमानक्षेत्र अधिकारी के पद पर नियुक्ति की अवधि 31 मार्च, 1976 तक अथवा इन पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इन में जो भी पहले हो, बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है :—

क्रम सं०	नाम	तैनाती स्टेशन
1.	श्री एल० ए० लोबो	बम्बई एयरपोर्ट, बम्बई
2.	श्री आर० डी० नायर	बम्बई एयरपोर्ट, बम्बई
3.	श्री अमीर चन्द	चंडीगढ़
4.	श्री के० के० सक्सेना	दिल्ली एयरपोर्ट, पालम
5.	श्री ए० एम० थामस	तिरुपति
6.	श्री एम० एम० शर्मा	आगरा

दिनांक 15 मार्च, 1976

सं० ए०-31013/1/75-ई० ए०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को नागर विमानन विभाग के विमान-मार्ग एवं विमानक्षेत्र संगठन में 27 दिसम्बर 1975 से उपनिदेशक/नियंत्रक विमान क्षेत्र के ग्रेड में स्थायी रूप म नियुक्त किया है :—

1. श्री पी० के० रामाचन्द्रन
2. श्री जी० एस० गुप्ता
3. श्री जे० एस० चौधरी
4. श्री बी० एन० कक्कड़
5. श्री डी० एन० भारद्वाज
6. श्री जे० एस० कपूर
7. श्री बी० कृष्णास्वामी

विश्व विनोद जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 10 मार्च 1976

सं० 1/402/76-स्था०—श्री एस० ब्रह्मचारी को 30 दिसम्बर 1975 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक कलकत्ता शाखा में अस्थायी रूप से सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है।

पु० ग० दामाले,
महानिदेशक

बम्बई, दिनांक 22 मार्च 1976

सं० 1/367/76-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा बम्बई शाखा के स्थायी पर्यवेक्षक, श्री आर० एल० मेनेजेस को एक अल्पकालीन रिक्त स्थान पर 1-12-75 से लेकर 21-2-76 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

एम० एस० कृष्णस्वामी,
प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

बम्बई दिनांक मार्च 1976

सं० 1/369/76-स्था०—विदेश संचार सेवा के एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के स्थायी पर्यवेक्षक श्री भगत सिंह को एक अल्पकालीन रिक्त स्थान पर 13-1-76 से लेकर 7-2-76 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 8 मार्च 1976

सं० 1/389/76-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा पूना शाखा के स्थानापन्न तकनीकी सहायक, श्री पी० एल० वी० प्रसाद को अल्पकालीन रिक्तियों पर 3-10-1975 से लेकर 13-2-1976 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

पा० कि० गो० नायर,
उप निदेशक (प्रशा०)
कृते महानिदेशक।

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 31 मार्च 1976

सं० 16/241/75-स्थापना-1—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून डा० पद्माकर पाण्डे को दिनांक 1 मार्च 1976 के पूर्वाह्न से सहर्ष वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून में अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

पी० आर० के० भटनागर,
कुलसचिव
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

शिलांग, दिनांक 18 सितम्बर 1975

सं० 6/75—केन्द्रीय आबकारी कलक्टरेट शिलांग के अस्थायी कार्यालय अधीक्षक श्री एम० सी० देब के अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न रूप में केन्द्रीय आबकारी प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी-II) नियुक्त किया गया, श्री एम० सी० देब ने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में दिनांक 8-9-75 (पूर्वाह्न) को आगरतला में कार्यभार संभाला।

एस० सी० नियोगी,
समाहर्ता

बड़ौदा, दिनांक 13 फरवरी/6 मार्च 1976

सं० 3/16—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक श्री बी० आर० त्रिवेदी, ने जिनको इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 317/75 दिनांक 19-11-75 के अधीन, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वर्ग-II के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 22-1-76 की पूर्वाह्न में अहमदाबाद समाहर्तालय के मुख्यालय में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग-II का कार्य भार संभाल लिया है।

दिनांक 25 फरवरी 1976

सं० 4/76—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालय अधीक्षक, श्री आर० एच० देसाई ने जिनको इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 348/75 दिनांक 26-12-75 के अधीन प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वर्ग-II के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 27-1-1976 की पूर्वाह्न में, अहमदाबाद समाहर्तालय के जामनगर सीमा शुल्क मण्डल में, प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, वर्ग-II का कार्यभार संभाल लिया है।

ह० अपठनीय
कृते समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
बड़ौदा

इलाहाबाद, दिनांक 15 मार्च 1976

सं० 13/1976—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मण्डल कार्यालय, लखनऊ में अधीक्षक (तकनीकी) के रूप में तैनात श्री बी० एन० मिश्र, स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, वर्ग 'ख' ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मण्डल कार्यालय, लखनऊ के अधीक्षक (तकनीकी) के कार्यालय का कार्यभार दि० 29-2-76 को दोपहर के बाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, लखनऊ के श्री ए० एम० [illegible] वारसी, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, वर्ग 'ख' को सौंप दिया और वे उसी तारीख और समय से सरकारी सेवा से निवृत्त

हो गए । श्री ए० एम० के० वारसी, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, अधीक्षक (तकनीकी), केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, लखनऊ के अतिरिक्त कार्यभार को अगला आदेश होने तक देखेंगे ।

दिनांक 20 मार्च 1976

सं० 15/1976—इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या दो (3) 319-स्था/71/1342-48, दि० 10-1-1975 के अधीन जारी की गई कार्यालय अधिसूचना संख्या 8/1975, दि० 7-1-1975 को रद्द करते हुए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मण्डल कार्यालय, गोरखपुर में तैनात श्री जी० पी० दरबारी, स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, वर्ग 'ख' को इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या (6दो) स्था० 2/75/पार्ट-1/38704, दि० 4-10-1975 के अधीन जारी किए गए स्थापना आदेश संख्या 115/1975 दि० 4-10-1975 के अनुसार रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतन में रु० 810/- के वेतन स्तर पर दि० 1-1-1974 से दक्षता रोध पार करने की अनुमति दी जाती है ।

सं०-19/1976—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेकित मण्डल कार्यालय, मुरादाबाद में पूर्व तैनात और इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या दो (3) 2-स्था०/75, दि० 28-11-1975 के अन्तर्गत जारी किए गए स्थापना आदेश संख्या 334/1975, दि० 27-11-1975 के अनुसार आगामी आदेश होने तक के लिए रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क श्रेणी दो (अब वर्ग 'ख') के रूप में नियुक्त श्री रघुनन्दन प्रसाद कपूर, स्थायी निरीक्षक (चयन ग्रेड) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ने समेकित मण्डल कार्यालय, रामपुर में दि० 31-12-1975 को (दोपहर के पहले) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, वर्ग 'ख' के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

एच० बी० दास,
समाहर्ता

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 20 मार्च 1976

सं० क-12017/5/76-प्रशा० पांच—इस आयोग की अधिसूचना सं० क-12017/1/72-प्रशा० पांच (खंड-दो) दिनांक 16-10-1975 के अनुक्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा श्री एम० भौमिक को केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक-रसायन ग्रुप) के ग्रेड में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में नितांत अस्थाई तथा तदर्थ रूप से स्थानापन्न होने के लिए 1-1-1976 से 31-3-1976 की आगामी अवधि के लिए अथवा पद के नियमित रूप से भरे जाने तक—जो भी पहले हो—नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 24 मार्च 1976

सं० क-12017/6/76-प्रशा० पांच—इस आयोग की अधिसूचना सं० क-19012/553/75-प्रशा० पांच दिनांक 21-1-76 के अनुक्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा श्री एस० के देव, वरिष्ठ अनुसंधान सहायक को केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक—भौतिकी ग्रुप) के ग्रेड में स्थानापन्न होने के लिए 650-30-740-35-810-द० रो-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में पूर्णतया अस्थाई तथा तदर्थ रूप में 1-3-76 से 31-8-76 की आगामी अवधि तक अथवा श्री पी० जे० देसाई के सहायक अनुसंधान अधिकारी (भौतिकी) के पद पर प्रत्यावर्तित होने तक—जो भी पहले हो—नियुक्त करते हैं ।

सं० क०-12017/6/76-प्रशा० पांच—इस आयोग की अधिसूचना सं० क-19012/556/75-प्रशा० पांच दिनांक 24-1-76 के अनुक्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एतद्द्वारा श्री जी० एम० कोटवार, अनुसंधान सहायक को केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला, पूना में सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक—भौतिकी ग्रुप) के ग्रेड में स्थानापन्न होने के लिए 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में पूर्णतया अस्थाई तथा तदर्थ रूप में 1-3-76 से 31-8-76 की आगामी अवधि तक अथवा श्री के० एस० मुत्ता की आयोग में वापसी तक—जो भी पहले है—नियुक्त करते हैं ।

जसवंत सिंह,
अवर सचिव
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 6/16/75-प्रशासन-2—अध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, एतद्द्वारा सर्वश्री एस० चक्रवर्ती तथा आशा सिंह, मुख्य नक्शा नवीसों को तारीख 6-3-76 के पूर्वाह्न से अतिरिक्त सहायक निदेशक (नक्शा/सामान्य) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 30 मार्च 1976

सं० 6/2/76-प्रशासन-दो—अध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, श्री ए० एस० सीहरा, तकनीकी सहायक को केन्द्रीय विद्युत् इन्जीनियरी श्रेणी-दो सेवा के अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड में 18-3-1976 के अपराह्न से, एतद्द्वारा, नियुक्त करते हैं ।

सं० 6/2/76-प्रशासन—अध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण एतद्द्वारा श्री इन्द्रजीत शर्मा तकनीकी सहायक को तारीख 1-3-76 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी श्रेणी 2 सेवा के अतिरिक्त सहायक अभियन्ता के ग्रेड में नियुक्त करते हैं ।

सन्तोष विश्वास,
अवर सचिव

सवारी डिब्बा कारखाना

महा प्रबन्धक का कार्यालय

(कार्मिक शाखा/शेल)

मद्रास-38, दिनांक मार्च 1976

सं० का० शा०/रा०सा०/9/विविध-II—श्री आर० सी० टंडन, स्थानापन्न अतिरिक्त मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/सी० व डब्ल्यू (व० मा०-स्तर-II) को दक्षिण रेलवे से स्थानांतरण करके रिपोर्ट किया गया है और उन्हें स्थानापन्न अतिरिक्त मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/स० डि० का० (व० मा०-स्तर-II) के पद पर दिनांक 20 फरवरी 1976 के अपराह्न से तैनात किया गया है।

श्री सी० शंकरन, स्थानापन्न कल्याण निरीक्षक (श्रेणी III) जिनका नाम अस्थाई रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी के पद के लिए नामिका में दर्ज किया गया है, को श्रेणी II सेवा में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी/आरक्षण (श्रेणी II) के पद पर ता० 26-2-1976 से पदोन्नति की गई है।

एस० सुब्रमणियन

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

कृते महा प्रबंधक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 1976

सं० 5—श्री जे० सी० भारद्वाज, सहायक कार्मिक अधिकारी (दर्जा-II) रेलवे सेवा से 29-2-76 (अपराह्न) से अन्तिम रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दिनांक 22 मार्च 1976

सं० 6—उत्तर रेलवे के सहायक भण्डार नियंत्रक (दर्जा II) श्री बी० आर० शर्मा 29-2-1976 अपराह्न से अन्तिम रूप से रेल सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

वी० पी० साहनी,

महाप्रबन्धक

मध्य रेलवे

महा प्रबन्धक का कार्यालय

बम्बई वी० टी०, दिनांक 30 मार्च 1976

सं० एच० पी० बी०/220/जी०/आई०/एल—भारतीय रेल विद्युत् इंजीनियरी सेवा के निम्नलिखित सहायक विद्युत् इंजीनियरों को (परिवीक्षा पर) कनिष्ठ वेतनमान में उनके सामने दी गई तारीख से स्थायी किया जाता है :

क्रमांक	नाम	कनिष्ठ वेतनमान में स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री रमेश चन्द्र	8-1-1973
2.	श्री रविकुमार सरीन	7-1-1974
3.	श्री जसपाल सिंह	4-12-1974

कृष्ण चन्द्र,

महा प्रबन्धक

पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय

पूर्ति विभाग

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

कलकत्ता-27, दिनांक 18 मार्च 1976

सं० जी०-65/वी (कान)—श्री डी० एस० मजुमदार वैज्ञानिक सहायक (भौतिकी)—जिसका नाम अभी वैज्ञानिक सहायक (यांत्रिक) हो गया है—राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता जो कि राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता की सूचना सं० जी०-65/वी (कान) दिनांक 24-6-74 के अनुसार दिनांक 31-5-74 से उसी कार्यालय में वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)—जिसका नाम अभी वैज्ञानिक अधिकारी (यांत्रिक) हो गया है—के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए थे पुनः दिनांक 28-2-76 के अपराह्न से उसी कार्यालय में वैज्ञानिक सहायक (यांत्रिक) के रूप में परिणित किए गए।

ए० के० भट्टाचार्य,

युग्म निदेशक

कृते निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी लॉ बोर्ड)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

बम्बई-2, दिनांक 22 मार्च 1976

सं० 1079/560(4)—यतः जनता मोटर सर्विस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय क्लाथ मार्केट मानवार महाराष्ट्र में है, का समापन किया जा रहा है। और यतः अधोहस्ताक्षरित यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक रखता है कि कम्पनी के कामकाज का पूरी तौर से समापन कर दिया गया है, और यह कि कम्पनी के दिनांक 8-1-71 तथा पश्चात् के खातों का विवरण पत्र समापक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित है, छह क्रमवर्ती मास के लिए नहीं दी गई है।

अतः अब कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना की तारीख से तीन मास के अवसान पर जनता मोटर सर्विस कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० नारायणन,

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और वि फिल्म क्राफ्टस्मेन प्राइवेट लिमिटिड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 23 मार्च 1976

सं० 938 टी० (560)—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतत्द्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर दि फिल्म क्राफ्टस्मेन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

ओ० पी० जैन,
कम्पनी रजिस्ट्रार,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

कम्पनी अधिनियम, 1956 और जास्मिन ट्रान्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 5075/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर जास्मिन ट्रान्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और दी मेजेस्टिक टेक्सटैल्स् लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 4938/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर दी मेजेस्टिक टेक्सटैल्स् लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और नवशक्ति कमर्शियल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 4768/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नवशक्ति कमर्शियल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दीं जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और टी० के० आर० जी० ट्रान्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 4715/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर टी० के० आर० जी० ट्रान्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मनि मुरली ट्रान्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 26 मार्च 1976

सं० 4468/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसन पर मनि मुरली ट्रान्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बुलबुल्स रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 26 मार्च 1976

सं 4722/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बुलबुल्स रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और थेनमोझि चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 4664/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर थेनमोझि चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मिरान एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 5109/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मिरान एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पान्डियन फर्टिलाइजर्स एण्ड आइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 4860/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पान्डियन फर्टिलाइजर्स एण्ड आइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और शकुन्तला रोडवेज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 4091/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर शकुन्तला रोडवेज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और संजीवि ट्रासपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 4725/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के उपधारा (3) की अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर संजीवि ट्रान्सपोर्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सेविन्स पर्मानेन्ट फन्ड (सि० बि० इ०) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 4749/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर सेविन्स पर्मानेन्ट फन्ड (सि० बि० इ) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित की जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मुसिरि पुलिवलाम ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 3750/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मुसिरि पुलिवलाम ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और यु० टी० एस० बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 4775/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर यु० टी० एस० बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और ईस्ट कोस्ट इन्जीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास-6, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 5325/560(3)/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर ईस्ट कोस्ट इन्जीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० श्रीनिवासन,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार, मद्रास

कम्पनी अधिनियम 1956 और न्यू अंगरपथरा कीलियारी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पटना, दिनांक 29 मार्च 1976

सं० 1(900) 75-76/9436—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप-धारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यू अंगरपथरा कीलियारी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

सत्य प्रकाश तायल
कम्पनी निबंधक, बिहार, पटना

आयकर आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 1975

(आयकर)

सं० जुरि०-दिल्ली/2/75-76/36—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2 नई दिल्ली निदेश देते हैं कि दिनांक 8-8-75 से निम्नलिखित आयकर सर्किलों का सृजन किया जायेगा।

1. न्यास सर्किल—1. नई दिल्ली।
2. न्यास सर्किल—2, नई दिल्ली।

दिनांक 20 अगस्त 1975

शुद्धि-पत्र

सं० जुरि०-दिल्ली/2/75-76/11499—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या जुरि०-दिल्ली/2/75-76/37 दिनांक 12-8-75 के कालम 2 में "क्रम संख्या 6 की प्रविष्टि हटा दी गई है तथा उसके स्थान पर क्रम संख्या '7' को क्रम संख्या '6' के रूप में पढ़ा जायेगा"।

आदेश

सं० जुरि०-दिल्ली/2/75-76/11852—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 वां) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस कार्यालय के आदेश संख्या ई० 1/जुरि०/दिल्ली/1970-71/5051-बी० दिनांक 29 जून 1970 में आंशिक तरमीम करते हुए आयकर आयुक्त दिल्ली-2 निदेश देते हैं कि जिन निर्धारितियों के नाम अंग्रेजी के 'एस०' अक्षर से आरम्भ होते हैं और जो 20-8-75 से पहले आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6 (10) एडिशनल, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में थे उनके बारे में तथा यदि इस प्रकार का कोई निर्धारिती कोई साझेदारी फर्म हो तो उस फर्म के साझेदारों के बारे में भी, उनके नाम चाहे किसी भी अक्षर से शुरू होते हों, आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6 (9) नई दिल्ली अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे किन्तु आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6 (10) एडिशनल, नई दिल्ली उनके बारे में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे।

परन्तु इस आदेश से उन निर्धारितियों के बारे में आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6 (10) एडिशनल, नई दिल्ली के वर्तमान क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके नाम अँग्रेजी के 'एस०' अक्षर से शुरू होते हैं और जो ऐसी साझेदारी फर्म में साझेदार हों जिसका नाम अँग्रेजी के 'एस०' अक्षर के अतिरिक्त अन्य किसी भी अक्षर से शुरू होता हो बशर्ते कि ऐसे फर्म इस आदेश के लागू होने की तारीख को आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6 (10) एडिशनल, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो।

यह आदेश 20-8-75 से लागू होगा।

दिनांक 1 अक्तूबर 1975

सं० जुरि० दिल्ली/2/75-76/14095—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों और बोर्ड की दिनांक 29-9-75 की अधिसूचना संख्या 187/2/74-आई० टी० (ए०-1) को ध्यान में रखते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2, नई दिल्ली इस कार्यालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या जुरि० दिल्ली/2/74-75/544 दिनांक 5-8-1974 के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

उक्त अनुसूची में, आई० ए० सी० दिल्ली रेन्ज-2-ए० नई दिल्ली के सामने कालम-2 के इन्दराजों के बदले निम्नलिखित इन्दराज रखे जाएगें :—

रेन्ज	आयकर डिस्ट्रिक्ट/सर्किल
1	2
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त दिल्ली रेन्ज-2-ए० नई दिल्ली	1. कम्पनी सर्किल 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 21 और 22 नई दिल्ली। 2. विशेष सर्किल 1, 1 (अतिरिक्त) 2, 2(अतिरिक्त) और 7 नई दिल्ली 3. ठेकेदार सर्किल नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1975 से लागू होगी।

दिनांक 13 नवम्बर 1975

सं० जुरि०-दिल्ली/2/74-75/20556—आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6 (10), नई दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र के बारे में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 या 127 के अंतर्गत जारी किए गए पहले के सभी आदेशों में परिवर्तन करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2 निदेश देते हैं जिन निर्धारितियों के नाम अंग्रेजी के 'ओ० 'पी०' या 'क्यू०' में से किसी भी अक्षर से शुरू होते हैं तथा जो 15-11-75 से पहले आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6 (10) के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत थे उनके बारे में, इस आदेश के लागू होने की तारीख से, आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6(1) अपने कार्य करेंगे किन्तु आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6(10) उनके बारे में अपने कार्य नहीं करेंगे।

परन्तु इस आदेश से उन निर्धारितियों के बारे में आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6(10) के वर्तमान अधिकार-क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके नाम अंग्रेजी के 'ओ०' 'पी०', या 'क्यू०', अक्षर से शुरू होते हैं और जो ऐसी साझेदारी फर्म में साझेदार हों जिनका नाम अंग्रेजी के 'ओ०', 'पी०' या 'क्यू' के अतिरिक्त अन्य किसी भी अक्षर से शुरू होता हो बशर्ते कि ऐसी फर्म इस आदेश की तारीख को उक्त आयकर अधिकारी के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत हो।

यह आदेश 15-11-75 से लागू होगा।

दिनांक 14 नवम्बर 1976

सं० जुरि०-दिल्ली/2/74-75/20761—आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-6(10), नई दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र के बारे में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 या 127 के अंतर्गत जारी किए गए पहले के सभी आदेशों में परिवर्तन करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त दिल्ली-2 निदेश देते हैं कि जिन निर्धारितियों के नाम अंग्रजी के 'के०' अक्षर से शुरू होते हैं तथा जो 15-11-75 से पहले आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6(10) के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत थे उनके बारे में, इस आदेश के लागू होने की तारीख से, आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6(5) अपने कार्य करेंगे किन्तु आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6(10) उनके बारे में अपने कार्य नहीं करेंगे।

परन्तु इस आदेश से उन निर्धारितियों के बारे में आयकर अधिकारी डिस्ट्रिक्ट-6(10) के वर्तमान अधिकार-क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनके नाम अंग्रेजी के 'के०' अक्षर से शुरू होते हैं और जो ऐसी साझेदारी-फर्म में साझेदार हों जिनका नाम अंग्रेजी के 'के०' के अतिरिक्त अन्य किसी भी अक्षर से शुरू होता हो बशर्ते कि ऐसी फर्म इस आदेश की तारीख को उक्त आयकर अधिकारी के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत हो।

यह आदेश 15-11-75 से लागू होगा।

सं० जुरि० दिल्ली/2/75-76/20924—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2 नई दिल्ली निदेश देते हैं कि ठेकेदार सर्किल, नई दिल्ली को निम्नलिखित दो वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

1. ठेकेदार सर्किल, वार्ड-ए०
2. ठेकेदार सर्किल वार्ड-बी०

यह आदेश 15-11-75 से लागू होगा।

फा० सं० जुरि०-दिल्ली/2/75-76/21175—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी आदेशों/अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-2 निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी उक्त अनुसूची के कालम-3 में निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों और मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेंगे। इनके अंतर्गत वे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग, मामले या मामलों के वर्ग शामिल नहीं होंगे जो उक्त अधिनियम की धारा 127 के अंतगत किसी अन्य आयकर अधिकारी को सौंप दिए गए हों या इसके बाद सौंपे जाएँ।

क्रम सं०	आयकर अधिकारी का पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3
1.	आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल वार्ड-ए०, नई दिल्ली	(क) आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल, दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग और मामले या मामलों के वर्ग जिनके नाम अंग्रेजी के 'ए' से लेकर 'एम' तक (दोनों को मिलाकर) किसी भी अक्षर से शुरू होते हों। (ख) उपर्युक्त मद (क) के अंतर्गत आने वाली फर्मों के साझेदार सभी व्यक्ति।
2.	आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल वार्ड-बी०, नई दिल्ली	(क) आयकर अधिकारी, ठेकेदार सर्किल दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग और मामले या मामलों के वर्ग जिनके नाम अंग्रेजी के 'एन' से लेकर 'जेड' तक (दोनों को मिलाकर) किसी भी अक्षर से शुरू होते हों। (ख) उपर्युक्त मद (क) के अंतर्गत आने वाली फर्मों के साझेदार सभी व्यक्ति।

यह अधिसूचना 15-11-75 से लागू होगी।

जगदीश चन्द
आयकर आयुक्त, दिल्ली-2
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1975

(आयकर)

सं० जुरि०-दिल्ली/3/75-76/18963—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर पहले जारी किए गए सभी आदेशों/अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते-हुए आयकर आयुक्त, दिल्ली-3 निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी उक्त अनुसूची के कालम-3 में निर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों और मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने कार्य करेंगे। इनके अंतर्गत वे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग, आय या आय के वर्ग, मामले या मामलों के वर्ग शामिल नहीं होंगे जो उक्त अधिनियम की धारा 127 के अंतर्गत किसी अन्य आयकर अधिकारी को सौंप दिए गए हैं।

अनुसूची

क्रम सं०	आयकर अधिकारी का पदनाम	अधिकार-क्षेत्र
1	2	3
1.	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-3(7), नई दिल्ली	आयकर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट-3(35) नई दिल्ली को सौंपे गए क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग आय या आय के वर्ग और मामले या मामलों के वर्ग जिनके नाम अंग्रेजी के 'एम' अक्षर से शुरू होते हैं तथा 'एम' अक्षर के अंतर्गत सूचीबद्ध फर्मों के सभी साझेदारों के मामले।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1975 से लागू होगी।

जे० सी० लूथर
आयकर आयुक्त, दिल्ली-3
नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1975

(आयकर)

सं० जुरि०-दिल्ली-4/75-76/14196—आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43 वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों और बोर्ड की दिनांक 29-9-75 की अधिसूचना संख्या 187/2/74-आई० टी० (ए०-1) को ध्यान में रखते हुए आयकर आयुक्त दिल्ली-4, नई दिल्ली इस कार्यालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या जुरि० दिल्ली/4/74-75/546 दिनांक 5-8-74 के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

उक्त अनसूची में, आई० ए० सी० दिल्ली रेन्ज-4(ए०), नई दिल्ली के सामने कालम-2 के इन्दराजों के बदले निम्न-लिखित इन्दराज रखें जाएंगें।

रेन्ज	आयकर डिस्ट्रिक्ट/सर्किल
1	2
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त दिल्ली रेन्ज 4-ए० नई दिल्ली	1. डिस्ट्रिक्ट-5, नई दिल्ली। 2. विशेष सर्किल 6 तथा 6 (अतिरिक्त) नई दिल्ली।

यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1975 से लागू होगी।

एस० एस० सेठ
आयकर आयुक्त, दिल्ली-4
नई दिल्ली

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 19 मार्च 1976

निर्देश सं० ए०सी० क्यू० 23-1-920(304)/1-1/75-76—
यतः मुझे जे० कथूरिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० सर्वे नं० 116-1 (भाग), फाइनल प्लाट नं० 219, टी० पी० एस० नं० 8, है जो दरीयापुर काजीपुर, सिविल अस्पताल के पास, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-7-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) 1. श्री ईश्वर लाल मोहन लाल परमार,
2. श्री मंगलदास मोहनलाल परमार,
3. श्री मोतीलाल मोहनलाल परमार,
4. श्री सोम चंद मोहनलाल परमार,
5. श्री चंदू लाल मोहनलाल परमार,
गजानन्द हाऊसिंग सोसायटी,
गिरधर नगर, अहमदाबाद। (अन्तरक)

(2) 1. श्री मनाभाई छगनलाल मकवाणा,
पुरानी आयोर्दय नी चाली, अहमदाबाद।
2. श्री मणीलाल खोयाभाई, हीरा मास्टर
नी चाली,
एरोड्रम के पास, अहमदाबाद।
3. श्री अम्बालाल दाणाभाई परमार,
उत्तर गुजरात वीरमाया,
को० आप० हाऊसिंग सोसायटी,
नया सिविल अस्पताल के पीछे,
अहमदाबाद।
4. श्री वाहोला खोड़ाभाई कुबेरभाई,
प्रीतम पुरा सोसायटी नं० 2,
गिरधर नगर, अहमदाबाद।
5. मणीलाल मूलजीभाई,
सूर्यनगर—नगर सोसायटी,
शाही बाग, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक स्थायी पट्टे वाली अचल सम्पत्ति जो 949 वर्ग गज भूमि, पर स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 116-1, (भाग) फायनल प्लाट नं० 219, टी० पी० एस० नं० 8 है तथा जो दरीयापुर काजीपुर, असारवा, सिविल—अस्पताल के पास, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—1, अहमदाबाद।

तारीख : 19-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 मार्च 1976

सं० 298/ए० सी० क्यू० 23-642/19-7/75-76---अतः, मुझे पी० एन० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० नोंछ नं० 1934/बी०/3 वार्ड नं० 2 है, तथा जो मजूरा क्षेत्रपाल रोड, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-7-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. (1) श्री हीराबेन, उत्तम भाई छोटूभाई की पत्नी
   (2) उत्तम भाई छोटू भाई, स्वयं और भूपेन्द्र, रमीला, तारा लता, सभी सगीरों के वाली की हैसियत से
   (3) कलुमति उत्तम भाई, (अन्तरक)
   क्षेत्रपाल सूरत

2. मै० कृष्णा कार्पोरेशन, भागीदारी पेटी, नानावत मेन रोड, सूरत की ओर से उसके भागीदार :
   1. श्रीमति छायाबेन कान्तीलाल पटेल
   2. श्रीमति लीलाबेन अश्वीनभाई पटेल
   3. श्रीमति कमलबेन अरुनभाई प्रधान
   4. श्री अनील कान्तीलाल पटेल
   5. श्रीमती कृष्णा नंद यशवंतराव ।

(अन्तरिती)

4. (1) श्री धनसुखदास चिमन लाल
   (2) विस्को लैण्ड कार्पोरेशन की ओर से उसके सहियारी :
   शशीकान्त चिमनलाल
   निर्मला सुघन चन्द शाह,
   कंफरमिंग पार्टी ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंछ नं० 1934/बी०/3, वार्ड नं० 2, कुल माप 220 वर्ग गज है और जो मजूरा क्षेत्रफल रोड, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के जुलाई 1975 के रजिस्ट्रीकृत विचख नं० 2393 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद ।

तारीख : 18-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद ।

अहमदाबाद, दिनांक 18 मार्च, 1976

निदेश सं० 299/ए० सी० क्यू० 23-643/19-7/75-76—अतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नींध नं० 1934/बी०/3 वार्ड नं० 2 है, तथा जो मजूरा-क्षेत्रफल रोड, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) निर्मला सुधन चन्द शाह
नगीनचन्द्र चिमनलाल शाह
भांसोली पोल, गोपीपुरा, सूरत (अन्तरक)

(2) कृष्णा कार्पोरेशन, भागीदारी पेढ़ी,
नानावट मेन रोड, सूरत की ओर से
उसके भागीदार :
1. श्रीमति छायाबेन कान्ती लाल पटेल
2. श्रीमती लीलाबेन अश्वीनभाई पटेल,
3. श्रीमति कमलबेन अरुण भाई प्रधान ,
4. श्री अनील कान्तीलाल पटेल,
5. श्रीमती कृष्णानंद यशवंतराव.

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नींध नं० 1934/बी०/3, वार्ड नं० 2, और कुल माप 215 वर्ग गज है तथा जो मजूरा–क्षेत्रफल रोड सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के जुलाई 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2392 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद ।

तारीख : 18-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 1 अप्रैल 1976

निर्देश सं० एफ०डी०के०/277/75-76—यतः, मुझे बी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जमीन है तथा जो कोट कपूरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में, सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती करतार कौर पत्नी श्री हरनाम सिंह
   पुत्र श्री विशन सिंह
   वासी कोट कपूरा मार्फत
   श्री हरी सिंह, वासी पटियाला (अन्तरक)
2. श्री अजैब सिंह पुत्र श्री महा सिंह पुत्र श्री किशन सिंह
   गांव डाकखाना बंडर जताना
   जिला फरीदकोट
   और श्री ज्योति प्रकाश पुत्र श्री राम विशन
   पुत्र श्री वासदेव
   वासी फरीद कोट
   मार्फत श्री प्रीतम सिंह, सैक्रेटरी,
   मारकेट कमेटी, कोटकपूरा। (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 पर है, और किरायेदार यदि कोई हो।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
   (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2088, जुलाई, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फरीदकोट में लिखा है।

बी० आर० सगर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 1-4-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-5, बम्बई

बम्बई, दिनांक 22 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० 5/363/20/75—अतः मुझे जे० एम० मेहरा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नं० 5 दि० नं० 3 (पार्ट) सी० एस० नं० 102 (पार्ट) है, जो मोहल विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्री इस डीसोज़ा (अन्तरक)
2. (1) गयादीन अलगु मौर्या
   (2) पुरुसोतम कुमार गयादीन मौर्या (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची I

जमीन अथवा मैदान का वह तमाम भाग अथवा खंड जो कि, पेमाइश में 2508 वर्ग गज अर्थात् 2097 वर्ग मीटर या उसके बराबर है, और जो बम्बई उप नगर के रजिस्ट्रेशन जिला और उप जिला के जिल्हा साउथ साल्टटे के ग्राम मोहल में साकी विहार रोड (जिसे ग्राम खैरानी रोड के नाम से जाना जाता है) में स्थित एवं अवस्थित है, उसका सर्वेक्षण सं० 5 हि० सं० 3 पार्ट सी० एस् नं० 102 पार्ट और जिसकी सिमाएं इस प्रकार से आ गई है, कि उत्तर में अंशतः वह जमीन है जिसका सर्वेक्षण सं० 5 हि० सं० 1 है, और अंशतः वह जमीन है, जिसका सर्वेक्षण सं० 5 हि० सं० 4 है, दक्षिण में ऊपर कहा गया खैरानी रोड है, पश्चिम में हिंदुस्तान आइल मिल्स की प्रापर्टी है और अंशतः वह प्रापर्टी है जिसका सर्वेक्षण सं० 4 हि० सं० 4 है, और जिसका विस्तार से वर्णन नीचे दी गयी अनुसूची में दिया गया है, और पूर्व में अंशतः वह प्रापर्टी है जिसका सर्वेक्षण सं० 5 हि० सं० 5 है, और अंशतः वह प्रापर्टी है, जिसका सर्वेक्षण सं० 4 हि० सं० 1 है, और जिसके साथ अनुबद्ध लौन में लाल रेखाओं की बाऊंडरी रूप में दिखाया गया है ।

अनुसूची II

बम्बई उप नगर के रजिस्ट्रेशन जिल्हा और उप जिला में जिला साउथ सालस्टे में साकी ग्राम साकी विहार रोड (जिसे आप खराजी रोड कहते हैं) में स्थित एंव अवस्थित भूमी अथवा मैदान का वह तमाम भाग अथवा खंड जो कि पैमाइश में 410.75 वर्ग गज अर्थात् 344.44 वर्ग मीटर के बराबर है, इसका सर्वेक्षण सं० 4 हि० सं० 4 सी० एस० सं० 103 (11, 12) है, और उसकी सिमाएं इस प्रकार से घिरी हुई है, कि उत्तर में जमीन है, जिसका स० सं० 4 हि० सं० 1 पार्ट है, दक्षिण में ऊपर बताया गया खैरानी रोड है, पश्चिम में हिन्दुस्तान आइल मिल्स की प्रापर्टी है, और पश्चिम में भूमी है, जिसका सं० स० 4 हि० सं० 1 पार्ट है, और जिसे इसके साथ अनुबद्ध लौन में हरे रंग की बाउन्ड्री रेखा के रूप में दिखाया गया है ।

जे० एम० मेहरा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-5, बम्बई ।

तारीख : 22-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-V, कलकत्ता-16।

कलकत्ता-16, दिनांक 18 मार्च 1976

निर्देश सं० ए० सी० 52/अर्जन रेंज-V/कैल/75-76—यतः मुझे एस० एस० इनामदार
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मौज़ा आगर पाड़ा है तथा जो पी० एस० खर्दा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-7-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैं० बी० एन० एलीयास, एन्ड कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड। (अन्तरक)
2. मैं० ओरीएन्टल मशीनरी एन्ड सिवील कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

35 बीघा, 14 कट्टा 4 छटांक 43 स्क्वे की जमीन एंव बिल्डिंग तथा ओरीएन्टल इलैक्ट्रिक एन्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी नामक सम्पूर्ण बिजिनेस डी० सं० 3853 ओफ 1975 द्वारा रजिस्ट्रीकृत।

एस०एस० इनामदार
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-V रफीअहमद किदवाई, रोड, कलकत्ता-16।

तारीख : 18-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/1116/75-76/यत: मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 4008 का 1/4 भाग है तथा जो गली बन्सी कोयले वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बुध राम, सुपुत्र श्री चान्दु लाल, निवासी 4008, गली बंसी कोयले वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री प्यारे सिंह, सुपुत्र श्री जीवन सिंह, निवासी एस० 101, विशनु गार्डन, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

3. श्री मंगल सैन (2) श्री गोपी राम (3) श्रीमती विद्या।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त, व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सारी जायदाद का 1/4 भाग जिसका नं० 4008, गली बन्सी कोयले वाली, अजमेरी गेट, दिल्ली में स्थित है।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, भोपाल

दिनांक: 17 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/117/75-76—यतः, मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 14/6913 है तथा जो अहाता किदारा, बारा हिन्दु राओ, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हरनाम दास, सुपुत्र श्री ब्रह्म दास, निवासी एस० एफ० 2, शाह बिल्डिंग, चमेलियन रोड, शीदीपुरा, दिल्ली । (अन्तरक)
2. श्रीमती अनीस फातमा, पत्नी श्री नवाबुद्दीन, निवासी 6913, अहाता किदारा, बारा हिन्दु राओ, दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त व्यक्ति, स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक दुमंजिला मकान जोकि 60 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 14/6913 है, अहाता किदारा, बारा हिन्दु राओ, दिल्ली में है । यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० 6914
पश्चिम : मकान नं० 6912
उत्तर : गली
दक्षिण : मकान नं० 6903 ।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 17-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/11/1118/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 83/1ए० है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :–

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या प्रकिया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. हजूर संत सतगुरु मेहर सिंह जी
चेला सतगुरु बाबा बग्गा सिंहजी,
निवासी 803, माडल टाउन, जलन्धर (पंजाब)
इनके जरनल पावर आफ अटारनी श्री चरण दास
के द्वारा, सुपुत्र श्री हजारी मल,
निवासी 493/3, मुख्य बजार, गांधी नगर,
दिल्ली-31। (अन्तरक)

2. श्री अमरजीत तथा राज बाबू,
सुपुत्र श्री सोहन सिंह,
निवासी बी-6/16, राना प्रताप बाग,
दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 957-½ वर्ग गज है, खसरा नं० 2632/53 है, जायदाद नं० 83-1/ए० का भाग कहलाता है, जोकि पंजाबी बाग की आबादी, रोड नं० 83 पर, दिल्ली में स्थित है। यह जायदाद निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : 15' चौड़ी सड़क
पश्चिम : रोड़ नं० 83
उत्तर : 31 फुट चौड़ी रोड़
दक्षिण : अन्य की जायदाद

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

तारीख: 17 मार्च, 1976।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/1119/75-76—
अतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 83-1/बी० है तथा जो पंजाबी बाग, नई दिल्ली म स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. हजूर संत सतगुरु मेहर सिंह जी
चेला सतगुरु बाबा बग्गा सिंहजी,
निवासी 803, माडल टाउन, जलंधर।
इनके जरनल पावर आफ अटारनी
श्री चरण दास के द्वारा, सुपुत्र श्री हजारी मल,
निवासी 493/3, गांधी नगर, मुख्य बाजार,
दिल्ली-31। (अन्तरक)

2. श्री रामेश, सुपुत्र श्री चरण दास, (2) कुमारी
रेनु सुपुत्री श्री चरण दास,
निवासी 83-1/बी०, पंजाबी बाग, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 957-1/2 वर्ग गज है, खसरा नं० 2632/53 है जोकि जायदाद नं० 83-1/बी० का भाग कहलाता है, पंजाबी बाग की आबादी, रोड़ नं० 83 पर, दिल्ली में स्थित है। यह जायदाद निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : 15' चौड़ी रोड़
पश्चिम : रोड़ नं० 83
उत्तर : अन्य की जायदाद
दक्षिण : अन्य की जायदाद

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 17 मार्च, 1976।
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1976

सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/1121/75-76--अतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 15/9624 गली नं० 12 है तथा जो मुलतानी डांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

1. श्री सेवा सिंह सुपुत्र एस० धान्ना सिंह, निवासी 9625/15, गली नं० 12, मुलतानी डांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. श्री मदन लाल, सुपुत्र श्री दाल चन्द, निवासी मकान नं० 9658/15, गली नं० 11, मुलतानी डांडा, पहाड़ गंज, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक दुमंजिला मकान जोकि 67 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 12/9624, गली नं० 12 है, मुलतानी डांडा, पहाड़ गंज, नई दिल्ली में स्थित है।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 17 मार्च, 1976।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 1976

सं० आई०ए०सी०/एक्यु०/II/1120/75-76—अतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 4677-14 है तथा जो गली उमराओ वाली, पहाड़ी धीरज, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शशी प्रभा जैन, पत्नी श्री जय चन्द जैन, निवासी 3694, गली मामन जमादार, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-1
2. श्री धुनेन्द्र कुमार जैन, (2) देवेन्द्र कुमार जैन, सुपुत्र श्री नेम चन्द जैन, निवासी 4676, गली उमराओ वाली, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-1

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक तीन मंजिला मकान जोकि 200 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 4677-14 है, गली उमराओ वाली, पहाड़ी धीरज, दिल्ली में स्थित है ।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 17 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 1976

सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/1122/75-76—अतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है, और जिसकी सं० बी०-6 है तथा जो 37 राजपुर रोड़, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या,

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० सिंधीया इन्वैस्टमैन्टस प्रा० लि०
गवालियर (मध्य प्रदेश)।
मेजर जरनल अजीत सिंह गुराया,
डयारेक्टर के द्वारा।

(अन्तरक)

2. श्री विशम्बर दयाल, सुपुत्र श्री चन्दन लालजी
निवासी 29/20, शक्ती नगर, दिल्ली-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट की भूमि जिसका क्षेत्रफल 436 वर्ग गज है, और नं० बी०-6 है, 36 राजपुर रोड़, दिल्ली में है। यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : खुली भूमि
पश्चिम : 30 फुट चौड़ी सड़क
उत्तर : प्लाट नं० बी०-5
दक्षिण : प्लाट नं० बी०-7

तारीख : 17 मार्च, 1976।

मोहर :

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

दिनांक 17 मार्च, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/II/1123/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 341 है तथा जो चन्द्रावाल, शाहदरा, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती शान्ती देवी, बनाम समरीष्टा,
   पत्नी श्री ओम प्रकाश,
   निवासी सी-3, ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन, नई दिल्ली ।
   (अन्तरक)
2. श्री कृष्ण कुमार, सुपुत्र श्री शिवचरण दास,
   निवासी 108, गाजु कटरा, शाहदरा, दिल्ली-1 ।
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला दुकान जोकि 167.75 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बनी हुई है, जिसका नं० 341 है, चन्द्रवाल, शाहदरा, दिल्ली में है। यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : श्री रतन लाल की जायदाद
पश्चिम : श्री नाथी मल की जायदाद
उत्तर : श्री रघुनाथ की जायदाद
दक्षिण : अनाज मण्डी रोड ।

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 17 मार्च, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

दिनांक 17 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/क्यु०/II/1124/75-76—यतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बी-2/13 का 1/2 भाग जो माडल टाउन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी श्री कंवल नैन विग
   (2) अशोक कुमार
   (3) राधे श्याम
   (4) परवेश चन्द्र, सुपुत्र श्री कंवल नैन विग,
   निवासी बी-2/13, माडल टाउन, दिल्ली-9

   (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री कान्ता प्रशाद
   (2) श्री सतीश कुमार
   (3) राज कुमार
   (4) अशोक कुमार
   (5) सुरिन्द्र कुमार
   (6) सुरेश कुमार, सुपुत्र श्री कान्ता प्रशाद
   निवासी बी-8, गुजरावालन, टाउन, दिल्ली-9

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक बिल्डिंग का 1/2 अविभाजित भाग जोकि 2501 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बनी हुई है, जिसका नं० 13 बलाक नं० बी-2 है, माडल टाउन, दिल्ली में स्थित है । यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० बी-2/14
पश्चिम : जायदाद नं० बी-2/12-ए
उत्तर : रोड
दक्षिण : कालौनी की बाउन्ड्री ।

एस० एन० एल० अग्रवाल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

तारीख: 17 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली दिनांक 17 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/II/1125/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० सी-31 है, तथा जो नेताजी रोड, आदर्श नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी का कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:-

1. (1) श्रीमती सरला कुमारी, पत्नी श्री हुकम चन्द गर्ग
(2) श्रीमती राज रानी, पत्नी श्री बलदेव कृष्ण गर्ग
निवासी सुनसमी गेट, संगरूर, (पंजाब)
(अन्तरक)

2. श्रीमती धान देवी, पत्नी श्री रघुनाथ दास दुसाजे, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, निवासी सी-6/7, माडल टाउन, दिल्ली-9
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्री होल्ड प्लाट की भूमि जिसका क्षेत्र फल 200 वर्ग गज है, और नं० सी-31 है, नेताजी रोड, आदर्श नगर, दिल्ली में है। यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : प्लाट नं० सी-33
पश्चिम : प्लाट नं० सी-29
उत्तर : 30' चौड़ी नेताजी रोड
दक्षिण : 30 फुट शंकर आचार्या रोड।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

तारीख: 17 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

दिनांक 18 मार्च, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/II/1126/75-76—अतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 325 है, तथा जो संत निरंकारी कालौनी, दिल्ली-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

1. श्रीमती शोभारानी, पत्नी श्री हर दयाल शाद, निवासी सी/1-ए, सत्यावती नगर, अशोक विहार-III दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती लाज वन्ती पत्नी श्री चुन्नी लाल तथा श्री चुन्नीलाल सुपुत्र श्री माया दास, निवासी टी-222, नवाब रोड, सदर बजार, दिल्ली-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 139 वर्ग गज प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 325 है, जोकि खसरा नं० 161 का हिस्सा है, सन्त निरंकारी, कालौनी, दिल्ली में है । यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : 10 फुट गली
पश्चिम : 24 फुट सड़क
उत्तर : प्लाट नं० 324
दक्षिण : प्लाट नं० 326 ।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 18 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

दिनांक 18 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/II/1127/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 8131 तथा 8136, वार्ड नं० 14, है तथा जो चिम्नी मिल, बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मोहम्मद अली, सुपुत्र श्री मोहम्मद यूसूफ निवासी 8014, बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली।
(अन्तरक)
2. श्रीमती बिलक्वीस बेगम, पत्नी श्री अहसन उल्लाह निवासी 4846, गली दारजीयन, बाड़ा हिन्दु राव, दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक डेढ़ मंजिला मकान जोकि 110 वर्ग गज प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० 8131 तथा 8136, वार्ड नं० 14 है, चिमनी मिल, बाड़ा हिन्दु राव, दिल्ली में स्थित है।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, नई दिल्ली-1

तारीख: 18 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, दिल्ली-1

दिनांक 18 मार्च, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/II/1128/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 15/7531/1 है, तथा जो तेल मिल स्ट्रीट, नामनगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती रामेश्वरी बाई, पत्नी श्री धनपत राय, निवासी डी-12/12, माडल टाउन, दिल्ली-9 (अन्तरक)
2. श्री देवेन्द्र कुमार छाबड़ा, सुपुत्र श्री श्री राम छाबड़ा निवासी 999, गली मनटोला, पहाड़गंज, नई दिल्ली । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जोकि 247.3 वर्ग गज क्षेत्र फल की भूमि पर बना हुआ है, जिसका नं० 15/7531/1 है, तेल मिल स्ट्रीट, रामनगर, पहाड़गंज, दिल्ली में है, यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सांझा रास्ता
पश्चिम : गुरुद्वारा भई हिम्मत सिंह
उत्तर : शान्ती देवी का प्लाट
दक्षिण : पं० लखीराम का मकान।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 18 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली-1

दिनांक 18 मार्च, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/II/1129/75-76—अतः मुझे एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 15/7531/1 है, तथा जो तेल मिल स्ट्रीट, रामनगर, पहाड़ गंज, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269 ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री जय गोपाल, निवासी 2897/11, गली कैप्टन, दरियागंज, दिल्ली-6 (अन्तरक)
2. श्री नवल किशोरी गुप्ता, सुपुत्र स्व० श्री विष्णु दत्ता, निवासी, 7575, आईस फैक्ट्री, रामनगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जोकि 250.6 वर्ग गज क्षेत्र फल की भूमि पर बना हुआ है, जोकि प्लाट नं० 15/7531/1 का 1/2 हिस्सा है, तेल मिल स्ट्रीट, रामनगर, पहाड़ गंज, दिल्ली में है। यह प्लाट निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सांझा रास्ता
पश्चिम : गुरुद्वारा भई हिम्मत सिंह
उत्तर : श्री लक्ष्मीनारायण का प्लाट
दक्षिण : श्रीमती प्रमेशवरी बाई का प्लाट।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 18 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली-1

दिनांक 18 मार्च, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/II/1130/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० 57/62 है, तथा जो ढाका गांव, दिल्ली-9 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, जुलाई, 75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिओं को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जसवन्त सिंह, सुपुत्र श्री सौदागर मल, निवासी 1/57, अशोक विहार, दिल्ली-52 (अन्तरक)

2. श्री अमरनाथ सुपुत्र श्री खजान सिंह, निवासी मकान नं० 70, ढाका गांव, दिल्ली-9 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि का क्षेत्रफल 527 वर्ग गज है और नं० 57/62 है, ढाका गांव, दिल्ली-9 में निम्न प्रकार से घिरी हुई है :—

पूर्व : चौपाल
पश्चिम : जायदाद नं० 56
उत्तर : गली
दक्षिण : अन्य की जायदाद ।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 18 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली-1

दिनांक 19 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/II/1131/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 54, प्लाट नं० 175 का 1/2 भाग, राजा गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीरामसिंह, सुपुत्र श्री केसर सिंह, निवासी 346, रानी बाग, शाकुरबस्ती, दिल्ली। (अन्तरक)
2. श्रीमती शकुन्तला रानी, पत्नी श्री संतोषकुमार, निवासी, 13/1562, अजीज गंज, आजाद मार्किट, दिल्ली।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान का 1/2 हिस्सा जोकि 180 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० डब्ल्यू जैड-54, प्लाट नं० 175 है, राजा गार्डन, नई दिल्ली में है। यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० 176
पश्चिम : जायदाद नं० 174
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : रोड।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 19 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली-1

दिनांक 19 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/1132/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 54, प्लाट नं० 175 का 1/2 भाग है तथा जो राजा गार्डन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दिवान सिंह, सुपुत्र श्री सन्त सिंह, निवासी डब्ल्यू जैड-54, राजा गार्डन, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. श्रीमती शकुन्तला रानी, पत्नी श्री संतोष कुमार निवासी 13/1662, अजीज गंज, आजाद मार्किट, दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान का 1/2 हिस्सा जोकि 180 वर्ग गज क्षेत्र फल के प्लाट पर बना हुआ है, जिसका नं० डब्ल्यू जैड-54, प्लाट नं० 175 है, राजा गार्डन, नई दिल्ली में है। यह मकान निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० 176
पश्चिम : जायदाद नं० 174
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : रोड।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 19 मार्च, 1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, दिल्ली-1

दिनांक 19 मार्च 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/II/1133/75-76—अतः मुझे, एस० एन० एल० अग्रवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में दिया गया है, तथा जो करवाल नगर, शाहदरा, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908का 16) के अधीन जुलाई, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री पहलाद सिंह
   (2) श्री तेजराम, सुपुत्र श्री हुकम सिंह, निवासी करवाल नगर, गांव, शाहदरा, दिल्ली-32 (अन्तरक)
2. मै० लक्ष्मी लैन्ड एण्ड फाइनेंस कम्पनी (रजिस्टर्ड), डी-16, सिनेमा ब्लाक, कृष्ण नगर, दिल्ली-51, इनके मैनेजिंग हिस्सेदार : श्री फकीरचन्द के द्वारा सुपुत्र श्री बिशम्बर दयाल गुप्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नव बीघा बारह बिसवा खेती की जमीन जो करावल नगर, शाहदरा, दिल्ली में स्थित है, जिसका खसरा मुस्तातील नं० 53 है, खसरा नं० 1 (4-16) तथा 2(4-16) है।

एस० एन० एल० अग्रवाल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 19 मार्च, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक 27 मार्च, 1976

निर्देश सं० 863-ए/अर्जन/मेरठ/75-76—अतः मुझे विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-7-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स फाउन्ड्रीज प्रा० लि०
रजिस्टर्ड आफिस :
3685, चावड़ी बाजार देहली-6
बजरिये : श्री भूषण कुमार डायरेक्टर
(अन्तरक)

2. मैसर्स बंसल, फोरजिंग्स प्राई० लि०,
सी-17, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, परतापुर, मेरठ।
बजरिये : श्री वेद प्रकाश मैनेजिंग डायरेक्टर
पुत्र लाला केशोराम 707, सिविल लाइन्स, मेरठ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति फैक्ट्री बिल्डिंग प्लाट्स नं० ए-14, ए-15, ए-16 वाले गवर्नमेन्ट इन्डस्ट्रियल एस्टेट, परतापुर जिला मेरठ जोकि 1,42,500 रु० मूल्य में हस्तांतरित की गई है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 27 मार्च, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक 27 मार्च 1976

निर्देश सं० 731/अर्जन/गाजियाबाद/75-76—अतः मुझ विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री महाबीर प्रसाद पुत्र श्री ओंकार सिंह
   (2) श्री हरदत्त शर्मा पुत्र पं० राम कृपाल
   (3) श्रीमती पदमावती पत्नी श्री रघुवर दयाल
   निवासी प्रहलादगढ़ी, परगना लोनी, तह० गाजियाबाद जिला मेरठ। (अन्तरक)

2. मैसर्स मोहन मिकिन, ब्रेवरीज लि०
   मोहन नगर, गाजियाबाद जिला मेरठ
   द्वारा श्री जमना शंकर भटनागर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 बीघा 8 बिस्वा है और जो खसरा नम्बर, 182 में शामिल है और जो प्रहलादगढ़ी परगना लोनी, तह० गाजियाबाद जिला मेरठ में स्थित है 33,880 रु० मूल्य में हस्तांतरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 27-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1976

निदेश सं० 725/अर्जन/गाजियाबाद/75-76/2910—अतः, मुझे विजय भार्गवा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
19-7-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स विष्णु एजेंन्सीज प्रा० लि०
भारत भवन, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता 13 द्वारा श्री श्याम सुन्दर गोयनका, पुत्र स्व० मोतीलाल गोयनका 3 चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-13 मुख्त्यार खास।
(अन्तरक)

2. मैसर्स मोहन मिकिन बैवरीज प्राईवेट लि०
मोहन नगर, गाजियाबाद द्वारा जमना शंकर भटनागर।
(अन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति भूमि जिस का क्षेत्रफल 11 बीघा 7 बिस्वा (34333-3/4 वर्ग गज) है और जोकि खसरा नम्बर्स 548, 550 547 और 549 में शामिल है और मौजा पहलादगढ़ी, पोस्ट लौन, तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ में स्थित है 2,06,003 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 27-3-76
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1976

निदेश सं० 724/अर्जन/गाजियाबाद/75-76/2911—अतः, मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अधार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन

19-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री श्याम सुन्दर गोयनका पुत्र स्व० श्री मोती लाल गोयनका निवासी 3 चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता, मुख्तयार खास मिनजानिक परमेश्वर प्रसाद पुत्र श्री शिव भगवान निवासी 3, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-13

(अन्तरक)

2. मैसर्स मोहन मिकिन बैवरीज लिमिटेड, मोहन नगर, गाजियाबाद, परगना लौनी, तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ द्वारा श्री जमनाशंकर भटनागर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति भूमि जिसका क्षेत्रफल 4 बीघा 9 बिस्वा और 15 बिस्वन्सी (13575 वर्ग गज) जो खसरा नम्बर्स 165, 166, 167, 169, 183 और 184 में शामिल है और जो मौजा पहलाद गढ़ी, परगना लौनी, तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ में स्थित है 1,08,600 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 27-3-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1976

निर्देश सं० 732/अर्जन/गाजियाबाद/75-76—अतः मुझे, बिजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजीयाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्री श्याम सिंह शर्मा पुत्र श्री बखताबर निवासी शाम राजापुर डा० खास परगना हासना तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ (अन्तरक)

2. मैसर्स मोहन मिकिन ब्रेंबरीज लिमिटेड मोहन नगर गाजियाबाद जिला मेरठ द्वारा श्री जमना शंकर भटनागर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति भूमि जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा 3 बिस्वा जो खसरा नम्बर 174 और 175 में शामिल है और जो मौजा प्रलादगढी परगना कैनी, तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ में स्थित है 47,152/ रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

बिजय भार्गवा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 मार्च, 1976

निर्देश सं० 795-ए०/अर्जन/देहरादून/75-76—अतः मुझे, एफ० जे० बहादुर,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह, विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-7-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरदीप सिंह मुलतानी पुत्र श्री हरदीत सिंह निवासी 6, ए०, नेगी रोड़, देहरादून (अन्तरक)

2. डा० सुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह (2) श्रीमती पवनजीत चीमा पत्नि सरदार कैहर सिंह चीमा निवासी 31, पार्क रोड़, देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति जो खसरा नम्बर 353/1/8, 353/1/7 एम० में शामिल है और जिस का कुल क्षेत्रफल 12 एकड़ है और एक कच्चा माटोक तीन कमरों के साथ बना हुआ है और जो मौजा अटोक फार्म, परगना पचबादून, जिला देहरादून में स्थित है, 42,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

एफ० जे० बाहदुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 15-3-1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 15 मार्च 1976

निर्देश सं० 796-ए०/अर्जन/देहरादून/75-76/2880---अतः मुझे एफ० जे० बहादुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रोशन लाल स्वयं और मुख्तारआम वास्ते श्रीमती चानन देवी (3) श्रीमती पुष्पा देवी (4) श्री राजीव कुमार (5) श्री राकेश कुमार (नाबालिग) अपनी माता द्वारा श्रीमती पुष्पा देवी 96 कर्नल गंज, कानपुर (अन्तरक)

2. श्री महन्त इन्द्रेश चरन दास जी सजदानशनीन दरबार गुरू राम राय जी महाराज, देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति भूमि प्लाटस जिस का क्षेत्रफल 2.09 एकड़ है और जो डेरा खास, परगना पचवा जिला देहरादून में स्थित है, 31,020/- रु० में हस्तान्तरित किया गया है।

एफ० जे० बहादुर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर

तारीख 15-3-1976

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 मार्च, 1976

निर्देश न० 1050ए०/अर्जन/छीबरामोऊ/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय छीबरामोऊ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती विद्या वती देवी उर्फ विद्या देवी विधवा श्री प्रभू दयाल वटियार निवासी मौजा सराय प्रयाग परगना तलग्राम, तहसील छीबरामोऊ, जिला फरूखाबाद (अन्तरक)

2. श्री रमेश चन्द्र (2) श्री सरेश चन्द्र और (3) राम प्रकाश (नाबालिग) पुत्र डा० ईश्वर दयाल वटियार निवासी सराय मारूफ, डाकखाना किरतपुर, जिला फरूखाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पति खेतिहर जमीन जिस का क्षेत्र लगभग 7.68 एकड़ है और जो बरापुर, मकदूमपुर और सराय प्रयाग जिला फरूखाबाद में स्थित है, 39,000/- रु० मूल्य में हस्तातरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 22-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 मार्च 1976

निर्देश नं० 1051-ए०/अर्जन/छीबरामोऊ/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय छीबरामोऊ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-7-1975 सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती विद्या वती देवी उर्फ विद्या देवी विधवा श्री प्रभू दयाल कटियार निवासी मौजा सगय प्रयाग, परगना तलाग्राम, तहसील छीबरामोऊ जिला फरूखाबाद (अन्तरक)

2. श्रीमती राम किशोरी पत्नि श्री प्रताप सिंह कटियार निवासी 111 ए०/3 छ, आशोक नगर, कानपुर (2) श्री ओम प्रकाश काटियार पुत्र श्री ईश्वर दयाल कटियार निवासी मौजा सराय मारूफ डाकखाना किरतपुर फरूखाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति खेतिहर जमीन जिस का क्षेत्रफल लगभग 7.49 एकड़ है और जो बरापुर, मकदूमपुर और सराय प्रयाग जिला फरूखाबाद में स्थित है, 38,000/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

बिजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 22-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 मार्च 1976

एफ० नं० 772/अर्जन/मेरठ/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो सूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती कौशल देवी पत्नी सूर्यपाल सिंह
(2) श्रीमती आशा तोमर पत्नी योगेन्द्र पाल सिंह, निवासी क्वार्टर्स बेगम बाग, मेरठ। (अन्तरक)

2. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री तारा चन्द निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ सिटी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति उत्तरी पोरशन, बिल्डिंग नं० 734 जो कि बेगम बाग मेरठ सिटी में स्थित है। जिसका हस्तांतरण 45,000/- रु० में हुआ है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 23-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 मार्च 1976

एफ० नं० 773/अर्जन/मेरठ/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो सूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती कौशल देवी पत्नी श्री सुर्यपाल (2) श्रीमती आशा तोमर पत्नी योगेन्द्र पाल निवासी बेगम बाग, मेरठ सिटी। (अन्तरक)

2. श्रीमती रजनी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी ब्रह्मपुरी, मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति दक्षिणी पोरशन बिल्डिंग नं० 734 जो कि बेगम बाग मेरठ सिटी में स्थित है। जिसका हस्तांतरण 50,000/- रु० में हुआ है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 23-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 मार्च 1976

एफ० नं० 774/अर्जन/मेरठ/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961
का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो सूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-7-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती (1) कौशल देवी पत्नी श्री सूर्यपाल सिंह (2) श्रीमती आशा तोमर पत्नी श्री योगेन्द्र पाल सिंह, बेगम बाग, मेरठ सिटी (अन्तरक)

2. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लाला तारा चन्द निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ सिटी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मध्य भाग बिल्डिंग नं० 734 जो कि बेगम बाग मेरठ सिटी में स्थित है। जिसका हस्तांतरण 45,000/- रु० में हुआ है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 23-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 23 मार्च 1976

एफ० नं० 788-ए०/अर्जन/खागा/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो सूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खागा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 28-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मनोहर दास पुत्र धर्म दास निवासी 104-ए०/14 रामबाग, कानपुर (अन्तरक)

2. (1) श्री शिव प्रसाद सिंह पुत्र गोवरधन सिंह,
(2) सरजू सिंह पुत्र रामजतन सिंह
(3) अलगू सिंह पुत्र राम वृक्ष सिंह,
(4) श्रीमती राधिका पत्नी जयपाल सिंह सभी निवासी अमिपावर जिला रोहतास (बिहार)
(5) श्री रघुवीर सिंह पुत्र जीऊत सिंह,
(6) श्री अवध कुमार पुत्र मोती लाल निवासी सोहद डा० सदवा परगना दनवार जिला रोहतास (बिहार) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कृषि भूमि (8 प्लाट) क्षेत्रफल 112 बीघा और 1 बिस्वा (लगभग 45 एकड़), स्थित गांव टेनी परगना हथगाम तहसील खागा जिला फतेहपुर। जिसका हस्तांतरण 46,000/- रु० में हुआ है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 23-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 मार्च 1976

निर्देश नं० 598/अर्जन/औराइया/75-76/2922---अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, औराइया में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम,' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. श्री कालिन्दी नारायन पुत्र श्री राम नारायन, निवासी ग्राम बूढ़ादाना परगना औराइया, जिला इटावा (अन्तरक)

2. श्री रामपाल (2) शिवपाल पुत्रगण श्री बनवारी लाल (3) राम रतन (4) राम आधार पुत्रगण श्री सोने लाल (5) राम ओतार और (6) राजपाल (दोनों नाबालिग) श्री नारायन बलदेव की संरक्षता में निवासी ग्राम बूढ़ादाना, परगना औराइया, जिला इटावा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति खेतिहर भूमि जिस का क्षेत्रफल 6.10 एकड़ है और जो ग्राम मियापुर परगना औराइया, जिला इटावा में स्थित है, 21,000/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 29-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 मार्च 1976

निर्देश नं० 597/अर्जन/औराईया/75-76/2923—अतः मुझे, विजय भार्गवा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय औराईया में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कालिन्दी नारायन पुत्र श्री राम नारायन निवासी ग्राम बूढ़ादाना परगना औराईया, जिला इटावा (अन्तरक)

2. श्री अब्बू पुत्र बदल निवासी ग्राम बूढ़ादाना, परगना औराईया, जिला इटावा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति खेतिहर भूमि जिस का क्षेत्रफल 4.61 एकड़ है और जो मौजा मियापुर, परगना औराईया, जिला इटावा में स्थित है, 14,000/- रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 29-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० डी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 अप्रैल 1976

निदेश सं० 642/अर्जन/मेरठ/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती विद्यावती बेवा स्व० बाबू गोपाल नारायण गोयल साकिन थापर नगर, शहर मेरठ । (अन्तरक)

2. श्रीमती कृष्णा अरोड़ा पत्नि श्री चमन लाल अरोड़ा साकिन देहली रोड, शहर मेरठ । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति पार्ट आफ प्लाट नं० 80 जिस का क्षेत्रफल 204.16 1/2 वर्ग गज है और जो थापर नगर शहर मेरठ में स्थित है। 32,666.50 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 2-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 अप्रैल 1976

निदेश सं० 643/अर्जन/मेरठ/75-76—अतः मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 2-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती बिधावती बेबा स्व० बाबू गोपाल नारायण गोयल साकिन थापर नगर, शहर मेरठ। (अन्तरक)

2. श्री रेमेश चन्द अरोड़ा पुत्र जगन्नाथ अरोड़ा साकिन एम०/8 पटल मार्ग, गाजियाबाद, जिला मेरठ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति पार्ट आफ प्लाट नं० 80 जिसका क्षेत्रफल 204.16 1/2 वर्ग गज है और जो थापर नगर, शहर मेरठ में स्थित है। 32,666.50/- रु० मूल्य का हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 2-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय; सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड

धारवाड, दिनांक 20 मार्च, 1976

निदेश सं० 114/75-76/एसीक्यू०—यतः मुझे, पी० सत्यनारायण राव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी जमीन का टुकड़ा नामक बैरो डी गौमारएस है, जो तलेगांव विलेज, पणजी का में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पणजी में डाक्यूमेंट नं० 516 के अंतर्गत 3-7-1975 के दिन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कमलाबाई विठल शिरोडकर, डा० विठल नागेश शिरोडकर के विधवा, डी०/9, मफ्तलाल पार्क, भूलाभाई देसाई रोड, बांबे । (अन्तरक)

2. मेसर्स सलगावंकर मैंनिंग इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वासकोडागामा (गोवा) । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पंजिम् मुनिसिपल् हद्द मे तीसवाड़ी का पंजिम् और सांटा इनेज़ पॉरिश् का तालेगांव गांव में स्थित निवासगृह, हेरेडिटामेंट्स जगह, इमारत और अन्य बनावटेंयुक्त जमीन का टुकड़ा जो विस्तीर्ण मे 3076 चदर मीटर का है और जो "बैरो डी गैमाराएस्" नामक "आंफोरामेंटो डो ऑइटेरो डी० पंजिम् इ० सांटा इनेज़् अथवा ऑइटेरो डी० कान्सीकॉओ' नामक आस्ती का 3076/82825 भाग है और लैंड रजिस्ट्रेशन् कार्यालय इल्हास में बुक् बी० 8 न्यू सिरीज के पेज नं० 25 के उलटे हिस्से में नं० 2942 के अंतर्गत वर्णित है और संबंधित लैंड रेवेन्यू रजिस्ट्री में नं० 1178 मे नोंदित है।

पी० सत्यनारायण राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड

तारीख : 20-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनिय, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 11 मार्च 1976

निर्देश सं० 110/75-76/ए० सी० क्य०—यत:, मुझे, पी० सत्यनारायन राव,
सहायक आयकल आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, हुबली आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० ....
है, जो गास्पर डयास, पणजी ग्राम पंचायत के हद में, सब-जिला इलहास में स्थित प्लाट नं० जी०-2 जो 'मेरिया फेरीरा' कहलाया जाता है, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पणजी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन डाकुमेंट नं० 522 अंतर्गत 9-7-75 के दिन
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के लिए में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कन्फेरियस् फ्रांनदास डा० इग्रेजा डी पंजिम् अपने प्रेसिडेंट, अटार्नी और ट्रेझरर से प्रतिनिधित सभी पणजी (गोवा) के वासी। (अन्तरक)

2. (1) श्री बर्नार्ड मरियो फिमरिडो

(2) श्रीमती जाकेलिन लिलियम फिमरिडो 159, कोलाबा रोड, बम्बई-5 के वासी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र, में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है,

अनुसूची

पंजिम् मुनिसीपालिटी के गास्पर डयास् में स्थित 'मेरिया फेरीरा' नाम का आरसीका प्लाट नं० जी-2 नामक जमीन का टुकड़ा जो 625 चदर मीटर मापन का है और जिसकी सीमाएं :—

उत्तर : भीतरी रोड
दक्षिण : प्लाट नं० जी०-1
पूर्व : भीतरी रोड
पश्चिम : प्लाट नं० जी०-3।

पी० सत्यनारायन राव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 11-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 11 मार्च 1976

निर्देश सं० 111/75-76/ए० सी० क्यू०—यतः, मुझे, पी० सत्यनारायण राव सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, हुबली आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० ई०-11 जो मेरिया पेरीरा नामक है, जो पंजिम् म्युनिसिपल हद में गास्पर डयास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पंजिम् में 21-7-1975 के दिन डाकुमेंट नं० 544 के अन्तर्गत भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कन्फेरियस् रूनिदास ड इग्रेजा डी पंजिम् अपने प्रेसिडेंट, अटार्नी और ट्रेजरर से प्रतिनिधित सभी पंजिम् (गोवा) के वासी। (अन्तरक)

2. (1) श्री मैकेल इसिडोरो ऐसाक झेवियर मेस्केर्जस (2) श्रीमती मेरिया किटीरिय लॉरा सेनेमा मस्केर्नस दोनों पैटोन साल्वाडोर डो मुंडो (गोवा) के वासी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पंजिम् मुनिसीपलिटी के गास्पर डयास में स्थित 'मेरिया पेरीरा' नामक आस्ती का प्लाट नं०-ई०-11, नामक जमीन का टुकड़ा जो 502 चदर मीटर मापन का है और जिसकी सीमाएं :—

उत्तर : भीतरी रोड
दक्षिण : प्लाट नं० ई०-8
पूर्व : प्लाट नं० ई०-12
पश्चिम : प्लाट नं० ई०-10।

पी० सत्यनारायण राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 11-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 11 मार्च 1976

निर्देश सं० 112/75-76/ए० सी० क्यू०—यतः मुझे, पी० सत्यनारायण राव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है
और जिसकी सं० नं० 1-9-56 और 1-9-58 (पुराना), 1-9-36 (नया) और नं० 1-9-57 और 1-9-75 (पुराना), 1-9-32 और 1-9-37 (नया) है, जो गुलबर्गा जिला मादगीर के दस्तगीर पेट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मादगीर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-8-1975 के दिन डाकुमेंट नं० 974 के अन्तर्गत को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री लिंगेरी कोनप्पा जिनिंग, प्रसिंग और आइल मिल उसके भागीदार और जनरल पावर आफ अटार्नी होल्डर श्री रुद्रप्पा का पुत्र कोनप्पा नाडगौडा, मादगिर के वासी (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती शांता बाई पति जवारलाल ढ़ोका (2) पंपनगौडा तंमडमी की पत्नि श्रीमती पार्वती देवी दोनों मादगिर के वासी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मुनिसिपल नं० 1-9-56; 1-9-58 (पुराना)	के जिनिंग कारशना
1-9-36 ; 1-9-38 (नया)	और आइल मिल।
मुनिसिपल नं० 1-9-57; 1-9-75 (पुराना)	का गुदाम
1-9-32; 1-9-37 (नया)	

पी० सत्यनारायण राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

तारीख : 11-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 11 मार्च 1976

निर्देश सं० 113/75-76/ए० सी० क्यू०—यतः मुझे, पी० सत्यनारायण राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 2-1-259 से 2-1-266 है, जो गुलबर्गा के जगत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुलबर्गा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-1-1976 के दिन डाकुमेंट नं० 1535 के अन्तर्गत को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री रामचन्द्र गिल्डा का पुत्र बालकिशन् और बालकिशन् गिल्डा के पुत्र (2) भगवानदास (3) शंकरलाल (4) मुरलीधर (5) अनिल (अन्तरक)

2. (1) श्री विनायकराव (2) विजयकुमार (3) नरसिंहा (4) श्रीनिवास (5) श्रीपाद सब वेंकप्पा गादा के पुत्र और (6) वेंकप्पा गादा की पत्नी गोदावरी बाई सभी असफ गंज गुलबर्गा के निवासी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जगत् गुलबर्गा में स्थित मकान मुनिसिपल नं० 2-1-259 से 2-1-266 जिसकी सीमाएं :—

पूर्व : गुलाम मोहियुद्दीन और अब्दुल नबि के घर और सरकारी रास्ता ,

पश्चिम : नेहरू गंज और रेलवे स्टेशन के बीच का रोड

उत्तर : डा० लक्ष्मन राव और भगवानराव के घर

दक्षिण : अजीज हुसैन , सयद मरगुब साहेब, हनमंतराव हगरमी वकील, और सयद मेहबूब सहेब के घर ।

पी० सत्यनारायण राव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

दिनांक : 11-3-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 25 मार्च 1976

निर्देश सं० 3400/75-76—यतः मुझे, जी० वी० झाबक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० टी० एस० सं० 8/2, डाक्टर स्वामिनात सास्तिरि रोड, तिल्लैनगर, तिरुचि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, के० एस० आर० III तिरुचि 'डाकुमेण्ट' 2281/75) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एन० पेरुमाल (अन्तरक)

2. श्रीमती के० वसन्ता देवि (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तिरुचि, तिल्लनगर नार्थ ईस्ट एक्सटेनशन, ब्लाक 1, टी० एस० 8/2 में भूमि (4310 स्कुयर फीट) (मकान के साथ)।

जी० वी० झाबक,
सक्षम प्रधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 25-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 2593/75-76—यतः मुझे, जी० वी० झावक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 8/12 तिरुचि रोड, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० III कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट 2788/75) में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी० आर० वन्किट सुब्रमनिय आयर और वी० वि० रंगनातन (मैनर) (अन्तरक)

2. डाक्टर पि० रुक्मनि (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, तिरुचि रोड, सुन्दरेस आयर ले अउट, डोर सं० : 8/12 में 19–25 सेन्ट की भूमि (मकान के साथ) (टी० एस० सं० : 1/665/1-सर्विट सं० : 39, 40 और सर्विट सं० : 38 भाग)।

जी० वी० झावक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 2603/75-76—यतः, मुझे, जी० वी० झाबक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० नया टी० एस० सं० 1377, अवनाशि रोड, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-III, कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट सं० 2596) में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती आर० रंगनायकि अम्माल (अन्तरक)

2. श्रीमती एस० मीनाक्षि अम्माल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोयम्बतूर, पुलियकुलम गांव, अवनाशि रोड, नया टि० एस० सं० 1377, में 20 सन्ट और 4 स्कुयर फीट की खाली भूमि ।

जी० वी० झाबक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 2606/75-76—यतः मुझे, जी० बी० ज्ञावक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है और जिसकी सं० डोर सं० 21/70 है तथा जो बैसियाल स्ट्रीट कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-III, कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट सं० 2700/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-7-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर० सुन्दर राज, सैन्दरी बाय, रतना बाय और विजय कुमारी (अन्तरक)

2. श्री एन० सुब्रमनियन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, बैसियाल स्ट्रीट, डी० सं० 21/70 में भूमि और मकान (नया टी० एस० सं० 1447 भाग, 1451 और 1452/1)।

जी० बी० ज्ञावक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 2606/75-76—यतः मुझे, जी० वी० झाबक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० डी० सं० 21/44-45 बैसियाल है, तथा जो स्ट्रीट, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-III, कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट 2701/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-7-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री आर० सुन्दरराज, सैन्दरी बाय; रत्ना बाय और विजय कुमारी (अन्तरक)

2. श्री के० पी० नारायण अचारी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, बैसियाल स्ट्रीट, नया टि० एस० सं० 1447 भाग, डी० सं० 21/44-45 में भूमि और मकान।

जी० वी० झाबक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 2611/75-76—यतः मुझे, जी० वी० झावक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० डोर सं० 122 से 126 तक है तथा जो गांन्दिपुरम तीसरा स्ट्रीट, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांन्दिपुरम, (डाकुमेण्ट सं० 1873/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-7-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री के० सेन्नियप्प गौन्टर (अन्तरक)

2. श्री एस० शन्मुघम पिल्लै और एस० वेलायुतम पिल्लै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, गांन्दिपुरम तीसरा स्ट्रीट, डोर सं० 122 से 126 तक (भूमि और मकान) (टी० एस० सं० 11/1057)।

जी० वी० झावक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 1867/75-76—यतः मुझे, जी० वी० झाबक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 10 है तथा जो अलिवर रोड, मद्रास-4 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर०-I, मद्रास, (डाकुमेण्ट सं० 5563/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पन्कजम रामचन्द्रन और श्री एस० आर० रवीचन्द्रन (अन्तरक)

2. श्री सी० हेच० वेन्कटरामन (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-4, मैलापूर, अलिवर रोड, डोर सं० 10, में चार ग्राउण्ट और 988 स्कुयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

जी० वी० झाबक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 5030/75-76---यतः मुझे जी० वी० शाबक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० सं० 8/2 है, तथा जो नेल्सन मानिक मुदलियार रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० I, मद्रास, (डाकुमेण्ट सं० 5735) में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :--

1. श्री बी० परन्तामन; आर० पदमनाबन; बी० चौद्रि; आर० जयचन्द्रन; बी० श्रीनिवासन; बी० पापिया और बी० रानी (अन्तरक)

2. श्रीमती डाक्टर पत्मा चन्द्रहास (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास, वट अगरम, नेल्सन मानिक मुदलियार रोड, ब्लाक सं० 11, टी० एस० सं० 10, आर० एस० सं० 8/2 में तीन ग्राउण्ड और 1800 स्कुयर फ़ीट की भूमि ।

जी० वी० शाबक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास-600006, दिनांक 16 मार्च 1976

निर्देश सं० 5031/75-76—यतः, मुझे जी० वी० झाबक, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० आर० एस० सं० 8/2, टी० एस० सं० 10, नेल्सन मानिक मुदलियार, रोड, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० I, मद्रास, (डाकुमेण्ट सं० 5736) में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों), और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बी० परन्तामन; आर० पदमनाबन; बी० चौद्रि; आर० जयचन्द्रन, बी० श्रीनिवासन; बी० पापिया और बी० रानी (अन्तरक)

2. मेडिडेन्ट इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, वड अगरम, नेल्सन मानिक मदलियार रोड, ब्लाक सं० 11, टी० एस० सं० 10, आर० एस० सं० 8/2 में तीन ग्राउण्ड और 1275 स्कुयर फीट की भूमि ।

जी० वी० झाबक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 16-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1976

निर्देश सं० X/12/9(जुलाई)/75-76—यतः मुझे, जी० रामनाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 75-ए है, जो सिंगरायर कालनी नार्थ स्ट्रीट, बीबीकुलम मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै (पत्र सं० 2146/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर० मुत्तु वीनायग सुब्रमनियम और आदि (अन्तरक)

2. श्री राजरत्नसामि नाडार 67-बी०, तमिल संगम रोड मदुरै (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै, बीबीकुलम, सिंगरायर कालनी नार्थ स्ट्रीट डोर सं० 75-ए० (टी० एस० 873/2 और 1639/1) में 8.5 रेन्ट की भूमि (मकान के साथ)।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 2-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 2 अप्रैल 1976

निर्देश सं० X/1/110(जुलाई)/75-76—अतः, मुझे, जी० रामानाथन
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 47 है, जो लक्शमीपुरम तेर्ड स्ट्रीट मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै (पत्र सं० 3220/75) में
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती एम० एम० एम० के० हमीद जहन बीगम नाचीयार और एम० एम० एम० के० जीनत ऊम्मीयस बीगम नाचीयार मन्डपम (अन्तरक)
2. श्रीमती बी० चन्द्रा देवी, ईलयांगुडी (अन्तरिती)
3. एन्जीनियरी एकुपमेंट (वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मदुरै लक्शमीपुरम तेर्ड स्ट्रीट मदुरै डोर सं० 47 (टी० एस० सं० 1286, 1287 और 1288) म 1680 स्कुयर फीट की भूमि और मकान (आधा भाग) ।

जी० रामानाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास

तारीख : 2-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास दिनांक 2 अप्रैल 1976

निदेश सं० /1/111/(जुलाई)/75-76—यतः, मुझे जी० रामनाथन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 47 है, जो लक्शमी पुरम तेर्ड स्ट्रीट मदुरै में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुर (पत्र सं० 3221/75) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती एम० एम० एम० के० हमीद जहन बीगम नाचीयार और एम० एम० एम० के० जीनत उन्नीसा बीगम नाचीयार मन्डपम
(अन्तरक)

(2) श्रीमती बी० चन्द्रा देवी ईलैयागुडी
(अन्तरिती)

(3) इंजीनियरी एकुपमट
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मदुरै, लक्शमीपुरम तेर्ड स्ट्रीट, डोर सं० 47 (टी० एस० सं० 1286, 1287 और 1288) में 1680 स्कुयर फीट की भूमि और मकान (आधा भाग)।

जी० रामनाथन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 2 अप्रैल 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ दिनांक 12 मार्च 1976

निदेश सं० सी० एच० डी०/222/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसके उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सी० एफ० है तथा जो नं० 11–12 सैक्टर 22-सी चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त

सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) (i) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री नित्या नन्द,
(ii) श्रीमति विद्यावती विधवा स्वर्गवासी नित्या नन्द
(iii) श्री शिवराज पुत्र श्री नित्या नन्द
(iv) श्रीमती शोभा रानी पुत्री श्री नित्या नन्द
(v) श्रीमती शान्ता रानी पुत्री श्री नित्या नन्द
(vi) श्रीमती सर्वण लता पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार
निवासी सुन्दर नगर 12-ए नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) (i) श्री गुरचरन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह
(ii) श्रीमती गुरदयाल कौर पत्नी श्री गुरचरन सिंह
निवासी गांव और डाकखाना बहरामपुर जमींदारी तहसील और जिला रोपड़
(iii) श्रीमती कृपाल कौर पत्नी श्री हरचरन सिंह
(iv) श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह
निवासी गांव और डाकखाना मोरां वाली तहसील गढ़शंकर जिला होशियारपुर

(अन्तरिती)

(3) (i) मैं० युनिवर्सल टाईप राइटर एस० सी० एफ० नं० 11–12, सैक्टर 22-सी, चण्डीगढ़

(ii) मैं० नऊ शाम प्रोविजन स्टोर, एस० सी० एफ० नं० 11-12, सैक्टर 22-सी, चण्डीगढ़

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

शोप-कम-फ्लैट नं० 11-12, सैक्टर 22-सी, चण्डीगढ़

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 12-3-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़ दिनांक 23 मार्च 1976

निदेश सं० एल डी एच/सी/260/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० गुरदेव नगर फिरोजपुर रोड पर आयदाद नं० बी-XXI 1061/1 का 1/3 भाग है तथा जो लुधियाना में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना म, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित

बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिय तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जसवंत सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी ललतों कलां, तहसील लुधियाना आज कल कारा धारा, फिरोजपुर रोड़, लुधियाना

(अन्तरक)

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सयाल, पुत्र श्री मनोहर लाल सयाल निवासी 135-एल, माडल टाऊन लुधियाना आज कल 6-क्यूविक्स वुड ड्राईव लिवरपोल-25 (यू० के०)

(अन्तरिती)

(3) (i) संत सिंह एण्ड ब्रादर्स, (ii) सतगुर ट्रेड कम्पनी (iii) नेशनल प्रापर्टी डीलरज, (iv) जिले राम मोहन लाल, (v) जरनैल सिंह, (vi) दलीप सिंह एण्ड सन्स और (vii) ब्रज आयल कम्पनी मार्फत बी-XXI/1061/1, गुरदेव नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुरदेव नगर, फिरोजपुर, रोड़ लुधियाना में संपत्ति नं० बी-XXI/1061/1 का 1/3 भाग

(जैं कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3118 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा हैं ।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 23-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 23 मार्च 1976

निदेश सं० एस एन डी/327/75 76/—अतः मुझ विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 100 कनाल 4 मरले भूमि है तथा जो गांव बडरुखा, तहसील और जिला संगरूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, संगरूर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री देव प्रशाद, पुत्र श्री शिव प्रसाद द्वारा श्री कुंदन लाल पुरी, मुख्तयार आम—निवासी गांव बडरुखां, तहसील और जिला संगरूर
(अन्तरक)

(2) मैं० सवराज स्पीनिंग मिल्ज लिमिटेड, द्वारा श्री जगदीश रारा, कम्पनी डायरैक्टर, मार्फत सिंगला निवास, शाही समाध, पटियाला 147001 ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

100 कनाल 4 मरले भूमि जोकि गांव बडरुखां, तहसील और जिला संगरूर में स्थित है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1114 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी संगरूर के कार्यालय में लिखा है) ।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 23 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 23 मार्च 1976

निदेश सं० एल डी एच/सी/266/75-76—अतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० इण्डस्ट्रियल एरिया ए० गुप्ता रोड पर प्लाट नं० 4-बी है तथा जो लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० कॉमन वैल्थ सर्पिनिंग एण्ड निटिंग मिल्ज़ प्राईवेट लिमिटेड, लुधियाना
(अन्तरक)

(2) श्रीमती कैलाश वन्ती विधवा श्री जगन नाथ कुंदरा बी-II/1329, आर्सा मुहल्ला, लुधियाना
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 4-बी क्षेत्रफल 700 वर्ग गज जो मै० कॉमन वैल्थ सर्पिनिंग एण्ड निटिंग मिल्ज़ से सम्बन्ध रखता है और ओसवाल रोड़ अर्थात् गुप्ता रोड़ लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3192 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 23 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 30 मार्च 1976

निदेश सं० पीबाईएल/1511/75 76/-अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि 34 बीघे, 18 बिसवे है तथा जो गांव वायोपुर, सब तहसील पायल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पायल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम'. की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सुच्चा सिंह, पुत्र श्री बधावा सिंह, गांव वायोपुर सब तहसील पायल, जिला लुधियाना

(अन्तरक)

(2) श्री हरनेक सिंह, पुत्र श्री मेहर सिंह, गांव और डाकघर जर्ग, सब-तहसील पायल, जिला लुधियाना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि क्षेत्रफल 38 बीघे, 18 बिस्वे जोकि गांव वायोपुर सब तहसील पायल जिला लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 961, जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पायल के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 30 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 30 मार्च 1976

निदेश सं० पी वाई एल/1512/75-76/—अतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि 34 बिघा 19 बिस्वे है तथा जो गांव वायोपुर, सब तहसील पायल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, पायल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सुच्चा सिंह पुत्र श्री बधावा सिंह, गांव वायोपुर सब तहसील पायल, जिला लुधियाना (अन्तरक)

(2) श्रीमती धनकौर, पत्नी श्री मेहर सिंह, गांव और डाकघर जर्ग, सब तहसील पायल, जिला लुधियाना (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि क्षेत्रफल 34 बीघे, 19 बिस्वे जोकि गांव वायोपुर, सब तहसील पायल, जिला लुधियाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 997 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पायल के कार्यालय में लिखा है)।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 30 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9–बी

चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० बी जी आर/1205/75-76/—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 123 कनाल भूमि है तथा जो गांव बीजोपुर, तहसील बल्बगढ़ जिला गुडगांवां में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्बगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) (i) श्री बृज मोहन, (ii) श्री मनमोहन — पुत्र श्री सदा नन्द
निवासी 130–गोल्फ लिन्क, न्यू दिल्ली
(अन्तरक)

(2) श्री आर० के० बहल, पुत्र डा० एम० एल० बहल
निवासी एल-1/18, हाऊस खास इनकलेव, नई दिल्ली-16।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

123 कनाल भूमि जोकि गांव बीजूपुर तहसील बल्बगढ़, जिला गुड़गांवां में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2059, जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बल्बगढ़ के कार्यालय में लिखा है।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० एल डी एच/सी/267/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 4 कनाल 13 मरले भूमि है तथा जो गांव, तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री परीतपाल सिंह, पुत्र श्री गंडा सिंह निवासी बी-9-36, चौक हीरा हलवाई, लुधियाना

(अन्तरक)

(2) (i) श्री जगजीत राम, पुत्र श्री हकीकत राम निवासी इयाली कलां, डाकघर लुधियाना

(ii) श्री जतिन्द्र कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द निवासी मण्डी बाग खजानचीयां लुधियाना

(iii) श्री राज कुमार, पुत्र श्री जतिन्द्र कुमार निवासी गांव लसोई, जिला संगरूर

(iv) श्री कैलाश चन्द, पुत्र श्री मेला राम निवासी गांव नकोदर, जिला जालन्धर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4 कनाल 13 मरले भूमि जोकि गांव सालिम ताबड़ी तहसील और जिला लुधियाना में स्थित है।

खेवट नं० 45/483 जमाबन्दी 1971-72

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3195 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9–बी

चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० पी–टी–ए–/637/75-76/––अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 12 कनाल 13 मरले भूमि है तथा जो गांव झिल, तहसील और जिला पटियाला में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:–

(1) श्री हरदयाल सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव झिल, तहसील पटियाला

(अन्तरक)

(2) (i) श्री राजेन्द्र कुमार
(ii) श्री बरजिन्द्र कुमार } पुत्र श्री राज किशन निवासी अजीत नगर पटियाला

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

12 कनाल 13 मरले भूमि जोकि गांव झिल, तहसील और जिला पटियाला में स्थित है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख सं० 1816 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय में लिखा है ।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9—बी

चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० पी टी ए/638/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 12 कनाल 9 मरले भूमि है तथा जो गांव झिल, तहसील और जिला, पटियाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पटियाला में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरपाल सिंह, पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी गांव झिल, तहसील और जिला पटियाला

(अन्तरक)

(2) श्री रुपिन्द्र सागर, पुत्र श्री शाम लाल निवासी अजीत नगर पटियाला (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

12 कनाल 9 मरले भूमि जोकि गांव झिल, तहसील और जिला पटियाला में स्थित है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1815, जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17 मार्च 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9—बी

चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० एस आर डी/592/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि बिल्डिंग है तथा जो बसी पठाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सरहिन्द में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री सुशील कुमार सैक्रेटरी कसतूरबा सेवा मन्दिर राजपुरा।

(अन्तरक)

(2) मैं० यूनीवर्सल ट्रेड लिंकस बसी पठाना द्वारा श्री लाल सिंह, हिस्सेदार।

(अन्तरिती)

(3) मैं० गोपाला चावल मितलज बसी पठाना

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

24 कनाल 1 मरला भूमि के साथ एक बिल्डिंग जोकि बसी पठाना में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1588 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17 मार्च 1976

मोहर।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9–बी
चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० सीएचडी/231/75-76/—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनैक्सी नं० 338 सैक्टर 21जी (क्षेत्रफल 1000.30 वर्ग गज) है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जुलाई 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती कमला रानी, पत्नी श्री अमृत लाल सेठ, निवासी मकान नं० 3116, सैक्टर 24-डी, चण्डीगढ़

(अन्तरक)

(2) श्री त्रिलोक सिंह साम्भ, पुत्र श्री करतार सिंह निवासी आर० के० मिशन के सामने, भुवनेश्वर 1 (उड़ीसा)

(अन्तरिती)

(3) (i) श्री आर० एन० जोशी एण्ड अदर्ज
(ii) श्री के० के० झुलका
(iii) श्री कृष्णपाल
निवासी अनैक्सी नं० 338, सैक्टर 21-ए, चण्डीगढ़
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनैकसी नं० 338, सैक्टर 21–ए, चण्डीगढ़ (क्षेत्रफल 1000.30 वर्ग गज)

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 510 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17-3-1976
मोहर।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9—बी
चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० बी जी आर/1204/75-76/—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 90 कनाल 14 मरले भूमि है तथा जो गांव बीजूपुर, तहसील बल्लबगढ़, जिला गुड़गांवां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लबगढ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 'अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) (i) श्री बृज मोहन, } पुत्र श्री सदा नन्द
(ii) श्री मन मोहन
निवासी 130 गोल्फ लिंक, नई दिल्ली ।
(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुदेश बहल पत्नी श्री आर० के० बहल निवासी एल०—1/18, हाऊज खास इनकलेव नई दिल्ली-16
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

90 कनाल 14 मरले भूमि जोकि गांव बीजूपुर, तहसील बल्लबगढ़ जिला गुड़गांवां में स्थित है ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2056 जुलाई 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बल्लबगढ़ के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० सी एच डी/452/75-76/--अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० प्लाट नं० 72 (नया नं० 1102) गली 'ई' सैक्टर 8-सी है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1975 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

(1) श्री संतोख सिंह गोधोके, पुत्र श्री भगत सिंह गोधोके निवासी 1214, फरगुसन कालेज रोड़, पूना।
(अन्तरक)

(2) (i) श्रीमती प्रेम कौर, पत्नी स्वर्गीय श्री सुर्जन सिंह
(ii) श्री अमरजीत सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह निवासी मकान नं० 1066, सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 72 (नया नं० 1102) गली 'ई' सैक्टर 8-सी, चण्डीगढ़

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 680 अगस्त 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9—बी
चण्डीगढ़, दिनांक 23 मार्च 1976

निदेश सं० एल डी एच/सी/1689/75-76/—अतः मैं विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० गुरदेव नगर, फिरोजपुर रोड़ पर सम्पत्ति नं० 1061/1 का 1/3 भाग है तथा जो लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जसवंत सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी ललतों कलां, तहसील लुधियाना आजकल कृष्ण नगर, लुधियाना

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुरिन्दर कुमारी सयाल, पत्नी श्री राजिन्द्र कुमार सयाल, निवासी 135-एल, माडल टाऊन लुधियाना आजकल 6-क्यूविक्त वुड ड्राईव, लिवर पोल-25 (यू० के०)

(अन्तरिती)

(3) (i) संत सिंह एण्ड अदर्ज, (ii) सतगुर ट्रेड कम्पनी (iii) नेशनल प्रापर्टी डीलर्ज, (iv) जिले राम मोहन लाल (v) जरनैल सिंह, (vi) दलीप सिंह एण्ड सन्ज (vii) अज आईल कम्पनी मार्फत बी–XX/1061/1, गुरदेव नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुरदेव नगर, फिरोजपुर रोड पर सम्पत्ति नं० बी-XX/1061/1 का 1/3 भाग

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 6465 दिसम्बर, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 23-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9–बी

चण्डीगढ़, दिनांक 30 मार्च 1976

निदेश सं० सी एच डी/332/76-76/—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 87 पर बनी बिल्डिंग और फैक्ट्री शैड और प्लाट नं० 86 जिस पर कुछ नहीं बना है तथा जो इण्डस्ट्रियल एरिया चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अगस्त 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:–

(1) मै० आर० डी० मिनोचा एण्ड सन्ज, मकान नं० 154, सैक्टर 9–बी, चण्डीगढ़।

(अन्तरक)

(2) मै० दाता राम ओम प्रकाश, अग्रवाल भवन, सरकुलर रोड, अम्बाला शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:–

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

86-87 इण्डस्ट्रियल एरिया चण्डीगढ़ में बिल्डिंग और फैक्ट्री शैड जो कि प्लाट नं० 87 क्षेत्रफल 1477.1 वर्ग गज पर बने हैं और प्लाट नं० 86 क्षेत्रफल 1477.1 वर्ग गज जिस पर कुछ भी नहीं बना हुआ है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 585 अगस्त 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 30-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० बीजीआर/1259/75-76—अतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० फैक्ट्री भूमि 311 वर्ग गज 910 वर्ग गज में से है तथा जो 11/7 मील पत्थर दिल्ली मथुरा रोड़ फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्बगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री प्रह्लाद सिंह, पुत्र श्री तुलसी राम (निवासी गांव अडग पुर तहसील बल्बगढ़ जिला गुड़गांवां) 11/7 मील पत्थर मथुरा रोड, फरीदाबाद।
(अन्तरक)

(2) श्री विनोद गुप्ता पुत्र श्री ओ० पी० गुप्ता निवासी ई–165, ग्रेटर कैलाश, नं० 2 नई दिल्ली
(अन्तरिती)

(3) मैसर्ज हनुमान वूलन मिल्ज, 11/7 मील पत्थर, मथुरा रोड, फरीदाबाद
(वह व्यक्ति जिसके अधभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फैक्ट्री भूमि 311 वर्ग गज 910 वर्ग गज में से जोकि 11/7 मील पत्थर मथुरा रोड फरीदाबाद, तहसील बल्बगढ़ जिला गुड़गांवां में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2219 अगस्त 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बल्बगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक: 17 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 17 मार्च 1976

निदेश सं० बी जी आर/1258/75-76 —अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० फैक्ट्री की जमीन 599 वर्ग गज (910 वर्ग गज में से) है तथा जो 11/7 मील पत्थर मथुरा रोड, फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्बगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) श्री प्रहलाद सिंह, पुत्र श्री तुलसी राम (निवासी गांव अडगपुर, तहसील बल्बगढ़ जिला गुड़गांवा) 11/7 मील पत्थर मथुरा रोड, फरीदाबाद।
(अन्तरक)

(2) श्री ओ० पी० गुप्ता, पुत्र श्री चन्दु लाल निवासी ई-165, ग्रटर कैलाश नं० 2 नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

(3) मैसर्ज हनुमान बूलन मिल्स, 11/7 मील पत्थर मथुरा रोड, फरीदाबाद
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फैक्ट्री भूमि 599 वर्ग गज (910 वर्ग गज में से) जोकि 11/7 मील पत्थर मथुरा रोड, फरीदाबाद, तहसील बल्बगढ़ जिला गुड़गांवां में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2218, अगस्त 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बल्बगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक : 17 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9–बी

चण्डीगढ़, दिनांक 18 मार्च 1976

निदेश सं० जे जी आर/1144/75-76/—अतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिस की सं० 27 कनाल 10 मरले भूमि है तथा जो गांव अगवार गुजरां, तहसील जगराओं में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है,), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगरायों में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

13—36GI/75

(1) श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह, निवासी गांव अगवार गुजरां तहसील जगराओं।

(अन्तरक)

(2) (i) श्रीमती दलीप कौर विधवा श्री तलोक सिंह
(ii) श्रीमती प्रमजीत कौर } पुत्रीयां तलोक सिंह
(iii) श्रीमती सर्नजीत कौर }
निवासी अगवार गुजरां तहसील जगराओं।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

27 कनाल 10 मरले भूमि जोकि गांव अगवार गुजरां, तहसील जगराओं में स्थित है।

खाता नं० 1208/1279, किला नं० 149

1/2	2/2	—108
6–18	6–18	80

नं० 9 हिस्सा 57/80 उत्तर की ओर—जमाबन्दी साल 1969-70 5–14

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2992 अगस्त 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जगराओं के कार्यालय में लिखा है।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक 18 मार्च 1976

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 22 मार्च 1976

निदेश सं० एच एस आर/879/75-76—अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० प्लाट नं० 274 के साथ एक कमरा और चारदिवारी है तथा जो माडल टाऊन हिसार में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हिसार में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन, दिनांक अगस्त, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अनुसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती सनेह लता पत्नी श्री महेश चन्द्र सनेह भवन, लाईब्रेरी के पीछे, माडल टाऊन हिसार (अन्तरक)

(2) (i) श्री प्रकाश चन्द्र, पुत्र श्री मथुरा दास,
(ii) श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री जयदेव कुमार,
(iii) श्रीमती गिन्दोड़ो देवी, पत्नी श्री गुरदयाल मल
(iv) श्रीमती राम दुलारी, विधवा श्री हरीमाधो निवासी 157-एन, माडल टाऊन हिसार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 274 के साथ एक कमरा और चार दिवारी जोकि माडल टाऊन हिसार में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1488, अगस्त, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हिसार के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक 22-3-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ 156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 23 मार्च 1976

निदेश सं० एल डी एच/सी/1690/75-76--अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० गुरदेव नगर फिरोजपुर रोड पर सम्पत्ति नं० 1061/1 का 1/3 भाग है तथा जो लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अगस्त 1975 को पूर्वोक्त

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात

(1) श्री जसवंत सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह निवासी ललतो कलां, तहसील लुधियाना आज कल बी-xx/1061/1 गुरदेव नगर फिरोजपुर रोड़, लुधियाना
(अन्तरक)

(2) श्री राजिन्द्रकुमार सयाल, पुत्र श्री मनोहर लाल सयाल निवासी 135-4, माडल टाऊन, लुधियाना आज कल 6-कयुविक्स वुड ड्राईव, लिवरपोल-25 (यू० के०)
(अन्तरिती)

(3) (i) संत सिंह एण्ड ब्रदर्स, (ii) सतगुर ट्रेड कम्पनी (iii) नेशनल प्रापर्टी डीलर्ज (iv) जिले राम मोहन लाल (v) जरनैल सिंह, (vi) दलीप सिंह एण्ड मन्ज, और (vii) अज आयल कम्पनी मार्फत बी-xx/1061/1, गुरदेव नगर फिरोजपुर रोड, लुधियाना (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुरदेव नगर फिरोजपुर रोड लुधियाना में सम्पत्ति नं० बी-xx 1061/1 का 1/3 भाग

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 4216 अगस्त 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

दिनांक 23 मार्च 1976
मोहर:

प्ररुप आई०टी०एन०एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 30 मार्च 1976

निदेश सं० सी एच डी/457/75-76---अतः मुझे विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 61 क्षेत्रफल 999.6 वर्ग गज और इसमें एक मंजिल इमारत है तथा जो इण्डस्ट्रियल एरिया, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक सितम्बर 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सर्बजीत सिंह, पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी मकान नं० 1708 सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़
(अन्तरक)

(2) (i) श्री हरबन्स लाल,
(ii) श्री ज्ञान चन्द,
} पुत्र श्री जीवन सिंह
निवासी मकान नं० 110, सैक्टर 27-ए, चण्डीगढ़
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इण्डस्ट्रीयल एरिया चण्डीगढ़ में प्लाट नं० 61, क्षेत्रफल 999.6 वर्ग गज और उसमें एक मंजिल इमारत।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 723, सितम्बर 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज चण्डीगढ़

दिनांक 30 मार्च 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर दिनांक 4 मार्च 1976

निदश सं० राज० सहा० आ० अर्जन/317—यतः मुझे, सी० एस० जैन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० कार्नर हाउस है तथा जो चर्च रोड, जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 18 जुलाई 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री ध्रुबोनाथ पुत्र स्व० श्री खिलिन्द्र नाथ सेन स्वयं के लिए एवं कर्ता अविभाजित हिन्दु परिवार एवं श्रीमती चिन्मोया देवी विधवा श्री खिलिन्द्र नाथ सेन निवासी कार्नर हाउस, चर्च रोड (अजमेर रोड के पास) जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लक्ष्मी देवी बोहरा पत्नि श्री रिखब चन्द बोहरा (2) श्रीमती सोभाग कुमारी पत्नी श्री चांदमल बोहरा (3) श्री तारा चन्द बोहरा एवं (4) श्री रामचन्द बोहरा पुत्रान श्री रिखबचन्द बोहरा, निवासी प्लाट नं० 125, होस्पिटल रोड, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

चर्च रोड एवं अजमेर रोड के जंक्शन पर स्थित 'कार्नर हाउस' नामक मकान के पश्चिमी कोने का उत्तरी हिस्सा अन्तरित क्षेत्र 374.82 वर्ग गज। अधिक विस्तृत रूप से उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रमांक 2464 दिनांक 18 जुलाई 1975 को पंजीबद्ध विक्रयपत्र में विवरणित है।

सी० एस० जैन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख: 4-3-1976
मोहर:

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

दिनांक 15 अप्रैल, 1976

निदेश सं० X/12 / 10 (जुलाई)/75-76:—यतः मुझे, जी० रामनाथन,
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 31 है, जो अन्ना नगर, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तल्लाकुलम, (पत्र सं० 2227/75 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० पूरनचन्द्र राव और आदी। (अन्तरक)

(2) श्री एस० पी० संकरलिंगम, मदुरै। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मदुरै-20, अन्ना नगर प्लाट सं० 31 (आर० एस० 44/3ए० और 45/8) में 4740 स्कूयर फीट की भूमि (मकान के साथ)।

जी० रामनाथन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, मद्रास।

तारीख : 15 अप्रैल, 1976।
मोहर:

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 30th March 1976

Subject :—*SUMMER VACATION*—1976

No. F. 44/76-SCA(G).—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 1966 (as amended) the Hon'ble Chief Justice of India has been pleased to direct that the Supreme Court will be closed for the Annual Summer Vacation from Monday, the 10th May, 1976 to Sunday, the 18th July, 1976 (both days inclusive) and will re-open on Monday, the 19th July, 1976.

Under Rule 6, of Order II of the aforesaid Rules, the Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint the Hon'ble Mr. Justice P. N. Bhagwati and the Hon'ble Mr. Justice A. C. Gupta to be Vacation Judges to hear matters of an urgent nature, which under the above Rules may be heard by a Judge sitting singly, during the periods shown against their names below :—

The Hon'ble Mr. Justice P. N. Bhagwati from 10th May to 13th June 1976 (both days inclusive)

The Hon'ble Mr. Justice A. C. Gupta from 14th June to 18th July 1976 (both days inclusive)

The Hon'ble Mr. Justice P. N. Bhagwati will sit in the Court on Tuesday, the 25th May and 8th June '76 and the Hon'ble Mr. Justice A. C. Gupta, on 22nd June and 6th July, 1976. Sittings will, however, continue on the next succeeding day(s) if matters fixed for any day are not finished on that day.

During Summer Vacation the Offices of the Court will remain open daily from 10.00 A.M. to 4.30 P.M. except on Saturdays, holidays and Sundays. The Offices of the Court will, however, remain open on Saturday, the 17th July, 1976 from 10.30 A.M. to 1.30 P.M.

No plaints, appeals, petitions or other documents except those which are of an urgent nature will be filed or received in the Registry of the Court during the above period of vacation. For the convenience of the parties, however, the Registry will receive all plaints, appeals, petitions and other documents from 12th July, 1976 onwards during office hours.

S. K. GUPTA,
Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 17th January 1976

No. A. 32014/1/74-Admn. I.—The Chairman, Union Public Service Commission, has been pleased to allow S/Shri R. L. Thakur and K. Sundaram permanent Personal Assistants (Grade II of CSSS) cadre of UPSC, who were appointed to officiate as Senior Personal Assistants upto 31st December 1975 on purely temporary and *ad hoc* basis *vide* orders of even number dated the 7th July, 1975, to continue to officiate in the same capacity on a purely temporary and *ad hoc* basis for a further period of two months w.e.f. 1st January 1976 to 29th February 1976 or until further orders, whichever is earlier.

The 9th March 1976

No. P/1837-Admn. I.—Dr. V. S. Misra, formerly Reader, Education Department, Allahabad University who was earlier appointed as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission upto 29th February 1976 *vide* this office Notification of even number dated 18th September 1975 has been allowed to continue in the said post upto 31st May, 1976, or until further orders, whichever is earlier.

The 27th March 1976

No. P-1763/Admn. II.—In continuation of Union Public Service Commission's Notification of even number dated 10th February 1976, Shri G. B. Mathur, a permanent Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Works, Housing and Urban Development has been allowed to continue to officiate as Research Officer, on deputation basis, in the office of the Union Public Service Commission for a further period of one month with effect from 1st March 1976 OR until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE,
Under Secretary
for Chairman
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 25th March 1976

No. P-136/Admn. II.—The Secretary, Union Public Service Commission, is pleased to revert S/Shri B. S. Kapur, B. N. Arora and K. L. Katyal, who were officiating as Section Officer (Special), on *ad hoc* basis, in the Commission's Office, to the post of Section Officers in the CSS cadre of Union Public Service Commission w.e.f. forenoon of 1st March 1976.

P. N. MUKHERJEE,
Under Secretary (Admn.),
for Secretary
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 17th January 1976

No. A. 32014/1/75-Admn. I.—The President is pleased to allow Shri S. P. Mehra, permanent Personal Assistant (Grade II of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission, who was appointed to officiate as Senior Personal Assistant for a period from 1st December 1975 to 15th January 1976 on a purely temporary and *ad hoc* basis *vide* Notification of even number dated 11th December 1975, to officiate in the same capacity in the same cadre on a purely temporary and *ad hoc* basis for a further period from 16th January 1976 to 29th February 1976, or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri S. P. Mehra should note that his appointment as Senior Personal Assistant (Grade I of CSSS) is purely temporary and on *ad hoc* basis and will not confer any title for absorption in Grade I of Central Secretariat Stenographers' Service or for seniority in that Grade.

The 19th March 1976

No. A. 32014/1/76-Admn. III(1).—The President is pleased to appoint Shri S. D. Sharma, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 46 days from 8th March 1976 to 22nd April 1976 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/76-Admn. III(2).—The President is pleased to appoint Shri S. P. Mathur, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a period of 46 days from 17th March 1976 to 1st May 1976 or until further orders, whichever is earlier.

The 24th March 1976

No. A. 32014/1/76-Admn. III(1).—In continuation of this office notification No. A. 32014/1/75-Admn. III dated 12th January 1976, the President is pleased to appoint Shri H. S. Bhatia, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period of 46 days from 1st March 1976 to 15th April 1976 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/76-Admn. III(2).—In continuation of this office notification No. A. 32014/1/75-Admn. III dated 12th January 1976, the President is pleased to appoint Shri G. K. Samanta, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate in the Section Officers' Grade of the service for a further period of one month from 1st March 1976 to 31st March 1976 or until further orders, whichever is earlier.

The 26th March 1976

No. A. 12025(ii)/1/75-Admn. III.—In pursuance of the Cabinet Secretariat (Department of Personnel & A.R.) O.M. No. F. 5/26/75-CS(I) dated 21st October 1975, the President is pleased to appoint Shri H. R. Rishiraj a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission (at present on deputation to the ex-cadre post of Section Officer (Special) in the office of U.P.S.C.) to officiate in the Section Officers' Grade of the Service in the same cadre w.e.f. 1st March 1976, until further orders.

2. Shri H. R. Rishiraj will however, continue to hold, until further orders, the ex-cadre post of Section Officer (Special) in the office of Union Public Service Commission in accordance with the U.P.S.C. Notification No. A. 12019/5/74-Admn. II dated 2nd March 1976.

3. The continued appointment of Shri H. R. Rishiraj in the Section Officers' Grade of the C.S.S. cadre of the Union Public Service Commission will, however, be subject to review in the light of allocation of officers from the Examination category and further reorganisation of this office.

P. N. MUKHERJEE,
Under Secretary,
(Incharge of Administration),
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 17th January 1976

No. A. 32014/1/74-Admn. I.—The President is pleased to allow Shri P. P. Sikka, permanent Personal Assistant (Grade II of Central Secretariat Stenographers' Service) of the cadre of Union Public Service Commission, who was appointed to officiate as Senior Personal Assistant for a period from 6th December 1975 to 20th January 1976 on a purely temporary and *ad hoc* basis *vide* Notification of even number dated 22nd December 1975, to continue to officiate in the same capacity in the same cadre on a purely temporary and *ad hoc* basis for a further period from 21st January 1976 to 29th February 1976 or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri P. P. Sikka should note that his appointment as Senior Personal Assistant (Grade I of CSSS) is purely temporary and on *ad hoc* basis and will not confer any title for absorption in Grade I of Central Secretariat Stenographers' Service or for seniority in that Grade.

No. A. 32014/1/75-Admn. I—The President is pleased to allow Shri M. C. Khurana, officiating Senior Personal Assistant (Grade I of CSSS) in the cadre of the Union Public Service Commission, who was appointed to officiate as Private Secretary (Selection Grade of CSSS) on a temporary and *ad hoc* basis upto 15th January 1976 *vide* Notification of even number dated 11th December 1975, to continue to officiate in the same capacity on a purely temporary and *ad hoc* basis for a further period from 16th January 1976 to 29th February 1976 or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE,
Under Secretary,
Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT
DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADM. REFORMS
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 19th March 1976

No. PF T-8/72-AD-V.—In supersession of this office notification of even number dated 6th March 1976, The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri T. R. Sriramulu, Inspector of Police of Tamil Nadu State Police as Deputy Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment on deputation with effect from the forenoon of 21st February 1976 until further orders.

No. S-150/66-AD-V.—The Director, Central Bureau of Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri S. J. K. David, a deputationist Inspector of Andhra Pradesh State Police as Deputy Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the afternoon of 15th March 1976 until further orders.

No. A-19021/2/76-AD-V.—The President is pleased to appoint Shri R. Rajagopalan, (IPS-Tamil Nadu) as Supdt. of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 27th February 1976, until further orders.

The 20th March 1976

No. D-3/65-AD-V.—The President is pleased to appoint Shri Des Raj (non-IPS), an officer of Haryana State Police as Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 21st February 1976, until further orders.

The 23rd March 1976

No. K-10/73-AD-V.—On his repatriation to Andhra Pradesh State Police, Shri K. Satyanarayana, Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation, ES.I, New Delhi relinquished charge of the office of the Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on 4th March 1976 (AN).

No. K-59/65-AD-V.—The President is pleased to Appoint Shri K. A. Rajagopalan, Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on deputation from Tamil Nadu Police Department as Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from the forenoon of 21st February 1976, until further orders.

The 30th March 1976

No. PF/S-204/70-AD-I.—Shri S. K. Gupta, an officer of Calcutta Police on deputation to CBI as Inspector of Police, has been relieved of his duties in the CBI Calcutta on the forenoon of 3rd March, 1976 on repatriation to the Calcutta Police Headquarters.

G. L. AGARWAL,
Administrative Officer (E),
C.B.I.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 23rd March 1976

No. O-II-950/73-Estt.—Consequent on the expiry of the tenure of his *ad-hoc* appointment the services of Dr. Dinanath Das, J.M.O., 35th Bn., CRPF stand terminated w.e.f. the Afternoon of 10th October 1975.

A. K. BANDYOPADHYAY,
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 18th March 1976

No. E-38013(2)/1/76-Ad. I.—On transfer to Ranchi, Shri Lachhman Dass, IPS (Haryana—1962) relinquished the charge of the post of Commandant, Central Industrial Security Force Unit, MAMC, Durgapur with effect from the Afternoon of 18th February, 1976.

No. E-38013(2)/1/76-Ad. I.—On transfer from Durgapur, Shri Lachhman Dass, IPS, assumed the charge of the post of Commandant, Central Industrial Security Force Unit, HEC, Ranchi with effect from the Forenoon of 23rd February 1976.

The 19th March 1976

No. E-38013(2)/14/75-Ad. I.—On transfer from Visakhapatnam, Lt. Col. T. K. George, assumed the charge of the post of Commandant, CISF Unit, F.A.C.T. (Udyogmandal) with effect from the Forenoon of 28th February 1976.

The 20th March 1976

No. E-32015/12/2/76-Ad. I.—The President is pleased to appoint Col. B. C. Paul as Principal, CISF Trg. College, Hyderabad w.e.f. the forenoon of 1st March, 1976, until further orders.

Col. B. C. Paul has assumed the charge of the post with effect from the same date while in camp at New Delhi.

No. E-38013(3)/1/76-Ad. I.—On transfer from Dewas, Shri K. A. Belliappa assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Mormugao Port Trust, Mormugao with effect from the Forenoon of 1st February 1976 *vice* Shri J. Gomes who relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/1/76-Ad. I.—On transfer from Mormugao Post, Shri J. Gomes assumed the charge of the post of Vice Principal, CISF Training College, Hyderabad with effect from the Forenoon of 8th February 1976.

No. E-38013(3)/1/76-Ad. I.—On transfer from Korba Shri S. K. Verma assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Rourkela Steel Plant, Rourkela, with effect from the Forenoon of 10th February 1976.

No. E-38013(3)/1/76-Ad. I.—The President is pleased to appoint Inspector, P. P. Sahajpal to officiate as Assistant Commandant Central Industrial Security Force Unit, BAL Co. Korba, with effect from the Forenoon of 2nd February 1976, until further orders and he assumed the charge of the above post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/1/76-Ad. I.—The President is pleased to appoint Inspector, P. C. Gupta, to officiate as Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Durgapur Steel Plant, Durgapur with effect from the Forenoon of 23rd February 1976 until further orders and he assumed the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/1/76-Ad. I.—On transfer to Rourkela, Shri S. K. Verma, Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, BAL Co. Korba, relinquished the charge of the post with effect from the Forenoon of 2nd February 1976.

The 25th March 1976

No. E-38013(3)/3/76-Ad. I.—On transfer from Kanpur, Shri Harinderpal Singh assumed the charge of the post of Assistant Commandant Central Industrial Security Force Unit, Bokaro Steel Lt., Bokaro Steel City with effect from the Afternoon of 1st March 1976.

L. S. BISHT,
Inspector General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 20th March 1976

No. P/T(1)-Ad.I.—Shri S. D. Tyagi, Senior Geographer, is promoted on *ad hoc* basis as Research Officer (Map), for the period 16-2-1976 to 15-5-1976 in the vacancy caused by the promotion of Dr. R. R. Tripathi as Map Officer.

No. 6/6/75-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri J. S. Bhatia, a CSS Grade I Select List Officer, 1974 as Administrative Officer in the office of the Registrar General, India, with effect from the forenoon of 12 March 1976, until further orders.

The headquarter of Shri J. S. Bhatia is fixed at New Delhi.

The 26th March 1976

No. 10/6/75-RG(Ad.I).—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to continue the *ad hoc* appointment Shri S. N. Chaturvedi in the post of Deputy Director (Data Processing) in the office of the Registrar General, India for a further period of three months with effect from 17th February 1976 or till the post is filled on regular basis, whichever period is shorter.

The headquarter of Shri Chaturvedi continues to be at New Delhi.

No. 10/6/75-RG(Ad.I).—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to continue the *ad hoc* appointment of Shri K. R. Unni in the post of Deputy Director (Programme) in the office of the Registrar General, India, for a further period of three months with effect from 17th February 1976, or till the post is filled on a regular basis, whichever period is shorter.

The headquarter of Shri Unni continues to be at New Delhi.

The 29th March 1976

No. 11/7/75-RG(Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri N. Rama Rao, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Tamil Nadu and Pondicherry as Deputy Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations, Maharashtra, on a purely temporary and *ad hoc* basis, for a period of six months with effect from the forenoon of 11 March, 1976 or till the post is regularly filled up, whichever period is shorter.

The headquarter of Shri Rama Rao is at Bombay.

BADRI NATH,
Deputy Registrar General, India &
ex-officio Deputy Secretary

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, GUJARAT

Ahmedabad, the 22nd March 1976

No. Estt.(A)GO/2(169)5036.—The Accountant General Gujarat, Ahmedabad is pleased to appoint Shri T. Suryanarayanan permanent members of the subordinate Accounts Service, to officiate as Accounts Officer in the office of the Additional Accountant General, Gujarat, Rajkot with effect from 28th February 1976 FN until further orders.

K. H. CHHAYA,
Deputy Accountant General (Admn.)
Office of the Accountant General, Gujarat

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL

COMMERCE, WORKS AND MISCELLANEOUS

New Delhi, the 26th March 1976

No. Admn.I/2(4)/V/13223-29.—The Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi has been pleased to promote on temporary and provisional basis Shri R. K. Mathur, Permanent Section Officer as an Accounts Officer in the office of the Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi with effect from 19-3-1976 (FN) until further orders.

B. B. DEB ROY,
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)
Commerce Works & Msc.

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR

SOUTH EASTERN RAILWAY

Calcutta-700043, the 23rd March 1976

No. Admn/33-2A/75/6560.—Shri Ramendra Narayan Tapaswi, a permanent member of the Subordinate Railway Audit Service in the office of the Chief Auditor, South Eastern Railway, Calcutta has been promoted to officiate as an Audit Officer in that office from the forenoon of 12th January 1976 until further orders.

H. S. SAMUEL,
Chief Auditor

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR SOUTH CENTRAL RAILWAY

Secunderabad, the 30th March 1976

No. Au/Admn./II/5/1737.—The Chief Auditor, South Central Railway, Secunderabad, has appointed Shri D. Satyanarayana Murthy, a permanent member of the subordinate Railway Audit Service to officiate as Audit Officer, South Central Railway with effect from 8-3-1976 F.N. until further orders.

D. N. PRASAD,
Deputy Chief Auditor

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110022, the 27th March 1976

No. 86016(13)/75/AN-II.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Chowdhurie, an officer of the Indian Defence Accounts Service to officiate in the Junior Administrative Grade (Rs. 1500—60—1800—100—2000) with effect from 28-2-76 (FN), until further orders.

S. K. SUNDARAM,
Additional Controller General of Defence Accounts (AN)

MINISTRY OF DEFENCE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

Calcutta-16, the 16th February 1976

No. 16/76/G.—The President is pleased to appoint the under-mentioned officers as Offg. Asstt. Manager/Technical Staff Officer with effect from the date shown against each, until further orders :—

(1) Shri J. S. Sidhu, Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(2) Shri B. M. G. Singh Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(3) Shri D. R. Kalota, Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(4) Shri S. N. Deodhar Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(5) Shri K. R. G. Nair, Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(6) Shri A. L. B. Choudhury, Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(7) Shri L. R. Paul, Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(8) Shri S. C. Verma, Permt. Foreman	24th Nov., 1975.
(9) Shri B. V. Ghamande, Permt. Store-Holder	24th Nov., 1975.
(10) Shri Miskeen Hussain, Permt. Foreman	24th Nov., 1975
(11) Shri A. S. Ahluwalia, Permt. Foreman	24th Nov., 1975

The 26th March 1976

No. 25/76/G.—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri T. K. Chattopadhyay, Ty. Deputy Manager with effect from 10th October 1975 (AN).

M. P. R. PILLAI,
Assistant Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 22nd March 1976

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(Establishment)

No. 6/1121/76-Admn(G)/1994.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Chakrabarti, an Officer of the I.A.A.S. and Dy. Chief Auditor in the Office of the Chief Auditor, South Eastern Railway, Calcutta as Officer on Special Duty in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi with effect from the forenoon of 9-3-1976.

The 24th March 1976

No. 6/416/56-Admn(G)/2039.—The President is pleased to appoint Shri Robert Bara, Controller in the Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay to officiate as Dy. Chief Controller of Imports and Exports in the Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, with effect from the forenoon of 28-2-1976, until further orders.

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports & Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 20th March 1976

No. CLB 1/1/6G/76.—In exercise of the powers conferred on me by clause 34 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby make the following further amendment to the Textile Commissioners Notification No. CLB 1/1/6G/71 dated the 13th January 1972 namely :—

In the Table appended to the said Notification against S. No. 20(ii) in column No. 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Joint Director"

G. S. BHARGAVA,
Joint Textile Commissioner

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS DEPARTMENT OF SUPPLY

(Administration Section A-1)

New Delhi-1, the 11th March 1976

No. A-1/1(252).—Shri S. K. Ganguly, permanent Superintendent and officiating as Assistant Director (Grade II) in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi retired from Government service with effect from the afternoon of 29th February 1976 on attaining the age of superannuation (58 years).

The 15th March 1976

No. A-1/1(1045).—On their reversion to the post of Junior Progress Officer, S/Shri Ram Kishan and Balbir Singh, officiating Assistant Directors (Grade II) in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi relinquished charge of their posts on the forenoon of 1st March 1976.

The 19th March 1976

No. A-1/1(822).—Shri C. A. Pattabhiraman permanent Superintendent and officiating as Assistant Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies and Disposals, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 29th February 1976 on attaining the age of superannuation (58 years).

The 20th March 1976

No. A-1/1(1020).—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints Shri V. K. Sankaralingam, permanent Superintendent and officiating Asstt. Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies and Disposals, Madras to officiate as Asstt. Director (Adm.) (Grade II) in the office of the Director of Inspection, Madras with effect from the forenoon of 1st March 1976.

2. Shri Sankralingam will be on probation for one year with effect from 1st March 1976 (F.N.).

The 22nd March 1976

No. A-1/1(1036).—Shri V. Dadel, Superintendent (Supervisory Level II) and officiating as Assistant Director Administration) (Grade II) in the office of the Director of Inspection, Madras retired from Government service on the afternoon of 29th February 1976 on attaining the age of superannuation (58 years).

K. L. KOHLI,
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

(Administration Branch A-6)

New Delhi, the 19th March 1976

No. A-17011/97/76A-6.—The Director General of Supplies and Disposals hereby appoints Shri S. K. Sen, Examiner of Stores (Engg.) in the Calcutta Inspection Circle to officiate as Asstt. Inspecting Officer (Engg.) in the Directorate General of Supplies and Disposals, Calcutta with effect from the forenoon of 12th February 1976 until further orders.

SURYA PRAKASH,
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies and Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES
DEPARTMENT OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 23rd March 1976

No. A-19011(185)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri C. N. Vasanth to the post of Assistant Controller of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 11th February 1976, until further orders.

The 30th March 1976

No. A-19011(175)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri B. N. Basu, to the post of Assistant Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3rd March 1976 until further orders.

A. K. RAGHAVACHARY,
Sr. Administrative Officer
for Controller

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700013, the 3rd March 1976

No. 2181(MCB)/19B.—The following Senior Technical Assistants (Chem.), Geological Survey of India are appointed as Assistant Chemist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in temporary capacity with effect from the dates shown against each, until further orders.

1. Smt. Alpana Mandal—30-1-1976.
2. Shri Manindra Chandra Barai—30-1-1976.

The 6th March 1976

No. 2181(NCC)/19B.—Dr. N. C. Choudhuri, Assistant Chemist, Geological Survey of India is released on resignation from the services in the Geological Survey of India with effect from the afternoon of 25-11-1974 for joining his new appointment as Chemical Examiner Grade-II in the Central Revenues Chemical Service, Class-I.

No. 2251(AKR)/19B.—Shri Ajit Kumar Roy received charge of the post of Driller in the Geological Survey of India on reversion from the Mineral Exploration Corporation Ltd., in the same capacity with effect from the forenoon of the 16th January 1976.

The 26th March 1976

No. 50/66(SKB)/19B.—The undermentioned officials have received charge of the posts of Shift Boss in the Geological Survey of India on reversion from the Mineral Exploration Corporation Ltd., in the same capacity with effect from the date noted against each :—

1. Shri S. K. Biswas—16-1-1976 (FN).
2. Shri B. K. Prasad—16-1-1976 (FN).

V. K. S VARADAN,
Director General

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 23rd March 1976

No. C-5054/718-A.—The post of Budget and Accounts Officer, Surveyor General's Office, Survey of India, Dehra Dun is hereby redesignated as Establishment and Accounts Officer with immediate effect. Consequently Shri A. K. Das Sharma who was appointed to officiate as Budget and Accounts Officer Surveyor General's Office on transfer basis *vide* this office Notification No. C-4811/718-B dated 14-2-74 as amended vide Notification No. C-4882/718-B dated 2-8-74 is, hereby, redesignated as Establishment and Accounts Officer, Surveyor General's Office.

No. C-5055/718-A.—The post of Registrar, Surveyor General's Office, Survey of India, Dehra Dun is hereby redesignated as Establishment & Accounts Officer with immediate effect. Consequently Shri R. N. Sharma, appointed to officiate as Registrar, Surveyor General's Office, Survey of India, Dehra Dun on an *ad-hoc* basis *vide* this office Notification No. C-5044/718-A, dated 9-2-76, is, hereby, redesignated as Establishment and Accounts Officer, Surveyor General's Office, Shri R. N. Sharma will hold the post of Establishment and Accounts Officer on *ad-hoc* basis till further orders.

No. 5056/718-A.—The post of Registrar, Surveyor General's Office, Survey of India, Dehra Dun, which has been temporarily transferred to Northern Circle Office, Survey of India, Dhera Dun is, hereby, redesignated as Establishment & Accounts Officer with immediate effect. Consequently Shri M. P. Jain, appointed to officiate as Registrar *vide* this office Notification No. C-4724/718-A dated 27-9-1973 is redesignated as Establishment and Accounts Officer, Northern Circle Office, Survey of India, Dehra Dun.

HARI NARAIN,
Surveyor General of India
(Appointing Authority)

Dehra Dun, the 23rd March 1976

No. E1-5057/PF(A. K. Gangopadhyay).—The resignation of his appointment tendered by Shri Arup Kumar Gangopadhyay, Officer Surveyor, No. 15 Party (CST&MP), Survey of India, Hyderabad is accepted with effect from the afternoon of 30th September 1972.

HARI NARAIN
Surveyor General of India

Dehra Dun, the 30th March 1976

No. E1-5058/1117-LPR.—The Surveyor General of India is pleased to retire Shri P. N. Trivedi, Officer Surveyor of No. 1 Drawing Office (Map Publication), Survey of India, Dehra Dun, from the Government Service on superannuation with effect from 31st May 1975 (AN).

D. P. GUPTA,
Major Engrs.
Assistant Surveyor General.

DIRECTORATE GENERAL OF ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 20th March 1976

No. 4/97/75-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Smt. Grace Kujur as Programme Executive, All India Radio, Bhagalpur in a temporary capacity with effect from the 16th February 1976 and until further orders.

The 25th March 1976

No. 15/8/75-Vig.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Yogendra Bisanji Gharde, Health Educator, Regional Health Office, Gultekadi, Poona, as Extension Officer, Family Planning at All India Radio, Nagpur in a temporary capacity w.e.f. 8-3-76 (FN) until further orders.

The 26th March 1976

No. 15/9/75-Vig.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shri Madali Arunachalam, Health Education Officer, Central Health Education Bureau, New Delhi as Extension Offier, Family Planning at All India Radio, Hyderabad in a temporary Capacity w.e.f. 1-3-1976 (forenoon) until further orders.

The 29th March 1976

No. 15/7/75-Vig.—The Director General, All India Radio, hereby appoints Shrimati Gracy Thomas, Health Educator, Central Family Planning, Field Unit, Madras as Extension Officer, Family Planning at All India Radio, Calicut in a temporary capacity with effect from 9-3-1976 (A.N.) until further orders.

No. 4(86)/75-SI.—Shri Mohd. Shere Islam, a temporary Programme Executive, All India Radio, Ranchi resigned from Government service with effect from the afternoon of the 10th March 1976.

No. 5(124)/60-SI-Vol.II.—Shri B. N. Dhar, Programme Executive, All India Radio, Siliguri retired from service with effect from the afternoon of 29th February 1976 on attaining the age of superannuation.

R. DEVASAR,
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 18th March 1976

No. 2/4/75-SIII.—The Director General, All India Radio herby appoints Shri Arun Kumar in the cadre of Assistant Engineer in All India Radio in an officiating capacity at TV Centre, All India Radio, Lucknow with effect from 4-3-76 (F.N.) until further orders.

HARJIT SINGH,
Deputy Director of Admn.
for Director General

New Delhi, the 24th March 1976

No. 3/46/61-SII.—Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri P. N. Kaul, Accountant, Television Centre, All India Radio, Srinagar to officiate as Administrative Officer, All India Radio, Srinagar with effect from 10-3-76 (A.N.).

I. S. PANDHI,
Section Officer,
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi-1, the 23rd March 1976

No. 7/5/68-Est.II.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri H. L. Ahuja to officiate as Field Exhibition Officer in this Directorate at Jaipur with effect from 12th March 1976 (forenoon) until further orders.

R. L. JAIN,
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 22nd March 1976

No. 9-16/72-Admn.I.—Consequent on the termination of her appointment, Kumari Meenakshi Rampal relinquished charge of the post of Lecturer in Physics at the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, on the afternoon of 30th September 1975.

The 24th March 1976

No. 33-14/75-Admn.-I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri K. C. Sharma, as Accounts Officer, Safdarjang Hospital, New Delhi, on deputation basis, with effect from the forenoon of the 1st March 1976, and until further orders.

No. 33-13/75-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Smt. Sujata Malik, Occupational Therapist, Willingdon Hospital, New Delhi, to the post of Senior Occupational Therapist in the Safdarjang Hospital, New Delhi, on an ad-hoc basis, with effect from the forenoon of the 28th February 1976, and until further orders.

No. 9-31/73-Admn.-I.—The Director of Administration and Vigilance in the Directorate General of Health Services is pleased to accept the resignation from service of Smt. Mamta Dixit, Clinical Instructor, Rajkumari Amrit Kaur college of Nursing, New Delhi with effect from the afternoon of the 14th January 1976.

The 31st March 1976

No. 26-18/75-Admn.I.—Consequent on his transfer to the post of Assistant Entomologist, at the Kala-Azar Unit, Patna, Shri S. M. Kaul, relinquished charge of the post of Assistant Entomologist at the Pilot Project for the Control of *B. malayi* Filariasis, Thuravoor, on the afternoon of 3rd February 1976.

Shri S. M. Kaul assumed charge of the post of Assistant Entomologist, at the Kala-Azar Unit, National Institute of Communicable Diseases, Patna, on the forenoon of 13th February 1976.

S. P. JINDAL,
Dy Director Administration

New Delhi, the 27th March 1976

No. 58-3/75-CHS.I.—Consequent on her transfer Dr. (Smt.) V. Soni an officer of the General Duty Grade-I of the Central Health Service relinquished charge of the post of Lady Medical Officer of Health, Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi on the afternoon of the 4th March 1976 and assumed charge of the post of General Duty Officer Grade I of the Central Health Service under the Central Government Health Scheme, Delhi on the forenoon of the 5th March 1976.

R. N. TEWARY,
Deputy Director Administration (CHS)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 25th March 1976

No. F.4-6(109)/76-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, New Delhi, Shri Subrata Sarkar, has been appointed by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, to officiate as Assistant Marketing Officer, Group I in the Directorate of Marketing & Inspection at Guntur w.e.f. 1-3-1976 (F.N.) until further orders.

V. P. CHAWLA,
Director of Administration

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Bombay-400 085, the 26th February 1976

No. PA/79(19)/75-R-IV.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Smt. Alagar Krishnan Rajalakshmi, a permanent Upper Division Clerk and a temporary Assistant in the Bhabha Atomic Research Centre to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Centre with effect from the forenoon of November 12, 1975, until further orders.

No. PA/79(19)/75-R-IV.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Govindaswami Iyer Rajagopalan, a permanent Senior Stenographer in the Bhabha Atomic Research Centre, to officiate as Assistant Personnel Officer, in the same Centre, with effect from the forenoon of November 12, 1975, until further orders.

No. PA/79(19)/75-R-IV.—The Controller Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Pisharody Mukundan, a permanent Senior Stenographer in the Bhabha Atomic Research Centre, to officiate as Assistant Personnel Officer, in the same centre, with effect from the forenoon of November 12, 1975, until further orders.

No. PA/79(19)/75-R-IV.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre, appoints Shri Ramachandra Dattatray Vengurlekar, a permanent Lower Division Clerk and a temporary Assistant, in the Bhabha Atomic Research Centre to officiate as Assistant Personnel Officer in the same Research Centre, with effect from the forenoon of November 12, 1975, until further orders.

The 3rd March 1976

No. PA/73(2)/75-R-IV.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre appoints Dr. Arif Husain as Resident Medical Officer in a temporary capacity in the same Research Centre with effect from the forenoon of January 31, 1976, until further orders.

P. UNNIKRISHNAN,
Dy. Establishment Officer (R)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
TARAPUR ATOMIC POWER STATION

Thana-401 504, the 11th February 1976

No. TAPS/ADM/947.—On transfer from Heavy Water Project, Baroda, Shri C. R. Valia, Assistant Accounts Officer assumed charge of office of Assistant Accounts Officer in the Tarapur Atomic Power Station with effect from the forenoon of February 5, 1976.

No. TAPS/ADM/947.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the ad-hoc appointment of Shri Y. R. Velankar as Assistant Accounts Officer for the period from 1st January 1976 to 7th February 1976.

Shri Velankar relinquished charge of office of Assistant Accounts Officer in the Tarapur Atomic Power Station with effect from the afternoon of February 7, 1976.

K. V. SETHUMADHAVAN,
Chief Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 762, the 13th March 1976

Ref. No. PAR/0705/410.—The Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri J. Suryanarayana Rao, Assistant Accountant, as Assistant Accounts Officer, on *ad-hoc* basis, in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, for the period from 1st March 1976 to 31st May 1976, or until further orders, whichever is earlier.

The 22nd March 1976

No. PAR/0705/517.—The Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri Ch. Narasimha Chary, Assistant Accountant, as Assistant Accounts Officer, on ad-hoc basis, in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, for the period from April 1, 1976 to June 30, 1976, or until further orders whichever is earlier.

S. P. MHATRE,
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 26th March 1976

No. E(I)04227.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri A. K. Dutta, Professional Assistant, Office of the Director, Regional Meteorological Centre, Calcutta as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of Eightynine days with effect from the forenoon of 20th February 1976 to 18th May 1976.

Shri A. K. Dutta, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the office of the Director, Regional Meteorological Centre, Calcutta.

No. E(I)04267.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri P. K. E. Raja, Professional Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Forecasting), Poona as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of sixty-one days with effect from the forenoon of 1st March 1976 to 30th April 1976.

Shri Raju, Offg. Assistant Meteorologist remains posted to the office of the Dy. Director General of Observatories (Forecasting), Poona.

The 27th March 1976

No. E(I)05481.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri S. N. Bhan, Professional Assistant, Meteorological office, Srinagar under the office of the Director, Regional Meteorological Centre, New Delhi as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of Eightynine days with effect from the forenoon of 26th February 1976 to 24th May 1976.

Shri Bhan has been transferred to the office of the Dy. Director General of Observatories (Instruments), New Delhi where he assumed charge on the forenoon of 26th February 1976.

The 29th March 1976

No. E(I)03920.—On attaining the age of superannuation, Shri D. V. Raghavaiah, officiating Assistant Meteorologist, Meteorological office, Visakhapatnam retired from Government service with effect from the afternoon of 29th February 1976.

No. E(I)05102.—Shri G. Varadha Rajan, Officiating Assistant Meteorologist, on deputation as Technical Officer in the Marine & Aeronautical Division at World Meteorological Organisation, Geneva, retired voluntarily from Government service with effect from the forenoon of 1st February 1976.

No. E(I)04287.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri V. Sundaresa Rao, Professional Assistant, Regional Meteorological Centre, Madras to officiate as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of 40 days with effect from the forenoon of 1st March 1976 to 9th April 1976.

Shri Sundaresa Rao, Offg. Assistant Meteorologist remains posted to the office of the Director, Regional Meteorological Centre, Madras.

G. R. GUPTA,
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 9th March 1976

No. A. 32013/1/75-ES.—The President is pleased to appoint the following Assistant Aircraft Inspectors to officiate as Aircraft Inspector, on a regular basis and until further orders with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Promotion	Station of Present Posting
1.	Shri N. Jayasimha, Assistant Aircraft Inspector, Bangalore.	12-1-76 (F.N.)	Inspection Office, Kanpur
2.	Shri S. K. Mukherjee, Assistant Aircraft Inspector, Bombay	4-2-76 (F.N.)	Inspection Office, Bombay.

The 15th March 1976

No. A.32014/2/75-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri S. N. Singh, Technical Assistant, Aeronautical Communication Station, Varanasi as Assistant Technical Officer on a regular basis with effect from the 24th Feb., 1976 (F.N.) and until further orders and to post him at the same station.

H. L. KOHLI
Dy. Director (Administration)

New Delhi-22, the 19th March 1976

No. A.32013/3/75-EC.—The President is pleased to appoint the following 10 Technical Officers, working as Senior

Technical Officer on an *ad hoc* basis, as Senior Technical Officer on a regular basis in the Civil Aviation Department with effect from 2nd February 1976 (forenoon) and until further orders at the station indicated against each :—

1. Shri R. S. Ajmani—Bombay.
2. Shri K. Ramalingam—Calcutta.
3. Shri S. Ramachandran—RCDU ND.
4. Shri H. V. Sudershan—Bombay.
5. Shri S. K. Chandra—Calcutta.
6. Shri Suresh Chandra—Allahabad.
7. Shri G. V. Koshy—Safdarjung, New Delhi.
8. Shri A. K. Misra—RCDU, N. Delhi.
9. Shri P. R. Suryanandan, RCDU, N. Delhi
10. Shri K. V. Rao—RCDU, New Delhi.

H. L. KOHLI,
Deputy Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

New Delhi-110022, the 8th March 1976

No. A.31013/5/75-EH.—The President has been pleased to appoint Shri V. N. Kapur, officiating Director of Aeronautical Inspection, Civil Aviation Department, in a substantive capacity in the same grade with effect from the 6th August, 1975.

The 20th March 1976

No. A-32013/2/76-E(H).—The President has been pleased to appoint Shri S. Mukhopadhyaya, Deputy Director of Equipment as Director of Equipment in the Civil Aviation Department, New Delhi purely on an *ad-hoc* basis for a period of 20 weeks with effect from the forenoon of the 2nd March 1976, or till Shri S. Venkaswamy, Director of Equipment, who has been deputed for training under United Nations Development Programmes, Country Programmes resumes duty on expiry of his deputation, whichever is earlier.

The 25th March 1976

No. A.32013/11/74-EH.—The President is pleased to appoint Shri N. M. Walecha in an officiating capacity on a regular basis to the post of Scientific Officer in the R & D Directorate of the Civil Aviation Department with effect from 20th March 1976 (FN) and until further orders.

The 26th March 1976

No. A.32013/5/75-EH.—The President has been pleased to appoint Shri S. K. Neogi, Controller of Communication, Madras, as Director of Aeronautical Communication, in the Civil Aviation Department on an *ad-hoc* basis with effect from 17th March 1976 (FN) to 31st May, 1976, or till regular appointment is made, whichever is earlier.

T. S. SRINIVASAN,
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 12th March 1976

No. A.32013/7/75-EA.—The President is pleased to sanction the continued *ad-hoc* appointment of the following officers, as Aerodrome Officer upto the 31st March, 1976 or till the posts are filled on a regular basis, whichever is earlier :—

S. No., Name and Station of posting

1. Shri L. A. Lobo—Bombay Airport, Bombay.
2. Shri R. D. Nair—Bombay Airport, Bombay.
3. Shri Amir Chand—Chandigarh.
4. Shri K. K. Saxena—Delhi Airport, Palam.
5. Shri A. M. Thomas—Tirupathi.
6. Shri M. M. Sharma—Agra.

The 15th March 1976

No. A31013/1/74-EA.—The President has been pleased to appoint the following officers in a substantive capacity in the grade of Deputy Director/Controller of Aerodromes in the Air Routes & Aerodromes Organisation on the Civil Aviation Department, with effect from the 27th December, 1975.

1. Shri P. K. Ramachandran.
2. Shri G. S. Gupta.
3. Shri J. S. Chowdhury.
4. Shri B. N. Kacker.
5. Shri D. N. Bhardwaj.
6. Shri J. S. Kapoor.
7. Shri B. Krishnaswamy.

V. V. JOHRI
Assistant Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 10th March 1976

No. 1/402/76-EST.—Shri S. Brahmachari, is appointed as Assistant Engineer in a temporary capacity in the Calcutta Branch with effect from the forenoon of the 30th December, 1975 and until further orders.

P. G. DAMLE
Director General

Bombay, the 22nd March 1976

No. 1/367/76-EST.—The Mahanideshak, Videsh Sanchar Seva, hereby appoints Shri R. L. Menezes, Permanent Paryavekshak, Bombay Shakha as Up Pariyat Prabandhak, in an officiating capacity in the same Shakha, for the period from 1st December 1975 to 21st February 1976 (both days inclusive) against short-term vacancies.

M. S. KRISHNASWAMY,
Director (Admn.)
for Director General

Bombay, the March 1976

No. 1/369/76-EST.—The Mahanideshak, Videsh Sanchar Seva, hereby appoints Shri Bhagat Singh, Paryavekshak, New Delhi Shakha as Up Pariyat Prabandhak in an officiating capacity in the same Shakha, for the period from 13-1-1976 to 7-2-1976 (both days inclusive), against a short-term vacancy.

The 8th March 1976

No. 1/389/76-EST.—The Director General, O.C.S., hereby appoints Shri P. L. V. Prasad, Officiating Technical Assistant, Poona Branch as Assistant Engineer in an officiating capacity in the same Branch for the period from 3-10-1975 to 13-2-1976 (both days inclusive), against short-term vacancies.

P. K. G. NAYAR
Dy. Director (Admn.)
for Director General

FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES

Dehra Dun, the 31st March 1976

No. 16/241/75-Ests.I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun is pleased to appoint Dr. Padmakar Pande as Research Officer at the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun with effect from the forenoon of 1st March 1976.

P. R. K. BHATNAGAR,
Registrar,
Forest Research Institute & Colleges

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Shillong, the 18th September 1976

No. 6/75.—Shri M. C. Deb an officiating Office Superintendent Customs & Central Excise Shillong Collectorate was appointed to officiate as Administrative Officer (Class-II), Customs & Central Excise until further orders. Shri M. C. Deb assumed charge as Administrative Officer, Customs and Central Excise, Agartala on 8-9-1975 (F.N.).

S. C. NIYOGI
Collector of Customs & Central Excise
Shillong

Baroda, the 6th March 1976

No. 3/76.—Shri V. R. Trivedi, Inspector of Central Excise appointed as Superintendent of Central Excise Class II under this office Establishment Order No. 317/75 dated 19-11-75 has taken over the charge as Superintendent of Central Excise Class II on 22nd January, 1976 forenoon in Hdqrs. Office, Ahmedabad Collectorate.

The 25th February 1976

No. 4/76.—Shri R. H. Desai, Office Superintendent of Central Excise appointed as Administrative Officer of Central Excise Class II under this office Establishment Order No. 348/75, dated 26th December 1975 has taken over the charge as Administrative Officer of Central Excise Class II on 27th January 1976 forenoon in Jamnagar Customs Division of Ahmedabad Collectorate.

Sd/- ILLEGIBLE
for Collector of Central Excise
Baroda

Allahabad, the 15th March 1976

No. 13/1976.—Shri B. N. Mitra, officiating Superintendent of Central Excise, Group B, posted as Superintendent (Tech.) in the Central Excise Integrated Divisional Office, Lucknow, handed over the charge of the office of the Suprintendent (Tech.) of Central Excise Integrated Divisional Office, Lucknow on 29th February 1976 (afternoon) to Shri A. M. K. Warsi, Superintendent, Central Excise, Group B of Central Excise Integrated Divisional Office, Lucknow and retired from Government service with effect from the said date and hours. Shri A. M. K. Warsi, Superintendent, Central Excise will hold additional charge of the office of Superintendent (Tech.) Integrated Divisional Office, Lucknow till further orders.

The 20th March 1976

No. 15/1976.—In supersession of this office Notification No. 8/1975, dated 7th January 1975, issued under this office endorsement C. No. II(3)319-Et/71/1342/48, dated 10th January 1975, Shri G. P. Darbari, officiating Superintendent of Central Excise, Group B posted in the Central Excise Integrated Divisional Officer, Gorakhpur is hereby allowed to cross the Efficiency Bar at the stage of Rs. 810/- in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 1st January 1974 in pursuance of this office Establishment Order No. 115/1975, dated 4th October 1975, issued under endorsement C. No. II-6-Estt. 2/75/Pt.I/38704, dated 4th October 1975.

No. 19/1976.—Shri Raghunandan Prasad, Kapoor confirmed Inspector (S.G.) of Central Excise, previously posted in the Central Excise Integrated Divisional Office, Moradabad and appointed to officiate as Superintendent Central Excise Class II (Now Group B) until further orders in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB-40—1200, vide this office Establishment Order No. 334/1975, dated 27-11-1975—issued under endorsement C. No. II(3) 2-Et/75, dated 28-11-1975 assumed charge as Superintendent, Central Excise, Group B in the Central Excise Integrated Divisional Office, Rampur on 31-12-1975 (forenoon).

H. B. DASS
Collector,
Central Excise, Allahabad.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 20th March 1976

No. A-12017/5/76-Adm. V.—In continuation of this Commission Notification No. A-12017/1/72-Adm. V (Vol. II) dated 16th October 1975 the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri M. Bhowmick to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Chemistry Group) in the Central Water & Power Research Station, Poona, in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a further period from 1st January 1976 to 31st March 1976 or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

The 24th March 1976

No. A-12017/6/76-Adm. V.—In continuation of this Commission's Notification No. A-19012/553/75-Adm. V, dated 21st January 1976, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri S. K. Dev, Senior Research Assistant to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Physics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a further period from 1st March 1976 to 31st August 1976 or till such time Shri P. J. Desai is reverted to post of Assistant Research Officer (Physics) whichever is earlier.

No. A-12017/6/76-Adm. V.—In continuation of this Commission's Notification No. A-19012/556/75-Adm. V, dated 24th January 1976, the Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri G. M. Kotwar, Research Assistant to officiate in the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Physics Group) in the Central Water and Power Research Station, Poona, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a further period from 1st March 1976 to 31st August 1976 or till such time Shri K. S. Mutta repatriates to the Commission whichever is earlier.

JASWANT SINGH,
Under Secretary,
For Chairman, C.W. Commission.

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 26th March 1976

No. 6/16/75-Adm. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints S/Shri S. Chakravorty and Agia Singh, Head Draftsman as Extra Assistant Director (Drawing/General) with effect from the forenoon of 6th March 1976.

The 30th March 1976

No. 6/2/76-Adm. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri A. S. Sechra Technical Assistant to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of Central Power Engineering Class II Service with effect from the afternoon of 18th March 1976.

No. 6/2/76-Adm. II.—The Chairman, Central Electricity Authority hereby appoints Shri Inder Jit Sharma, Technical Assistant to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of Central Power Engineering Class II Service with effect from the forenoon of 1st March 1976.

S. BISWAS,
Under Secretary

INTEGRAL COACH FACTORY

Madras-38, the 19th March 1976

No. PB/GG/9/Misc. II.—Sri R. C. TANDON, Officiating Additional Chief Mechanical Engineer/C&W (S.A.—Level-II) on transfer from Southern Railway has reported for duty and posted as Officiating Additional Chief Mechanical Engineer/ I.C.F. (S.A.—Level II) with effect from 20th February 1976 (A.N.).

Sri C. SANKARAN, Officiating Welfare Inspector (Class III) who has been provisionally empanelled for the post of Assistant Personnel Officer has been promoted to officiate in Class II service as Assistant Personnel Officer/Reservation (Class II) with effect from 26th February 1976.

S. SUBRAMANIAN,
Deputy Chief Personnel Officer
For General Manager

NORTHERN RAILWAY

HEADQUARTERS OFFICE

New Delhi, the 1st March 1976

No. 5.—Shri J. C. Bhardwaj Asstt. Personnel Officer (Class II) Northern Railway has finally retired from service w.e.f. 29th February 1976 (AN).

The 22nd March 1976

No. 6.—Shri B. R. Sharma, Asstt. Controller of Stores (Class II) Northern Railway has finally retired from Railway Service w.e.f. 29th February 1976 (AN).

V. P. SAWHNEY,
General Manager

CENTRAL RAILWAY

GENERAL MANAGER'S OFFICE

Bombay, the 30th March 1976

No. HPB/220/G/I/L.—The undermentioned Assistant Electrical Engineers (on Probation) of the Indian Railway Service of Electrical Engineering Department are confirmed in Junior Scale with effect from the dates shown against each :—

Sr. No.	Name	Date from which confirmed in Junior Scale
1.	Shri Ramesh Chandra . . .	8-1-1973
2.	Shri Ravi Kumar Sareen . . .	7-1-1974
3.	Shri Jas Pal Singh	4-12-1974

BOMBAY VT.

Krishan Chandra,
General Manager

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

NATIONAL TEST HOUSE, ALIPORE

Calcutta-23, the 18th March 1976

No. G-65/B(CON).—Shri D. S. Majumdar, Scientific Assistant (Physical) since redesignated as Scientific Assistant (Mechanical), National Test House, Calcutta who was promoted to officiate as Scientific Officer (Physical) since redesignated as Scientific Officer (Mechanical) in the same office with effect from 31st May 1974 *vide* National Test House, Calcutta Notification No. G-65/B(CON) dated 24th June 1974 has been reverted to the post of Scientific Assistant (Mechanical) in the National Test House, Calcutta with effect from the after-noon of 28th February 1976.

A. K. BHATTACHARYYA,
Joint Director
for Director, National Test House

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Bombay-2, the 22nd March 1976

No. 10798/560(4).—Whereas M/s. Janata Motor Service Corporation Private Limited, having its registered office at Cloth Market, Mummath Maharashtra is being wound up;

And whereas the undersigned has reasonable cause to believe that the affairs of the company have been completely wound up and that the Statement of accounts for the period from 8th January 1971 onwards (returns) required to be made by the liquidator have not been made for a period of six consecutive months;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) notice is hereby given that at the expiration of three months from the date of this notice the name of Janata Motor Service Corporation Private Limited will unless cause is shown to the contrary, be struck off the register and the company will be dissolved.

Sd/- ILLEGIBLE
Addl. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of The Film Craftsmen Private Limited

Hyderabad-1, the 23rd March 1976

No. 938/T(560).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of The Film Craftsmen Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

O. P. JAIN,
Registrar of Companies,
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Jasmine Transports Pvt. Ltd.

Madras-6, the 26th March 1976

No. DN/5075/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Jasmine Transports Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of The Majestic Textiles Limited

Madras-6, the 26th March 1976

No. DN(4938/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of The Majestic Textiles Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Navasakthi Commercial Traders Private Ltd.

Madras-6, the 26th March 1976

No. DN/4768/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Navasakthi Commercial Traders Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of T. K. R. G. Transports Pvt. Ltd.

Madras-6, the 26th March 1976

No. DN/4715/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of T. K. R. G. Transports Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Mani Muralee Transports Private Ltd.

Madras-6, the 26th March 1976

No. DN/4468/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Mani Muralee Transports Private Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Bulbul Roadways Private Ltd.

Madras-6, the 26th March 1976

No. DN/4722/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Bulbul Roadways Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Thenmozhi Chit Fund Private Limited

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/4664/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Thenmozhi Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Miran & Company Private Ltd.

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/5109/560(3).—Notice is hereby given pursuant to shub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Miran & Company Private Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Pandain Fertilisers & Oil Mills Private Ltd.

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/4860/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pandian Fertilisers & Oil Mills Private Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Sakuntala Roadways Pvt. Ltd.

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/4091/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Sakuntala Roadways Private Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Sanjeevi Transports Pvt. Ltd.

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/4725/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Sanjeevi Transports Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Savings Permanent Fund (CBE) Pvt. Ltd.

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/4749/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Savings Permanent Fund (CBE) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Musiri Pulivalam Transports Pvt. Ltd.

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/3750/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of Musiri Pulivalam Transports Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of U.T.S. Bus Service Private Ltd.

Madras, the 29th March 1976

No. DN/4775/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of U.T.S. Bus Service Private Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of East Coast Engineering Company Private Ltd.

Madras-6, the 29th March 1976

No. DN/5325/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-sec. (3) of Sec. 560 (3) of Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of East Coast Engineering Company Private Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

S. SRINIVASAN
Asst. Registrar of Companies,
Tamil Nadu, Madras

In the matter of the Companies Act, 1956, and of New Angarpathra Colliery Company Private Limited

Patna, the 29th March 1976

No. 1(900) 75-76/9436.—Notice is hereby given pursuent to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the New Angarpathra Colliery Company Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

S. P. TAYAL
Registrar of Companies, Bihar
Patna

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

New Delhi, the 12th August 1975

INCOME TAX

No. JUR-DLI/II/75-76/36.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-Tax, Delhi-II, New Delhi hereby directs that the following Income-tax Circles shall be created with effect from 8th August 1975.

(1) Trust Circle-I, New Delhi.

(2) Trust Circle-II, New Delhi.

The 20th August 1975

CORRIGENDUM

No. JUR-DLI/II/75-76/11499.—In this office notification No. JUR-DLI/II/75-76/37 dated the 12th August 1975 in column 2 "the entry at S. No. 6 stands deleted and in its place S. No. 7 shall be read as S. No. 6".

ORDER

No. JUR-DLI/II/75-76/11852.—In exercise of the powers confirmed by sub-section (1) of Section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and impartial modification of this office order No. Estt. I/JUR/DLI/1970-71/5051-B dated 29th June, 1970, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi hereby directs that the Income-tax officer Distt. VI(9), New Delhi, shall and the Income-tax officer Distt. VI(10) Addl. New Delhi shall not exercise his functions in respect of the assessees whose names commence with alphabet 'S' and who were with in the jurisdiction of the Income-tax officer, Distt. VI(10) Addl. New Delhi, prior to 20th August 1975 and where any such assessee is a partnership firm, also the partners of such firm irrespective of the alphabet with which the names of such partners commence.

2. Provided that this order shall not effect the existing jurisdiction of the Income-tax officer, Distt. VI(10) Addl. New Delhi in respect of the assessees whose names commence with the alphabet 'S' and who are partners in a partnership firm with a name commencing with any alphabet other than 'S' where such firm is within the jurisdiction of the Income-tax Officer, Distt. VI(10) Addl. New Delhi, as on the date this order takes effect.

3. This order shall take effect from 20th August 1975.

The 1st October, 1975

INCOME-TAX

No. JUR-DLI/II/75-76/14095—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf and in view of Board's notification No. (187/2/74-IT (AI) dated 29-9-75, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi hereby makes the following amendments in the schedule appended to this office notification No. JUR-DLI/II/74-75/544 dated the 5-8-1974 as amended from time to time.

In the said schedule the entries in the column 2 against IAC-Delhi Range-II-A, New Delhi, shall be substituted by the following entries :—

Range	Income-tax Districts/Circles
1	2
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range-II-A, New Delhi.	1. Companies Circle, I, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XVII, XVIII, XXI, and XXII, New Delhi. 2. Special Circles, I, I (Addl.) II, II (Addl.), and VII, New Delhi. 3. Contractors' Circle, New Delhi

This notification shall take effect from Ist Oct. 1975

The 13th November 1975

No. JUR-DLI/II/74-75/20556.—In modification of all previous orders u/s 124 or 127 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), in respect of the jurisdiction of the Income-tax officer, Distt VI(10), New Delhi and in exercise of the powers conferred by section 124 of the said Act and all other enabling powers in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi, directs that as from the date on which this order takes effect, the Income-tax officer, Distt. VI(1), New Delhi, shall and the Income-tax officer, Distt. VI(10), New Delhi shall not, exercise his functions as an Income-tax officer in respect of assessees whose names commence with any of the alphabets O, P, or Q and who were within the jurisdiction of the Income-tax officer, Distt. VI(10), New Delhi prior to 15th November 1975.

Provided that this order shall not affect the existing jurisdiction of the Income-tax officer, Distt. VI(10), New Delhi in respect of assessees whose names commence with the alphabets O, P, or Q and who are partners in a partnership firm with a name commencing with any alphabets other than O, P, or Q where such firm is within the jurisdiction of the said Income-tax officer as on the date of this order.

This order shall take effect from 15th November 1975.

The 14th November 1975

No. JUR-DLI/II/74-75/20761.—In modification of all previous orders u/s 124 or 127 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), in respect of the jurisdiction of the Income tax Officer, Distt. VI(10) New Delhi and in excercise of the powers conferred by section 124 of the said Act and all other enabling powers in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi, directs that as from the date on which this order takes effect, the Income tax Officer, Distt. VI(5), New Delhi, shall and the Income tax Officer, Distt. VI(10), New Delhi, shall not, exercise his functions as an Income tax Officer in respect of assessees whose names commence with the alphabet 'K' and who were within the jurisdiction of the Income tax Officer, Distt. VI(10), New Delhi, prior to 15th November 1975.

Provided that this order shall not affect the existing jurisdiction of the Income tax Officer, Distt. VI(10) New Delhi in respect of assessees whose names commence with the alphabet 'K' and who are partners in a partnership firm with a name commencing with any alphabets other than 'K' where such firm is within the jurisdiction of the said Income tax Officer as on the date of this order.

This order shall take effect from 15th November 1975.

INCOME TAX

No. JUR-DLI/II/75-76/20924.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi hereby directs that the Contractors Circle, Delhi shall be bifurcated into two wards as under .—

1. Contractors Circle, Ward-A.

2. Contractors Circle, Ward-B.

This order shall come into force w.e.f. 15th November 1975.

No. JUR-DLI/II/75-76/21175—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all previous orders/notifications on the subject, the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi hereby directs that the Income-tax Officer mentioned in column 2 of the Schedule here-in-below shall perform, their functions in respect person or classes of

persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases which have been assigned or may hereafter be assigned u/s 127 of the said Act to any other Income-tax Officer :—

S.No.	Designation of the ITO	Jurisdiction
1	2	3
1.	Income-tax Officer Contractors Circle, Ward-A, New Delhi.	(a) All persons or classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases falling within the jurisdiction of the Income-tax officer, Contractors Circle, Delhi whose names begin with any of the alphabets from A to M (both inclusive). (b) All persons being partners of firm falling in item (a) above.
2.	Income-tax Officer, Contractors Circle, Ward-B, New Delhi	(a) All persons or classes of persons incomes or classes of income and cases or classes of cases falling within the jurisdiction of the Income-tax Officer contractors Circle, Delhi whose names begin with any of the alphabets from N to Z (both inclusive). (b) All persons being partners of firms falling in item (a) above.

This notification shall take effect from 15-11-75.

JAGDISH CHAND,
Commissioner of Income-tax,
Delhi II, New Delhi

New Delhi, the 31st October, 1975.

INCOME TAX

No. JUR-DLI/III/75-76/18963—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of all previous orders/notifications on the subject, the Commissioner of Income-tax Delhi-III, New Delhi, hereby directs that the Income-tax Officer mentioned in column 2 of the Schedule here-in-below shall perform his functions in respect of persons or classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases specified in col. 3 of the said Schedule other than the persons or classes of cases which have been assigned u/s 127 of the said Act, to any other Income-tax Officer.

SCHEDULE

S. No.	Designation of the I.T.O.	Jurisdiction.
1	2	3
1.	Income-tax Officer, Distt. III(7), New Delhi.	All persons or classes of persons, incomes or classes of income and cases or classes of cases falling within the areas assigned to the Income-tax Officer, Distt. III (35), New Delhi whose names begin with 'M' alphabet alongwith the cases of all the partners of the firms listed under alphabet 'M'.

This notification shall take effect from Ist November, 1975.

J. C. LUTHER,
Commissioner of Income-tax,
Delhi III, New Delhi

New Delhi, the 1st October, 1975

No. JUR-DLI/IV/75-76/14196—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 123 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf and in view of Board's Notification No. 187/2/74-IT(A1) dated 29-9-75, the Commissioner of Income-tax Delhi-IV, New Delhi hereby makes the following amendments in the schedule appended to this office notification No. JUR-DLI/IV/74-75/546 dated 5-8-74 as amended from time to time.

In the said Schedule the entries in the column 2 against IAC Delhi Range-IV-A, New Delhi, shall be substituted by the following entries :—

Range	Income-tax Districts/Circles
1	2
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Delhi Range-IV-A, New Delhi.	1. Distt. V. New Delhi. 2. Special Circle VI & VI (Addl.) New Delhi.

This notification shall take effect from Ist Oct., 1975.

S. S. SETH,
Commissioner of Income-Tax.
Delhi IV, New Delhi

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
CHANDIGARH

Chandigarh, the 30th March 1976

Ref. No. CHD/332/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Building and factory sheds constructed over Plot No. 87 and Pot No. 86 unbuilt
situated at Industrial Area, Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in August, 1975
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. R. D. Minocha & Sons,
House No. 154, Sector 9-B,
Chandigarh.
(Transferor)

(2) M/s. Datta Ram Om Parkash,
Aggarwal Bhawan,
Circular Road, Ambala City.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building and factory sheds constructed over the Plot No. 87 measuring 1,477.1 sq. yds. and Plot No. 86 measuring 1,477.1 sq. yds unbuilt 86-87, Industrial Area, Chandigarh. (Property as mentioned in the Registered Deed No. 585 of August, 1975 of the Registering Officer, Chandigarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 30-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

CHANDIGARH

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. BGR/1259/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Factory land measuring 311 sq. yds out of total area of 910 sq. yds. situated at 11/7 mile stone Mathura Road, Faridabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in August, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent, consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Prahlad Singh, s/o Shri Tulsi Ram, (R/o Village Adagpur, Tehsil Ballabgarh District Gurgaon) 11/7 Mile Stone, Mathura Road,
(Transferor)

(2) Shri Vinod Gupta, s/o Shri O. P| Gupta, R/o E-165, Greater Kailash No. 2, New Delhi.
(Transferee)

(3) M/s Hanuman Woollen Mills, 11/7 Miles Stone, Mathura Road, Faridabad.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory land measuring 311 sq. yds. out of total area of land 910 sq. yds. situated at 11/7 mile stone Mathura Road, Faridabad, Tehsil Ballabgarh, District Gurgaon.

(Propety as mentioned in the Registered Deed No. 2219 of August, 1975 of the Registering Officer, Ballabgarh).

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commisioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 17-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
CHANDIGARH

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. BGR/1258/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 2,5000/- and bearing No.
Factory land measuring 599 sq. yds. out of total area of land 910 sq. yds.,
situated at 11/7 mile stone Mathura Road, Faridabad (and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Ballabgarh in August, 1975,
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Prahlad Singh, s/o Shri Tulsi Ram, (R/o Village Adagpur, Tehsil Ballabgarh District Gurgaon) 11/7 Mile Stone, Mathura Road, Faridabad.
(Transferor)

(2) Shri O. P. Gupta, s/o Shri Chandu Lal, R/o E-165, Greater Kailash No. 2, New Delhi.
(Transferee)

(3) M/s Hanuman Woollen Mills, C/o 11/7 Miles Stone, Mathura Road, Faridabad.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, hichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory land, measuring 599 sq. yds. out of total area of land 910 sq. yds. situated at 11/7 mile stone Mathura Road, Faridabad, Tehsil Ballabgarh, District Gurgaon.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2218 of August, 1975 of the Registering Officer, Ballabgarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 17-3-1976
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE,
CHANDIGARH

Chandigarh, the 18th March 1976

Ref. No. JGR/1144/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land, measuring 27 kanal 10 marlas,
situated at Village Agwar Gujran, Tehsil Jagraon,
(and more fully
described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jagraon in August, 1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Shri Darshan Singh, s/o Shri Narajan Singh,
Resident of Village Agwar Gujran,
Tehsil Jagaon.
(Transferor)

(2) (i) Smt. Dalip Kaur, wd/o Shri Talok Singh,
(ii) Smt. Paramjit Kaur, and
(iii) Smt. Saranjit Kaur,
daughters of Shri Talok Singh,
Residents of Agwar Gujran, Tehsil Jagraon.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 27 kanal and 10 marla, situated in Village Agwar Gujran, Tehsil Jagraon.
Khata No. 1208/1279, Killa No. 149

1	2	
2	2	-108
6-18	6-18	8-0

No. 9 share 57/80 5-14 North side=Jamabandi year 1969-70.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2992 of August, 1975 of the Registering Officer, Jagraon.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 18-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
CHANDIGARH

Chandigarh, the 22nd March 1976

Ref. No. HSR/879/75-76.—Whereas, I, V P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 274 alongwith one room and boundary wall, situated at Model Town, Hissar,
(and more fully described in the
schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hissar in August, 1975,
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sneh Lata, w/o Shri Mahesh Chander, Saneh Bhawan, Behind Library, Model Town, Hissar.
(Transferor)

(2) (i) Shri Parkash Chander, s/o Shri Mathura Dass,
(ii) Smt. Sita Devi, w/o Shri Jaidev Kumar,
(iii) Smt. Gindori Devi, w/o Shri Gurdial Mal,
(iv) Smt. Ram Dulari, wd/o Shri Hari Madho,
Residents of 157-N, Model Town, Hissar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 274, alongwith one room and boundary wall in Model Town, Hissar.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1488 of August, 1975 of the Registering Officer, Hissar.)

V. P. MINOCHA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 22-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

Chandigarh, the 23rd March 1976

Ref. No. LDH/C/1690/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
1/3rd share in property No. B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Ludhiana in August, 1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

16—36GI/76

(1) Shri Jaswant Singh, s/o Shri Sher Singh, Resident of Laltoo Kalan, Tehsil Ludhiana, Presently at B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Rajinder Kumar Syal, s/o Shri Manohar Lal Syal, R/o 135-L, Model Town, Ludhiana Presently at 6-Quicks Wood Drive, Liverpool-25 (U.K.).
(Transferee)

(3) (i) Sant Singh & Bros.,
(ii) Satgur Trade Co;
(iii) National Property Dealers,
(iv) Ziley Ram Mohan Lal,
(v) Jarnail Singh,
(iv) Dalip Singh & Sons, and
(vii) Brij Oil Co:
c/o B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in property No. B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 4216 of August, 1975 of the Registering Officer, Ludhiana.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 23-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

Chandigarh, the 30th March 1976

Ref. No. CHD/457/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 61, measuring 999.6 sq. yds. alongwith single storeyed structure, situated at Industrial Area, Chandigarh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Chandigarh in September, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Saraljit Singh,
Shri Ujjagar Singh,
R/o House No. 1708, Sector 22-B,
Chandigarh. (Transferor)

(2) (i) Shri Harbans Lal,
(ii) Shri Gian Chand,
sons of Shri Jivan Singh,
R/o House No. 110, Sector 27-A,
Chandigarh.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storeyed structure constructed on a plot measuring 999.6 sq. yds. No. 61, Industrial Area, Chandigarh,

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 723 of September, 1975 of the Registering Officer, Chandigarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 30-3-1976

Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, 19th March 1976

No. Acq.23-I-920(304)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 116-1 Part, Final Plot No. 219, TPS No. 8 situated at Dariyapur-Kazipur ,near Civil Hospital Ahmedabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 7-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Ishwarlal Mohanlal Parmar,
2. Shri Mangaldas Mohanlal Parmar,
3. Shri Motilal Mohanlal Parmar,
4. Shri Somchand Mohanlal Parmar,
5. Shri Chandulal Mohanlal Parmar,
Gajanand Housing Society, Girdharnagar, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) 1. Shri Manabhai Chhaganlal Makwana,
Old Aryoday Millni Chali, Ahmedabad.
2. Shri Manilal Kohyabhai, Hira Masterni Chali, Near Aerodrome, Ahmedabad.
3. Shri Ambalal Danabhai Parmar, Utter Gujarat Virmaya Co-op. Housing Society, Behind New Civil Hospital, Ahmedabad.
4. Shri Waghela Khodabhai Kuberbhai, Pritampura Society No. 2,
Girdharnagar, Ahmedabad.
5. Shri Manilal Muljibhai, Suryanagar Society, Shahibaug, Ahmedabad-4.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Permanent leave right on the immoveable property of open land bearing Survey No. 116-1, Part, Final Plot No. 219, of T.P.S. No. 8 admeasuring 949 sq. yards situated at Dariyapur Kazipur, Asarwa, Near Civil Hospital, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 19-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 18th March 1976

Ref. No. PR.298/Acq. 23-642/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1934/B/3 of Ward No. 2,
situated at Majura-Kshetrapal Road, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 8-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269B of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Hiraben wife of Uttambhai Chhotubhai;
2. Uttambhai Chhotubhai, self and as a guardian of minors, Bhupendra, Ramila and Taralatta;
3. Kalumati Uttambhai.
Kshetrapal Road, Surat.

(Transferor)

(2) M/s. Krishna Corporation a partnership firm Nanavat Main Road, Surat through partners
Smt. Chhayaben Kantilal Patel;
Smt. Lilaben Ashwinbhai Patel;
Smt. Kamalben Arunbhai Pradhan·
Shri Annil Kantilal Patel.
Smt. Krishnanand Yaswantrao.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Nondh No. 1934/B/3 of Ward No. 2, admeasuring 220 sq. yds. situated at Majura Kshetrapal Road, Surat as fully described in registered deed No. 2393 of July, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 18-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 18th March 1976

Ref. No. P.R. No. 299 Acq.23-643/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 1934/B/3 of Ward No. 2,
situated at Majura-Kshetrapal Road, Surat
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 8-7-1975.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Nirmala Sudhanchand Shah
Naginchandra Chimanlal Shah.
Bhansali Pole, Gopipura, Surat.
(Transferor)

(2) Krishna Corporation a partnership firm through its partners : Nanavat Main Road, Surat.
Smt. Chhayaben Kantilal Patel;
Smt. Lilaben Ashwinbhai Patel;
Smt. Kamalben Arunbhai Pradhan;
Shri Anil Kantilal Patel,
Smt. Krishnanand Yaswantrao.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing Nondh No. 1934/B/3 of Ward No. 2, admeasuring 215 sq. yds. situated on Majura Kshetrapal Road, Surat as fully described in the registered sale deed No. 2392 of July, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 18-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 1st April 1976

No. FDK/277/75-76.—Whereas, I, V. R. SAGAR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at Kot Kapura
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Faridkot in July on 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-Tax Act, 1957) (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Kartar Kaur W/o Shri Harnam Singh s/o Shri Bishan Singh r/o Kotkapura c/o Shri Hari Singh r/o Patiala.
(Transferor)

(2) Shri Ajaib Singh s/o Shri Kishan Singl V & P.O. Wannder Jatana Distt. Faridkot and Shri Jyoti Parkash s/o Shri Ram Kishan s/o Shri Vasdev r/o Faridkot c/o Shri Pritam Singh Secretary, Market Committee, Kot Kapura.
(Transferee)

(3) As at S.No. 2 above and tenant (s), if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 2088 of July, 1975 of the Registering Authority, Faridkot.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date 1-4-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-V, AYURVEDIK COLLEGE BLDG., NETAJI SUBHASH ROAD, BOMBAY-400002.

Bombay-400002, the 24th March 1976

No. AR.V/363/20/75.—Whereas, I, J. M. MEHRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 5, H.No. 3 Pt. C.S.No. 102 (Part) situated at Moghul Village (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 9-7-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) .

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Linus D'Souza
(Transferor)

(2) (1) Gayadin Algu Maurya
(2) Purshottam Kumar Gayadin Maurya
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THOSE pieces or parcels of land or ground admeasuring 2508 sq. yards, i.e. 2097 sq. metres or thereabouts situate lying and being at Saki Vihar Road, (now known as Khairani Road) Moghul Village, Zilla South Salsette, Registration Sub-District and District Bombay Suburban bearing Survey No. 5, Hissa No 3 Part C.S.No. 102 Part and Survey No. 4 Hissa No. 1 part C.S.No. 103 and bounded as follows that is to say on or towards the North partly by land bearing survey No. 5 Hissa No. 1 and partly by land bearing Survey No. 5 Hissa No. 4 on or towards the South by the said Khairani Road, on or towards the West partly by the property of Hindustan Oil Mills and partly by the property bearing Survey No. 4, Hissa No. 4 and more particularly described in the Second Schedule hereunder written and on or towards the East partly by the property bearing survey No. 5, Hissa No. 5, and partly by the property bearing Survey No. 4 Hissa No. 1 part and delineated on the plan hereto annexed and thereon surrounded by red coloured boundary lines.

Second Schedule above referred to : All those pieces or parcels of land or ground admeasuring 110.75 sq. yards equivalent to 344.44 sq. metres situate lying and being at Saki Vihar Road (now knows as Khairani Road) Saki Village, Zilla South Salsette, Registration Sub-District and District Bombay Suburban and bearing Survey No. 4, Hissa No. 4 C. S. No. 103 (11 and 12) and bounded as follows : that is to say on or towards the North by land bearing Survey No. 4 Hissa No. 1, Part, on or towards the South by the said Khairani Road on or towards the West by the property of Hindustan Oil Mills and on or towards the West by the land bearing Survey No. 4, Hissa No. 1 part and delineated on the plan thereof hereto annexed and thereon surrounded by green colured boundary lines.

J. M. MEHRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-V, Bombay.

Date : 24-3-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-V, CALCUTTA

Calcutta, the 18th March 1976

Ref. No. AC-52/Acq.R-V/Cal/75-76.—Whereas, I, S. S. INAMDAR
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Mouza Agarpara situated at P. S. Khardah
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of
1908) in the office of the Registering Officer
at Calcutta on 3.7.1975
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. B. N. Elias & Co. Pvt. Ltd. 1 & 2, Old court House Corner, Calcutta.
(Transferor)

(2) M/s. Oriental Machinery & Civil Construction Pvt. Ltd. 1 & 2, Old Court House Corner, Calcutta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 35 bighas 14 cottahs 4 chittaks 43 sft. situated and lying in Mouza Agarpara comprised under C.S. Plots No. 1539, 1540, 1541 and 1542 of Khatian No. 43 P. S. Khardah, Dist-24-Pgs. being municipal holding No. 903 of the Panihati Municipality including buildings structures, sheds erections and constructions standing thereon together with machinery, stores & spare, Raw materials and other business assets more particularly as per deed No. I-3853 of 1975 registered by the Registrar of Assurances, Calcutta

S. S. INAMDAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-V, Calcutta-16.

Date : 18.3.1976.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1116/75-76.—Wheras, I, S. N. L. AGARWALA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/4 of 4008 situated at Gali Bansi Koele Wali, Ajmere Gate, Delhi
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi in July 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reducation or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

17—36 GI/76

(1) Shri Budh Ram s/o Sh. Chandu Lal r/o 4008, Gali Bansi Koley Wali, Ajmere Gate, Delhi.
(Transferor)

(2) Pyare Singh s/o Sh. Jiwan Singh r/o S-101, Vishnu Garden, New Delhi
(Transferee)

(3) Shri Mangel Sain 2. Sh. Gopi Ram 3. Smt. Vidya.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/4 share of whole property bearing No. 4008 Gali Bansi Koele Wali, Ajmere Gate, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 17 March, 1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq-II/1117/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
No. XIV/6913 situated at Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer
at Delhi in July 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act following persons, namely :—

(1) Shri Haruam Dass S/o Sh. Brahm Dass SF-2, Shah Building, Chamelian Road, Shidhipura, Delhi. (Transferor)

(2) Smt. Anis Fatma w/o Sh. Nawabuddin r/o 6913, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A double storyed house constructed on a plot of land measuring 60 sq. yds. situated at No. XIV/6913, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi and bounded as under :—
North : Gali South : House No. 6903
East : House No. 6914 West : House No. 6912

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commisioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date : 17March, 1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1118/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing,
No. 83/1A situated at Punjabi Bagh, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi in July 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Hazoor Sant Satguru Mehar Singh Singhji Chela Satguru Baba Bagga Singhji r/o 803, Model Town, Jullundur ,PB) through GPA Sh. Charan Dass s/o Sh. Hazari Mal r/o 493/3, Main Bazar, Gandhi Nagar Delhi-31.
(Transferor)

(2) Shri Amarjit and Raj Babu sons of Shri Sohan Singh r/o B-6/16 Rana Pratap Bagh, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person transferred in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land measuring 957½ sq. yds out of Khasra No. 2632/53 known as Portion of property No. 93-I/A situated in the abadi of Punjabi Bagh on Road No. 83, Delhi and bounded as under :—
North : Road 31 ft wide South : Others property
East : Road 15'Wide West : Road No. 83.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 17March, 1976
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/119/75-76.—Wheras, I, S. N. L. AGARWALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 83/1-B situated at Punjabi Bagh, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in July 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) Hazoor Sant Satguru Mehar Singhji Chela Satguru Baba Bagga Singh Ji/r/o 803 Model Town, Jullundur through G. P. A. Sh. Charan Dass s/o Sh. Hazari Mal r/o 493/3; Gandhi Nagar, Main Bazar, Delhi-31. (Transferor)

(2) Shri Rakesh s/o Sh. Charan Dass 2. Miss Renu d/o Sh. Charan Dass r/o 83-1/B Punjabi Bagh, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land measuring 957½ sq. yds. out of Khasra No. 2632/53 known as Portion of property No. 83-1/B, situated in the abadi of Punjabi Bagh on Road No. 83 Delhi and bounded as under :—

North : Others property South : Others property.
West : Road No. 83 East : Road 15' wide.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 17March, 1976
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq. II/1121/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.XV/9624 Gali No. 12 situated at Multani Dhandha, Pahar Ganj, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in July 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sewa Singh s/o S. Dhanna Singh r/o 9624/XV, Gali No. 12, Multani Dhanda, Pahar Ganj, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Madan Lal s/o Sh. Dal Chand, r/o H.No. 9658/XV Gali No. 11, Multani Dhanda, Pahar Ganj, N. Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storyed house constructed on a plot of land measuring 67 sq. yds situated at No. XV/9624 Gali No. 12, Multani Dhandha, Pahar Ganj, New Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 17March, 1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 17th March 1976

Ref. No. IZC/Acq.II/1120/75-76.—Whreas, I, S. N. L. AGARWALA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4677-XIV situated at Gali Umrao Wali, Pahari Dhiraj, Delhi.
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Delhi in July 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value if the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shashi Prabha Jain w/o Sh. Jai Chand Jain r/o 3694 Maman Jamadar, Pahari Dhiraj, Delhi.
(Transferor)

(2) Sv/Sh. Dhunender Kumar Jain 2. Devender Kumar Jain sons of Shri Nem Chand Jain 4676, Gali Umrao Wali, Pahari Dhiraj, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three-storyed house constructed on a plot of land measuring 200 sq. yds situated at No. 4677-XIV in Gali Umrao Wali, Pahari Dhiraj, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi.

Date : 17March, 1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, NEW DELHI-110001

New Delhi-110001, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1122/75-76.—Whereas, I. S. N. L. AGARWALA
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
No. B-6 situated at 37 Rajpur Road, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Delhi in July 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M/s. Scindia Investments Private Limited Gwalior (Madya Predesh) through Major General Ajit Singh Guraya, Director.
(Transferor)

(2) Shri Bishamber Dayal s/o Sh. Chandan Lal Ji r/o 29/20, Shakti Nagar, Delhi.
(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressons used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 436 sq. yds situated at plot no. B-6 at 37 Rajpur Road, Delhi and bounded as under :—
North : Plot No. B-5 South : Plot No. B-7
East : Open land West : 30 ft wide road.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition angc-II, Delhi/New Delhi.

Date : 17 March 1976

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II. 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1123/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereafter referred to as the Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 341 situated at Chanderwal, Shahdara, Delhi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) faciliting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shanti Devi *alias* Samrishta w/o Sh. Om Parkash r/o C-B, Green Park Extension, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Krishan Kumar s/o Sh. Shivcharan Dass r/o 108, Gajju Katra, Shahdara, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storyed shop constructed on a plot of land measuring 167.75 sq. yds. situated at 341, Chanderwal, Shahdara, Delhi and bounded as under :—
North : Property of Sh. Raghunath.
East : Property of Sh. Ratan Lal.
West : Property of Sh. Nathi Mal.
South : Road Anaj Mandi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 17-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1124/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/2 of B-2/13 situated at Model Town, Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27th of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

18—36 GI/76

(1) Smt. Savitri Devi w/o Sh. Kanwal Nain Vig 2. Sh. Ashok Kumar, 3. Sh. Radhey Sham, 4. Sh. Parvesh Chander sons of Sh. Kanwal Nain Vig r/o B-2/13, Model Town, Delhi-9.
(Transferor)

(2) Smt. Shanti Devi w/o Sh. Kanta Parshad, 2. Sh. Satish Kumar, 3. Sh. Raj Kumar, 4. Ashok Kumar, 5. Sh. Surinder Kumar, 6. Sh. Suresh Kumar sons of Shri Kanta Parshad r/o B-8, Gujranwala Town, Delhi-9.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One half undivided share in a building built on a free-hold plot of land bearing plot No. 13 in Block B-2, measuring 2501 sq. yds. situated in the colony known as Model Town, Delhi and bounded as under :—

North : Road.
South : Colony Boundary.
East : Property B-2/14.
West : Property No. B-2/12-A.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 17-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 17th March 1976

Ref. No. IAC/Acq II/1125/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act) have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. C-31 situated at Netaji Road, Adarsh Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed
hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Sarla Kumari w/o Sh. Hukam Chand Garg, 2. Smt. Raj Rani w/o Sh. Baldev Krishan Garg, r/o Sunami Gate, Sangrur (Punjab).
(Transferor)

(2) Smt. Dhan Devi w/o Sh. Raghunath Dass Dusaje, Retd. Executive Engineer, r/o C-6/7, Model Town, Delhi-9.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land measuring 200 sq. yds. situated at C-31, Netaji Road, Adarsh Nagar, Delhi and bounded as under :—

North : Netaji Road 30' wide.
South . Shanker Acharya Road 30 ft.
East : Plot No. C-33.
West : Plot No. C-29.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 17-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 18th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1126/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 325 situated at Sant Nirankari Colony, Delhi-9 (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not ben truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the 'said Act', in respcet of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shoba Rani w/o Sh. Har Dayal Shad r/o C/1-A, Satyawati Nagar, Ashok Vihar-III, Delhi. (Transferor)

(2) Smt. Lajwanti w/o Sh. Chuni Lal & 2. Sh. Chuni Lal s/o Sh. Mayya Dass r/o T-222, Nawab Road, Sadar Bazar, Delhi-6. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Single storyed house constructed on a plot of land measuring 139 sq. yds. bearing plot No. 325, part of Khasra No. 161 situated at Sant Nirankari Colony, Delhi and bounded as under :—

North : Plot No. 324.
South : Plot No. 326.
East : Gali 10 ft.
West : Road 24 ft.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 18-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 18th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1127/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 8131 & 8136 Ward No. XIV situated at Chimini Mill, Bara Hindu Rao, Delhi
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Mohd. Ali s/o Sh. Mohd. Yusaf r/o 8014, Bara Hindu Rao, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Bilqis Begum w/o Sh. Ahsan Ullah r/o 4846, Gali Darzian, Bara Hindu Rao, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1½ storeyed house constructed on a plot of land measuring 110 sq. yds. situated at House No. 8131 & 8136 Ward XIV, Chimni Mill Bara Hindu Rao, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 18-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 18th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1128/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. XV/7531/1 situated at Tel Mill Street, Ram Nagar, Pahar Ganj, New Delhi
Delhi
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the
office of the Registering Officer at
Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Rameshwari Bai w/o Sh. Dhanpat Rai r/o D-13/12, Model Town, Delhi-9.
(Transferor)

(2) Shri Devender Kumar Chhabra s/o Sh. Siri Ram Chabra r/o 999, Gali Mantola, Pahar Ganj, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on a land measuring 247.3 sq. yds. being plot No. XV/7531/1, situated at Tel Mills Street, Ram Nagar, Paharganj, Delhi and bounded as under :—

North : Plot of Shanti Devi.
South : House of Pt Lakhi Ram.
East : Common passage.
West : Gurudwara Bhai Himmat Singh.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 18-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 18th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1129/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. XV/7531/1 situated at Tel Mills Street, Pahar Ganj, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideraton therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (22 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Shanti Devi w/o Sh. Jai Gopal r/o 2897/11 Gali Captain, Darya Ganj, Delhi-6.
(Transferor)

(2) Shri Nawal Kishore Gupta s/o L. Shri Vishnu Batta r/o 7575, Ice Factory, Ram Nagar, Pahar Ganj, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House constructed on a land measuring 250.6 sq. yds. being ½ of Plot No. XV/7531/1, situated at Tel Mills Street, Ram Nagar, Pahar Ganj, Delhi and bounded as under :—

North : Plot of Sh. Lakshmi Narain.
South : Plot of Mrs. Parmeshwari Bai.
East : Common Passage.
West : Gurdwara Bhai Himmat Singh

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 18-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 18th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1130/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 57/62 situated at Village Dhaka, Delhi-9 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in July 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act in the following persons, namely :—

(1) Shri Jaswant Singh s/o Sh. Sodagar Mal r/o I/57, Ashok Vihar, Delhi-52.
(Transferor)

(2) Shri Amar Nath s/o Sh. Khazan Singh r/o H. No. 70, Village Dhaka, Delhi-9.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Area of land measuring 527 sq. yds. situated at No. 57/82, Village Dhaka, Delhi-9 and bounded as under :—
North : Gali.
South : Others property.
East : Chopal.
West : Property No. 56.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 18-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
4/14A,ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 19th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1131/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.
House No. WZ-54 Plot No. 175 (1/2 share) situated at Raja Garden, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in July 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that th considration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ram Singh s/o Sh. Kesar Singh r/o 346, Rani Bagh, Shakur Basti, Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Shakuntala Rani w/o Sh. Santosh Kumar r/o 13/1562, Aziz Ganj, Azad Market, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later; expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

½ share of a single storeyed house constructed on a plot of land measuring 180 sq. yds. bearing No. WZ-54 situated at Plot No. 175 Raja Garden, New Delhi and bounded as under :—

North : Service Lane.
South : Road.
East . Property No. 176.
West : Property No. 174.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 19-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 19th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/132/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'Said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House No. 54 Plot No. 175 (1/2 share) situated at Raja Garden, New Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Dewan Singh s/o Sh. Sant Singh r/o WZ-54, Raja Garden, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Shakuntala Rani, w/o Sh. Santosh Kumar r/o 13/1562, Aziz Ganj, Azad Market, Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 share of a single storeyed house constructed on a plot of land measuring 180 sq. yds. bearing No. WZ-54 situated at plot No. 175 Raja Garden, New Delhi and bounded as under :—
North : Service Lane.
South : Road.
East : Property No. 176.
West : Property No. 174.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Delhi/New Delhi

Date: 19-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1 (110001)

New Delhi, the 19th March 1976

Ref. No. IAC/Acq.II/1133/75-76.—Whereas, I, S. N. L. AGARWALA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. ..
as in Schedule situated at Karwal Nagar, Shahdara, Delhi (and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registation Act, 1908 of (16 of 1908) in the office of the Registering officer
Delhi in July 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Pehlad Singh, 2. Sh. Tej Ram sons of Shri, Hukam Singh r/o Village Karwal Nagar, Shahdara, Delhi-32.

(Transferor)

(2) M/s. Lakshmi Land & Finance Co. (Regd.) D/16, Cinema Block, Krishan Nagar, Delhi-51 through its Managing Partner Sh. Faquir Chand s/o Bishamber Dayal Gupta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Khasra as Mustital No. 53 in Khasra No. 1 (4-16) & in Khasra No. 2 (4-16) total land measuring 9 bighas & 12 biswas situated in the area of Village Karwal Nagar, Illaqa Shandara, Delhi.

S. N. L. AGARWALA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Delhi/New Delhi

Date : 19-3-1976.
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSINOR OF INCOME-EAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 27th March 1976

Ref. No. 863-A/Acq./Meerut/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Meerut on 16-7-75
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Messers Mulap Foundries Private Limited, Registered Office, 3685, Chawri Bazar, Delhi-6, through Bhushan Kumar, Director.

(Transferor)

(2) Messers Bansal Forgings Private, Limited, C-17, Industrial Estate, Partapur, Meerut, through Shri Ved Prakash, Managing Director, s/o Lala Keshoram, 707, Civil Lines, Meerut.

(Transferee)

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Factory Building with plot Nos. A-14, A-15, A-16, situated at Govt. Industrial Estate, Partapur, Distt. Meerut transferred for an apparent consideration of Rs. 1,42,500/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur

Date : 27-3-76.
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 27th March 1976

Ref. No. 731/Acq/G.Bad/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that
the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ghaziabad on 23-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section(1) of Section 269D of the Said Act to the following following persons namely :—

(1) (1) Shri Mahavir Prasad s/o Shri Onkar Singh
(2) Shri Hardutt Sharma s/o Shri Ram Kripal
(3) Smt. Padmawati W/o Raghubar Dayal,
R/o Prahladgarhi, Pargana Launi, Tehsil Ghaziabad, District Meerut.

(Transferor)

(2) Messers Mohan Meakines Brewries Limited, Mohan Nagar, Ghaziabad, District Meerut,
Through Shri Jamna Shanker Bhatnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 1 Bigha 8 Biswa, comprised in Khasra No. 182, situated at Village Prahladgarhi, Pargana Launi, Tehsil Ghaziabad, District Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 33,880/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 27-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 27th March 1976

Ref. No. 725/Acq./G.Bad/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ghaziabad on 19-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Messers Vishnu Agencies (P) Limited, Bharat Bhawan, Chitranjan Avenue, Calcutta-13,
Through Shri Shyam Sunder Goyanka S/o Late Shri Motilal Goyanka, 3, Chitranjan Avenue, Calcutta-13, Attorney.

(Transferor)

(2) Messrs Mohan Meakens Brewries (P) Limited, Mohan Nagar, Ghaziabad,
Through Shri Jamna Shanker Bhatnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 11 Bigha 7 Biswa (34333 3/4 yds) comprised in Khasra Nos. 548, 550, 547 & 549 situated at Vill. Pahladgarhi, Post-Launi, Teh. Ghaziabad, Distt. Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 2,06,003/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 27-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 27th March 1976

Ref. No. 724/Acq/G.Bad/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghaziabad on 19-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act I hereby initiate proceedings fo rthe acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Shyam Sunder Goyanka s/o Late Shri Moti Lal Goyanka R/o 3, Chitranjan Avenue, Calcutta, Attorney Parmeshwar Prasad s/o Shiv Bhagwan R/o 3, Chitranjan Avenue, Calcutta-13.
(Transferor)

(2) Messrs Mohan Meakins Brewries Limited, Mohan Nagar, Ghaziabad Pargana launi, District Meerut, Through Shri Jamna Shanker Bhatnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 4 Bigha 9 Biswa and 15 Biswansi (13575 sq. yds.) comprised in Khasra Nos. 165, 166, 167, 169, 183 and 184, situated at Village Pahladgarhi, Pargana Launi, Teh. Ghaziabad, District Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 1,08,600/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 27-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th March 1976

Ref. No. 732/Acq./G.Bad/75-76--Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ghaziabad on 23-7-1975.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Shyam Singh Sharma s/o Shri Bakhtawar R/o Village Rajapur, Post-Khas, Ghaziabad, Distt. Meerut.

(Transferor)

(2) Messers Mohan Meakins Brewries Limited, Mohan Nagar, Ghaziabad, District Meerut,
Through Shri Jamna Shanker Bhatnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land measuring 2 Bigha 3 Biswa, comprised in Khasra No. 174 and 175, situated at Village Prahladgarhi, Pargana Launi, Teh. Ghaziabad, Distt. Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 47,152/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 27-3-1976

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th March 1976

Ref. No. 795-A/Acq./Dehradun/75-76.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Dehradun on 8-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument
of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdip Singh Multani s/o Shri Hardit Singh R/o 6-A, Nemi Road, Dehradun.
(Transferor)

(2) (1) Dr. Supender Singh s/o Prem Singh,
(2) Smt. Pawan Jeet Cheema W/o s. Kehar Singh Cheema, R/o 31, Park Road, Dehradun.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property comprised in Khasra No. 353/1/8, 353/1/7M total area 12 acres with one 3 room constructed Kacha house situated at Village Attock Farm, Pargana Pachwa Doon, Distt. Dehradun, transferred for an apparent consideration of Rs. 42,000/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 15th March 1976

Ref. No. 796-A/Acq/Dehradun/75-76.—Whereas, I, F. J. BAHADUR,
being the Competent Authority under-Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Dehradun on 19-7-1975.
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfers and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, is pursuance of Section 269C of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Roshan Lal self and
(2) As General Attorney for Smt. Chanan Devi,
(3) Smt. Pushpa Devi,
(4) Sri Rajeev Kumar (Rakesh Kumar, minor
(5) Sri Rakesh Kumar (Rakesh Kumar, minor through his mother Smt. Pushpa Devi) 96/16, Colonelganj, Kanpur.
(Transferor)

(2) Shri Mahant Indresh Charan Dasji Sajadanadhin Darbar Guru Ram Rai Ji Maharaj, Dehradun.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of plots of land measuring 2.09 acres situated in Dehra Khas, Pargana Pachwa, Distt. Dehradun, transferred for an apparent consideration of Rs. 31,020/-.

F. J. BAHADUR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 15-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd March 1976

Ref. No. 1050-A/Acq./Chibramau/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer
at Chibramau on 15-7-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons namely :—

(1) Smt. Vidya Vati Devi Alias Vidya Devi Widow of Sri Prabhoo Dayal Katiyar, R/o Village Sarai Parayag Pargana Talagram, Tch. Chhibramau, Distt. Farru-Khabad.

(Transferor)

(2) (1) Shri Ramesh Chander,
(2) Shri Suresh Chandra and
(3) Shri Ram Prakash (Minor) sons of Dr. Ishwar Dayal Katiyar R/o Sarai Maroof, Post-Kiratpur, Distt. Farrukhabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land of about 7.68 acres situated at Babrapur, Makhdoompur and Sarai Parayag, Distt. Farrukhabad, transferred for an apparent consideration of Rs. 39,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd March 1976

Ref. No. 1051-A/Acq./Chibramau/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration
Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chibramau on 15-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vidyawati Devi Alias Devi Widow of Shri Prabhoo Dayal Katiyar, R/o Village Sarai Parayag Pargana Talagram, Teh. Chhibramau, Distt, Farru-Khabad.

(Transferor)

(2) (1) Smt. Ram Kishori w/o Shri Pratap Singh Katiyar R/o 111A/36, Ashok Nagar, Kanpur.

(2) Sri Om Prakash Katiyar S/o Sri Ishwar Dayal Katiyar R/o Village Sarai Maroof, Post-Kiratpur, Farrukhabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land of about 7.49 acres situated at Babrapur, Makhdoompur and Sarai Parayag. Distt. Farrukhabad transferred for an apparent consideration of Rs. 38,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22-3-1976.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd March 1976

Ref. No. 772/Acq./Meerut/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Meerut on 24-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) (1) Smt. Kaushal Devi w/o Shri Suryapal Singh, and
(2) Smt. Asha Tomar w/o Yogendrapal Singh,
Quarters Begam Bagh, Meerut.
(Transferor)

(2) Shri Susheel Kumar s/o Sri Tara Chand, Resident of Brahmpuri, Meerut City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of northern portion of building No. 734, Begum Bagh, Meerut City, transferred for an apparent consideration of Rs. 45,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd March 1976

Ref. No. 773/Acq/Meerut/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Meerut on 24-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. (1) Smt. Kaushal Devi w/o Shri Suryapal Singh, and
(2) Smt. Asha Tonar w/o Yogendrapal Singh,
Quarters Begam Bagh, Meerut.
(Transferor)

(2) Smt. Rajni w/o Sri Surendra Kumar,
R/o Brahmpuri, Meerut City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of southern portion of building No. 734, Begum Bagh, Meerut City, transferred for an apparent consideration of Rs. 50,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd March 1976

Ref. No. 774/Acq/Meerut/75-76.—Whereas, I. VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Meerut on 24-7-1975,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Smt Kaushal Devi w/o Shri Suryapal Singh, and
(2) Smt. Asha Tomar w/o Yogendrapal Singh,
Quarters Begam Bagh, Meerut.
(Transferor)

(2) Shri Surendra Kumar s/o Lala Tara Chand,
R/o Brahmpuri, Meerut City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of middle portion of Building No. 734, Begum Bagh, Meerut City, transferred for an apparent consideration of Rs. 50,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 23rd March 1976

Ref. No. 788-A/Acq/Khaga/75-76.—Whereas, I. VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the Office of the Registering Officer at Khaga on 28-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under-sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Shri Manohar Das s/o Shri Dharam Das
R/o 104-A/14, Rambagh, Kanpur.
(Transferor)

2. (1) Shri Shiv Prasad Singh s/o Shri Goverdhan Singh,
(2) Shri Sarju Singh s/o Ram Jatan Singh,
(3) Shri Algu Singh s/o Shri Ram Braksh Singh,
(4) Smt. Radhika w/o Shri Jaipal Singh,
All R/o Amipavar, Distt. Rohtas (Bihar) and
(5) Shri Raghuvir Singh s/o Shri Jceut Singh,
(6) Shri Avadh Kumar s/o Shri Moti Lal
R/o Sohda, Post-Kundwa, Pargana-Danwar, Distt. Rohtas (Bihar).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the foresaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land (8 plots) measuring 112 Bighas and 1 Biswas (about 45 acres), situated in Village-Teni, Pargana-Hathgaon, Tehsil Khaga, Distt. Fatehpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 46,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 23-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 29th March 1976

Ref. No. 598/Acq/Auriya/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Auriya on 30-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

1. Shri Kalindi Narain s/o Shri Ram Narain, R/o Village Burhadana, Pargana Auriya, Distt. Etawah.
(Transferor)

2. (1) Shri Rampal,
(2) Shri Shivpal,
Both S/o Shri Banwari Lal,
(3) Shri Ram Ratan,
(4) Shri Ramadhar, Both sons of Sonelal,
(5) Shri Ram Autar, and
(6) Shri Rajpal (Both Minors) U/G Narain S/o Baldeo, R/o Village Burhadana, Pargana Auriya District Etawah.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said Immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land measuring 6.10 acres, situated at Village Miyapur, Paragana-Auriya, Distt. Etawah, transferred for an apparent consideration of Rs. 21,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 29-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 29th March 1976

Ref. No. 597/Acq/Auriya/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at As per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Auriya on 29-7-1975 for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

21—36GI/76

(1) Shri Kalindi Narain s/o Shri Ram Narain.
R/o Village Burhadana, Pargana Auriya, Distt. Etawah.
(Transferor)

(2) Shri Jhabboo Lal S/o Shri Badal,
R/o Village Burhadana, Pargana-Auriya, Distt. Etawah.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land measuring 4.61 acres, situated at Village Miyapur, Pargana-Auriya, Distt. Etawah, transferred for an apparent consideration of Rs. 14,000/-.

VIJAY BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 29-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd April 1976

Ref. No. 642/Acq/Meerut/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Meerut on 2-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vidyawati Widow Late Babu Gopal Narain Goyal, Thapar Nagar, Meerut City.
(Transferor)

(2) Smt. Krishna Arora w/o Sri Chaman Lala Arora, Delhi Road, Meerut City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of part of plot comprised in plot No. 80, measuring 204.16¼ sq. yds. situated at Thapar Nagar, Meerut City, transferred for an apparent consideration of Rs. 32,666.50.

VIJAY BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-4-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTNAT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd April 1976

Ref. No. 643/Acq./Meerut/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Meerut on 2-7-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vidyawati Widow Late Babu Gopal Narain Goyal, Thapar Nagar, Meerut City.
(Transferor)

(2) Shri Ramesh Chand Arora S/o Jagannath Arora, M/s. Patel Marg, Ghaziabad, District Meerut.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapted.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of part of plot comprised in plot No. 80, measuring 204.16 ½ sq. yds. situated at Thapar Nagar, Meerut City, transferred for an apparent consideration of Rs. 62,666.50.

VIJAY BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 2-4-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 20th March 1976

Notice No. 114/75-76/ACQ.—Whereas, I, P. SATYANARAYANA RAO,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Dharwar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Part of the Property known as Bairro De Guimaraces, situated at village of Taleigao of Panaji and Santa Inez Parish of Tiswadi within the Canaji Municipal Area, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Panaji under Document Number 516 on 8-7-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indain Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Kamalabai Vithal Shirodkar, widow of Dr. Vithal Nagesh Shirodkar,
R/o D/9 Mafatlal Park, Bhulabhai Dessai Road, Bombay.
(Transferor)

(2) M/s. Salgaocar Mining Industries Private Limited, Vasco-Da-Gama (Goa).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece of parcel of land or Ground containing by Admeasurement 3076 square Metres with Messuage, Hereditament, Premises, Building and other structures, Representing 3076/82825 part of the Property named "Aforamento Do Oiteiro De Panjim E Santa Inez or Oiteiro De Conceicao" known as "Bairro De Guimaraes" Described under No. 2942 of book B 8 New Series, Page 25 reverse in the land Registration office of Ilhas and enrolled in the respective land Revenue Registry under No. 1178 and situate, lying and being in the village of Taleigao of Panaji and Santa Inez Parish of Tiswadi, within the Panaji Municipal Area.

P. SATYANARAYANA RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 20-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 11th March 1976

Notice No. 110/75-76/ACQ.—Whereas, I, P. SATYANARAYANA RAO,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Dharwar,
being the Competent Authority under Section
269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. G-2 of the Property called "Maria Pereira",
situated at Gaspar Dias, within the Municipal Limits of Panjim,
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Panaji under Document No. 522 on 9-7-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Confrarias Reunidas Da Igreja De Panjim, Represented by its President, Attorney and Treasurer, Residents of Panjim (Goa).

(Transferor)

(2) (1) Shri Bernard Mario Figueiredo,
(2) Mrs. Jacqueline Lilian Figueiredo,
Residing at 159, Colaba Road, Bombay-5.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land known as Plot No. G-2 of the property called "Maria Pereira" situated at Gaspar Dias, within the Municipality of Panjim, sub-District of Ilhas (Goa), Admeasuring 625 square metres and is bounded by :

North : Internal Road;
South : Plot No. G-1;
East : Internal Road;
West : Plot No. G-3.

P. SATYANARAYANA RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 11-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 11th March 1976

Notice No. 111/75-76/ACO.—Whereas, I. P. SATYANARAYANA RAO,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Dharwar,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. E-11 of the St. Mary's Colony in the Property called 'Maria Pereira'
situated at Gaspar Diss, within the Municipal Lmits of Panjim,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Panaji under Document No. 544 on 21-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Confrarias Reunidas Da Igreja De Panjim, Represented by its President, Attorney and Treasurer, All residents of Panjim (Goa).

(Transferors)

(2) (1) Mr. Michael Isidoro Isac Xavier Mascarenhas,
(2) Mrs. Maria Quiteria Laura Serena Mascarenhas, Both Residents of Paitona, Sadvador Do Mundo (Goa).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land known as plot No. E-11 of St. Mary's Colony in the property called "Maria Pereira" situated at Gaspar Dias, within the Municipality of Panjim, Admeasuring 502 square metres and is bounded by :

North : Internal Road;
South : Plot No. E-8;
East : Plot No. E-12;
West : Plot No. E-10.

P. SATYANARAYANA RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Dharwar

Date : 11-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 11th March 1976

Notice No. 112/75-76/ACQ.—Whereas, I, P. SATYANARAYANA RAO,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Dharwar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
1-9-56 and 1-9-58 (Old), 1-9-36 (New) & No.
1-9-57 and 1-9-75 (Old), 1-9-32 and 1—9—37
(New) situated at Dastagir Peth, Yadgir of Gulbarga Distt.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Yadgir under Document No. 974 on 20-8-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Lingeri Konappa, Ginning, Pressing and Oil Mills, Through its Partner and General power of Attorney holder Shri Konappa, S/o Rudrappa, Nadgowda, Yadgir, Dist. Gulbarga.
(Transferor)

(2) (1) Smt. Shantabai, W/o Shri Jawarlal Dhoka, R/o Yadgiri, Distt. Gulbarga.
(2) Smt. Parwati Devi W/o Shri Pampangowda Tangadgi, R/o Yadgir, Distt. Gulbarga.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Ginning Factory and Oil Mills bearing Municipal No. 1—9—56 and 1—9—58 (Old),
1—9—36 and 1—9—38 (New),
Godown bearing Municipal No. 1—9—57 and 1—9—75 (Old)
1—9—32 and 1—9—37 (New)

P. SATYANARAYANA RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 11-3-1976.
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 11th March 1976

Notice No. 113/75-76/ACQ.—Whereas, I, P. SATYANARAYANA RAO.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Dharwar,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
2—1—259 to 2—1—266, situated at Locality known as 'Jagat' in the city of Gulbarga,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gulbarga under Document Number 1535 on 7-1-1976, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Balkishan S/o Shri Ram Chandra Gilda,
(2) Shri Bhagwandas S/o Shri Balkishan Gilda,
(3) Shri Shankerlal S/o Shri Balkishan Gilda,
(4) Shri Murlidhar S/o Shri Balkishan Gilda.
(5) Shri Aneel S/o Shri Balkishan Gilda,
All Residing at Asaf Gunj, Gulbarga.
(Transferors)

(2) (1) Shri Vinaykrao S/o Shri Venkappa Gada,
(2) Shri Vijaykumar S/o Shri Venkappa Gada,
(3) Shri Narsinha S/o Venkappa Gada,
(4) Shri Srinivas S/o Shri Venkappa Gada,
(5) Shri Srinad S/o Shri Venkappa Gada,
(6) Smt. Gotlawaribai W/o Shri Venkappa Gada,
Residents of Asaf Gunj, Gudbarga.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing Municipal No. 2-1-259 to 2-1-266 situated at locality known as 'Jagat' in the city of Gulbarga and bounded by :—

East : House of Gulam Mohiuddin, Government lane and House of Shri Abdul Nabi;

West : Cement Road running between Nehru Gunj and Railway Station,

North : House of Dr. Laxmanrao and Bhagwanrao,

South : House of Aziz Hussain, Syed Margub Sahab, Hanmanthrao Hagargi, Advocate and Syed Mahamood Saheb.

P. SATYANARAYANA RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 11-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6.

Madras-6, the 25th March 1976

Ref. No. 3400/75-76.—Whereas, I, G. V. Jhabakh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. T. S. No. 8/2, situated at Dr. Swaminatha Sastri Road, Thillainagar, Tiruchirapalli, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. III, Trichy (Doc. No. 2281/75) on 31-7-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri N. Perumal,
S/o Shri M. Nagalingam Pillai,
25 Nanthi Koil St., Trichy-2.
(Transferor)

(2) Smt. K. Vasantha Devi,
C/o M/s. Ananthas,
39, N.S.B. Road,
Tiruchirapalli-2.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasurig 4310 s. ft. (with building) and bearing T.S. No. 8/2, Block 1, Ward 3 of Thillaingar North East Extension, Trichy.

G. V. JHABAKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 25-3-1976
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6.

Madras-6, the 16th March 1976

Ref. No. F.2593/75-76.—Whereas, I, G. V. Jhabakh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 8/12 Trichy Road, situated at Coimbatore
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR III, Coimbatore (Doc. No. 2788/75) on 14-7-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri P. R. Venkitasubramania Iyer
Shri P. V. Renganathan (Minor)
represented by Shri P. R. Venkitasubramania Iyer
C/o Shri P. S. Ranga Iyer
Bankers, Pallipuram Village
Palghat-6

(Transferor)

(2) Dr. P. Rukmani, M.B.,B.S.
No. 8/12 Sundaresa Iyer Layout
Coimbatore-18.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 19.25 cents (with building) and bearing Door No. 8/12 Sundaresa Iyer Layout, Trichy Road, Coimbatore (Old T.S. No. 1/665/1—Site Nos. 39, 40 and part of Site No. 38).

G. V. JHABAKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6.

Madras-6, the 16th March 1976

Ref No. F.2603/75-76.—Whereas, I, G.V. Jhabakh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. New T.S. 1377, situated at Avanashi Road, Puliakulam village, Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at JSR III, Coimbatore (Doc. No. 2596/75) on July 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Actfi I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely—

(1) Smt. R. Ranganayaki ammal
W/o Endapillar B. Rangaswamy Naidu
No. 1133 Upplipalayam, Coimbatore.
(Transferor)

(2) Smt. S. Meenakshiammal
W/o late V. C. Subbaiah Gounder
V.C.S. House, Vellakinar
Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site measuring 20 cents and 4 sq. ft and bearing New T.S. No. 1377, Avanashi Road, Puliakulam Village, Coimbatore.

G. V. JHABAKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTNAT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6.

Madras-6, the 16th March 1976

Ref. No. F.2606/75-76.—Whereas, I, G. V. Jhabakh, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. D. No. 21/70, situated at New T.S. No. 1447 Part 1451 and 1452/1 Vysial St., Coimbatore, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
JSR III Coimbatore (Doc. No. 2700/75) on 7-7-1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri R. Sundararaj
2. Soundari Bai
3. Rathna Bai
4. Vijayakumari
Son and daughters of Ranganathan Chettiar
Vysial St., Coimbatore.
(Transferor)

(2) Shri N. Subramanian
S/o Shri K. P. Narayana Achari
145, Vysial St., Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing D. No. 21/70. Old T.S.No. 3/439 Part, New T.S. No. 1447 Part, 1451 & 1452/1 Vysial Street, Coimbatore.

G. V. JHABAKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6.

Madras-6, the 16th March 1976

Ref. No. 2606/75-76.—Whereas, I, G. V. JHABAKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
D. 21/44-45, situated at New T.S. No. 1447 Part Vysial St., Coimbatore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR III Coimbatore (Doc. No. 2701/75) on 7-7-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri R. Sundararaj
2. Soundari Bai
3. Rathna Bai
4. Vijayakumari
Son and daughters of Ranganathan Chettiar
Vysial St., Coimbatore.
(Transferor)

(2) Shri K. P. Narayana Achari
S/o Shri Parameswaran Achari
145, Vysial Street, Coimbatore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing D. No. 21/44/45 Part, Old T.S. No. 3/439 Part, New T.S. No. 1447 Part, Vysial Street Coimbatore.

G. V. JHABAKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II,

MADRAS-6

Madras-6, the 16th March 1976

Ref. No. F. 2611/75-76.—Whereas, I, G. V. JHABAKH being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
122 to 126, situated at Gandhipuram III St., Coimbatore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Gandhipuram Doc. No. 1873/75) on 14-7-1975
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. Senniappa Gounder
S/o Shri Karuppanna Gounder
No. 56, Renga Konar St.
Kattur, Coimbatore.
(Transferor)

(2) 1. Shri S. Shangugam Pillai
No. 131, Gandhipuram 5th St.,
Coimbatore.
2. Shri S. Velayutham Pillai,
No, 152, Gandhipuram III St.,
Coibatore.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building bearing D. Nos. 122 to 126 (T. S. No. 11/1057), Gandhipuram III St., Coimbatore.

G. V. JHABAKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 16th March 1976

Ref. No. F. No. 1867/75-76.—Whereas, I, G. V. JHABAKH,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
10, Oliver Road, situated at Madras-4
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
JSR I, Madras (Doc. No. 5563/75) on July 1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Smt. Pankajam Ramachandran
Shri S. R. Ravichandran
No. 2, Kennedy II St., Madras-4.

(Transferor)

(2) Shri C. H. Venkataraman
S/o Shri C. S. Hariharan
No. 1, First Street,
Balaji Nagar, Madras-14.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 grounds and 988 sft. (with building) situated at No. 10, Oliver Road, Mylapore, Madras-4.

G. V. JHABAKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6.

Madras-6, the 16th March 1976

Ref. No. F. 5030/75-76.—Whereas, I, G. V. JHABAKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing R.S. No. 8/2, situated at T.S. No. 10 of Block No. 11 Nelson Manicka Mudaliar Road, Madras (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR I, Madras (Doc. No. 5735) on July 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. B. Parandhaman,
2. R. Padmanabhan,
3. B. Chowdry alias B. Venkataraman,
4. R. Jayachandran,
5. B. Sreenivasan.
6. B. Papiah and
7. B. Rani
No. 66, Thirupalli St., George Town, Madras.
(Tansferor)

(2) Mrs. (Dr.) Padma Chandrahas
5A, New Avadi Road
Kilpauk, Madras-10.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site measuring 3 grounds and 1800 sft. and bearing R.S. No. 8/2, T.S. No. 10 of Block No. 11, Nelson Manicka Mudaliar Road, Vada Agaram, Madras.

G. V. JHABAKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE I, MADRAS-6

Madras-6, the 16th March 1976

Ref. No. F.5031/75-76.—Whereas, I, G. V. JHABAKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing R.S. No. 8/2, situated at T. S. No. 10—Block No. 11, Nelson Manicka Mudaliar Road, Madras, (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at JSR I, Madras Doc. No. 5736) on July 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of his notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :

(1) 1. B. Parandhaman,
2. R. Padmanabhan,
3. B. Chowdry,
4. Jayachandran,
5. B. Sreenivasan,
6. B. Papiah and
7. B. Rani.

(Transferor)

(2) M/s. Medident India P. Ltd.
Devi Theatre Buildings,
Mount Road, Madras-2.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site measuring 3 grounds and 1275 sft. and bearing R.S. No. 8/2, T.S. No. 10, Block No. 11 Nelson Manicka Mudaliar Road, Vada Agaram, Madras.

G. V. JHABAKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6.

Date : 16-3-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6.

Madras-6, the 2nd April 1976

Ref. No. X/12/9(JULY)/1975-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 75A, situated at Singarayar Colony North Street, Bivikulam, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Mudurai (Doc. No. 2146/75) on July, 1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922, (11 of 1922) or the said Act, or the wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiative proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition ing persons, namely :—

(1) Shri R. Muthu Vinayaga Subramaniam,
Shri Ramiah, Shri Ganapathi } (by father and guardian R. Muthu Vinayaga Subramaniam)
7B, Second Street, Chidambara Nagar,
Tuticorin.
(Transferor)

(2) Shri Rajarathinasamy Nadar,
67B, Tamil Sangam Road,
Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8.5. cents with buildings thereon at door No. 75A (T. S. No. 873/2 and 1639/1), Singarayar Colony North Street, Bivikulam, Madurai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-4-1976
Seal :

FORM ITNS ——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6.

Madras-6, the 2nd April 1976

Ref. No. X/1/110(JULY)/75-76.—Whereas, I,
G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 47, situated at Lakshmipuram Third Street, Madurai
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Madurai (Doc. No. 3220/75) on July, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the o bject of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. M.M.M.K. Hameed Jahan Begum Nachiar,
Smt. M.M.M.K. Zeenat Unnisa Begum Nachiar,
Mandapam village, Ramnad district.
(Transferor)

(2) Smt. B. Chandra Devi (minor),
by husband and guardian
Shri N. Baskaran Chettiar,
No. 14, Ezhu Valaivu Street,
Elayangudi, Ramnad district.
(Transferee)

(3) Engineering Equipment.
[Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land measuring 1680 sft. with building thereon (Eastern portion) at door No. 47 (T.S. No. 1286 to 1288), Lakshmipuram Third Street, Madurai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6.

Madras-6, the 2nd April 1976

Ref. No. X/1/111(JULY)/1975-76.—Whereas, I, G. RAMANATHAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 47, situated at Lakshmipuram Third Street, Madurai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Madurai (Doc. No. 3221/75) on July, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. M.M.M.K. Hameed Jahan Begum Nachiar,
Smt. M.M.M.K. Zeenat Unnisa Begum Nachiar,
Mandapam village, Ramnad district.
(Transferor)

(2) Smt. B. Chandra Devi (minor),
by husband and guardian
Shri N. Baskaran Chettiar,
No. 14, Ezhu Valaivu Street,
Elayangudi, Ramnad district.
(Transferee)

(3) Engineering Equipment.
[Person in occupation of the property.]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half share in land measuring 1680 sft. with building thereon (Eastern portion) at door No. 47 (T.S. No. 1286 to 1288), Lakshmipuram Third Street, Madurai.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 2-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 12th March 1976

Ref. No. CHD/222/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Shop-cum-flat No. 11-12, Sector 22-C, situated at Chandigarh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trnasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Krishan Kumar, s/o Shri Nitya Nand, (ii) Smt. Vidya Wati, widow of Late Shri Nitya Nand, (iii) Shri Shiv Raj, s/o Shri Nitya Nand, (iv) Smt. Shoba Rani, d/o Shri Nitya Nand, (v) Smt. Shanta Rani, d/o Shri Nitya Nand, (vi) Smt. Swaran Lata, w/o Shri Virender Kumar, Residents of 12-A, Sunder Nagar Market, New Delhi.
(Transferor)

(2) (i) Shri Gurcharan Singh, s/o Sh. Harnam Singh, (ii) Smt. Gurdial Kaur, w/o Sh. Gurcharan Singh, Residents of Village & P.O. Mehrampur Zamindari, Tehsil and District Ropar; (iii) Smt. Kirpl Kaur, w/o Shri Harcharan Singh, (iv) Smt. Jaswant Kaur, w/o Shri Gurdip Singh, Residents of Village & P.O. Moranwali, Tehsil Gurhshanker, District Hoshiarpur.
(Transferee)

(3) (i) M/s. Universal Typewriters, S.C.F. No. 11-12, Sector 22-C, Chandigarh. (ii) M/s. New Sham Provision Store, S.C.F. No. 11-12, Sector 22-C, Chandigarh.
[Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop-cum-flat No. 11-12, Sector 22-C, Chandigarh.

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 12-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 23rd March 1976

Ref. No. LDH/C/260/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 1/3rd share in property No. B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, situated at Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in July, 1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Aet', to the following persions, namely :—

(1) Shri Jaswant Singh, s/o Shri Sher Singh, Resident of Laltoo Kalan, Tehsil Ludhiana, presently at Kara Bara, Ferozepur Road, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Rajinder Kumar Syal, s/o Shri Manohar Lal Syal, R/o 135-L, Model Town, Ludhiana. Presently at 6-Quicks Wood Drive, Liverpool-25 (U.K.).
(Transferee)

(3) (i) Sant Singh & Bros., (ii) Satgur Trade Co., (iii) National Property Dealers, (iv) Ziley Ram Mohan Lal, (v) Jarnail Singh, (vi) Dalip Singh & Sons, and (vii) Brij Oil Co.; C/o B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana.
[Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, withever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in property No. B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3118 of July, 1975 of the Registering Officer, Ludhiana.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 23-3-1976.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 23rd March 1976

Ref. No. SNG/327/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (here inafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land, measuring 100 K and 4 M, situated at Village Badrukhan, Teh. & Distt. Sangrur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sangrur in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tansfrer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) in the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Dev Parshad, s/o Shri Shiv Parshad, through Shri Kundan Lal Puri, Mukhtiar-am, Resident of Village Badrukhan, Tehsil and District Sangrur.

(Transferor)

(2) M/s. Swaraj Spinning Mills Ltd.; through Shri Jagdish Rai, Director of the Company, C/o Singla Niwas, Shahi Samadhan, Patiala-147001.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 100 Kanal and 4 Marla, situated in Village Badrukhan, Tehsil and District Sangrur.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1114, of July, 1975 of the Registering Officer, Sangrur.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 23-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 23rd March 1976

Ref. No. LDH/C/266/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 4-B, Gupta Road, Industrial Area 'A', situated at Ludhiana,
(and more fully
described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arisng from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) M/s. Common Wealth Spinning & Knitting Mills Private Ltd.; Ludhiana.
(Transferor)

(2) Smt. Kailash Wanti, wd/o Shri Jagan Nath Kundra, B-II/1329, Arya Mohalla, Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 4-B, measuring 700 sq. yds. originally belonging to M/s. Common Wealth Spinning and Knitting Mills Private Ltd. situated on Oswal Road also known as Gupta Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3192 of July, 1975 of the Registering Officer, Ludhiana.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 23-3-1976.
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 30th March 1976

Ref. No. PYL/1511/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land measuring 34 bigha, 18 biswa, situated at Village Viopur, Sub Tehsil Payal,
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Payal in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sucha Singh, s/o Shri Badawa Singh, Village Viopur, Sub-Tehsil Payal, District Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Harnek Singh, s/o Shri Mehar Singh, Village & Post Office Jarag, Sub-Tehsil Payal, District Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 34 bigha 18 biswa situated at Village Viopur, Sub-Tehsil Payal, District Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 961 of July, 1975 of the Registering Officer, Payal.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh.

Date : 30-3-1976.
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 30th March 1976

Ref. No. PYL/1512/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land measuring 34 bigha 19 biswa situated at Village Viopur, Sub-Tehsil Payal,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Payal in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sucha Singh, S/o Shri Badhawa Singh, Village Viopur, Sub-Tehsil Payal, District Ludhiana.

(Transferor)

(2) Smt. Bhan Kaur, w/o Shri Mehar Singh, Village & Post Office Jarag, Sub-Tehsil Payal, District Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 34 bigha 19 biswa situated at Village Viopur, Sub-Tehsil Payal, District Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 997 of July, 1975 of the Registering Officer, Payal.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 30-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. BGR/1205/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land, measuring 123 kanals, situated at Village Bijoopur, Teh. Ballabhgarh, Distt. Gurgaon,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Ballabhgarh in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Brij Mohan, (ii) Shri Man Mohan, Sons of Shri Sada Nand.
R/o 130-Golf Link, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri R. K. Bahl, s/o Dr. M. L. Bahl, R/o L-1/18, Houz Khas Enclave, New Delhi-16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 123 kanals, situated at Village Bijoopur, Tehsil Ballabhgarh, District Gurgaon.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2059 of July, 1975 of the Registering Officer, Ballabhgarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. LDH/C/267/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land, measuring 4 kanal and 13 marla, situated at Village Salim Tabri, Tehsil and District Ludhiana,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Ludhiana in July, 1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Pritpal Singh, s/o Shri Ganda Singh, R/o B-9-36, Chowk Heera Halwai, Ludhiana.

(Transferor)

(2) (i) Shri Jagjit Rai, s/o Shri Hakikat Rai, R/o Jali Kalan, P.O. Ludhiana, (ii) Shri Jatinder Kumar, s/o Shri Laxmi Chand, R/o Bagh Mandi Khazanchian, Ludhiana, (iii) Shri Raj Kumar, s/o Shri Jatinder Kumar, R/o Village Lassoi, District Sangrur, (iv) Shri Kailash Chand, s/o Shri Mela Ram, R/o Village Nakodar, District Jullundur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 kanal and 13 marlas, situated at Village Salim Tabri, Tehsil and District Ludhiana.
Khewat No. 45/483 as per jamabandi of 1971-72.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3195 of July, 1975 of the Registering Officer, Ludhiana.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. PTA/637/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land, measuring 12 Kanal and 13 marlas, situated at Village Jhill, Teh. & Distt. Patiala,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Patiala in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusance of Section 269C or the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the folowing persons, namely :—

(1) Shri Hardial Singh, s/o Shri Partap Singh, R/o Village Jhill, Tehsil Patiala.

(Transferor)

(2) (i) Shri Rajinder Kumar, (ii) Shri Barjinder Kumar, sons of Shri Raj Kishan, Residents of Ajit Nagar, Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 12 kanal and 13 marlas, situated at Village Jhill, Tehsil and District Patiala.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1816 of July, 1975 of the Registering Officer, Patiala.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. PTA/638/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land, measuring 12 k and 9 m situated at Village Jhill, Tehsil & District Patiala,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Patiala in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harpal Singh, s/o Shri Partap Singh, R/o Village Jhill, Tehsil and District Patiala.

(Transferor)

(2) Shri Rupinder Sagar, s/o Shri Sham Lal, R/o Ajit Nagar, Patiala.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Officjal Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 12 kanal and 9 marlas, situated at Village Jhill, Tehsil and District Patiala.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1815 of Registering Officer Patiala for the month of July, 1975.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.
Seal :

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. SRD/592/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land and Building, situated at Bassi Pathana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sirhind in July, 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Shushil Kumar, Secretary, Kasturba Sewa Mandir, Rajpura.
(Transferor)

(2) M/s. Universal Trade Links, Bassi Pathana, through Shri Lal Singh, Partner.
(Transferee)

(3) M/s. Gopala Rice Mills, Bassi Pathana.
[Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 24 kanal and 1 marla and building at Bassi Pathana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1588 of July, 1975 of the Registering Officer, Sirhind.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.

Seal ;

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. CHD/231/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Annexe bearing No. 338, Sector 21-A, (Area 1000.30 sq. yds.) situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Secion 269D of the Said Act to the following person, namely :—

(1) Smt. Kamla Rani, w/o Shri Amrit Lal Seth, R/o House No. 3116, Sector 24-D, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Trilok Singh Sandhu, s/o Shri Kartar Singh, R/o Opposite R. K. Mission, Bhubneshwar-1 (Orissa).

(Transferee)

(3) (i) Shri R. N. Joshi & others, (ii) Shri K. K. Jhulka, (iii) Shri Krishanpal, R/o Annexe No. 338, Sector 21-A, Chandigarh.

[Person in occupation of the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Annexe bearing No. 338, Sector 21-A, Chandigarh (Area 1000.30 sq. yds.).
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 510 of July, 1975 of the Registering Officer, Chandigarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. BGR/1204/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land measuring 90 kanal and 14 marla situated at Village Bijoopur, Teh. Ballabhgarh Distt. Gurgaon,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Ballabhgarh in July, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration on such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

25—36GI/76

(1) (i) Shri Brijmohan, (ii) Shri Manmohan, sons of Shri Sadanand, R/o 130-Golf Link, New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Sudesh Bahl, w/o R. K. Bahl, R/o L-1/18, Hauj Khas Enclave, New Delhi-16.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land, measuring 90 kanal and 14 marla, situated in Village Bijoopur, Tehsil Ballabhgarh, District Gurgaon.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2056 of July, 1975 of the Registering Officer, Ballabhgarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH, 156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 17th March 1976

Ref. No. CHD/452/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 72 (New No. 1102): Street 'E', Sector 8-C, situated at Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chandigarh in August, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the 'said Act' 5, to the following persons, namely :—

(1) Shri Santokh Singh Godhoke, s/o Shri Bhagat Singh, Godhoke, R/o 1214, Fergusan College Road, Poona.

(Transferor)

(2) (i) Smt. Prem Kaur, w/o Late S. Surjan Singh, (ii) Shri Amarjeet Singh, s/o Late S. Surjan Singh, R/o House No. 1066, Sector 8-C, Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 72 (New No. 1102), Street 'E', Sector 8-C, Chandigarh.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 680 of August, 1975 of the Registering Officer, Chandigarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Chandigarh

Date : 17-3-1976.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 4th March 1976

Ref. No. Raj/IAC(ACQ)/317.—Whereas, I, C. S. Jain, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Corner House, situated at Church Road, Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 18-7-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Dhurbo Nath Sen s/o Late Sh. Khilindra Nath Sen for self and 95 Karta of J.H.F. and Smt.Chnmoya Devi widow of Shri Khilindra Nath, Resident of Corner House, Church Road, Jaipur.
(Transferor)

(2) (1) Smt. Laxmi Devi Bohra w/o Shri Rikhab Chand Bohra, (2) Smt. Sobhag Kumari w/o Shri Chandmal Bohra, (3) Shri Tara Chand, (4) Shri Ramchand sons of Shri Rikhabchand, Resident of Plot No. 125, Hospital Marg, Jaipur.
(Transferee)

Objections, ifany, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Northern portion of Western Corner of House known as 'Corner House' situated at the junction of Church Road and Ajmer Road, Area 274.82 sq. yds. more fully described in conveyance deed registered at S. No. 2464 on 18-7-1975 by Sub-Registrar, Jaipur.

C. S. JAIN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 4-3-1976.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-6

Madras-6, the 15th April 1976

Ref. No. X/12/10(JULY)/75-76.—Whereas, I, G. Ramanathan,
being the Competent Authority under section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a flair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 31, situated at Anna Nagar, Madurai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Rgistration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Thallakulam (Doc. No. 2227/75) on July 1975
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been
truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitate the reduction or evasion of liability the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri R. Poornachandra Rao and
Shri R. Krishna Mohan, minor by
father and guardian, Shri Poornachandra Rao,
374, Anna Nagar, Madurai-20.
(Transferor)

(2) Shri S. P. Sankaralingam,
238A, South Marat Street,
Madurai.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4,740 sq. ft. with building thereon at plot No. 31 (R.S. No. 44/3A & 45/8) Anna Nagar, Madurai-20.

G. RAMANATHAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Madras-6

Date : 15-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
CHANDIGARH

Chandigarh, the 23rd March 1976

Ref. No. LDH/C/1689/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/3rd share in property No. B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, situated at Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in December, 1975, for an a apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Jaswant Singh, s/o Shri Sher Singh, Resident of Laltoo Kalan, Tehsil Ludhiana, Presently at Krishan Nagar, Ludhiana. (Transferor)

(2) Smt. Surinder Kumari Syal, w/o Shri Rajinder Kumar Syal, R/o 135-L, Model Town, Luhdiana Presently at 6-Quicks Wood Drive, Liverpool-25 (U.K.). (Transferee)

(3) (i) Sant Singh' Bros;
(ii) Satgur Trade Co;
(iii) National Property Dealers,
(iv) Ziley Ram Mohan Lal,
(v) Jarnail Singh,
(vi) Dalip Singh & Sons, and
(vii) Brij Oil Co;
c/o B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/3rd share in property No. B-XX/1061/1, Gurdev Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 6465 of December, 1975 of the Registering Officer, Ludhiana.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 23-3-1976
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976